[2021] 4 एस सी आर 1100

जिज्ञासा यादव (लघु)

(थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह)

वी.

C.B.S.E। (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और ओ. आर. एस.

(2011 की सिविल अपील सं. 3905)

3 जून, 2021

[ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड के परीक्षा उपनियम, यदि कानून का बल है-आयोजित किए गए: सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों को एक कोड के रूप में जोड़ा गया है-वे एक छात्र की औपचारिक शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं के लिए प्रदान करते हैं जिनमें शामिल हैं -

प्रवेश, परीक्षा, प्रवास, स्थानांतरण, पाठ्यक्रम, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, सत्यापित प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्रों में संशोधन आदि-इसलिए उपनियम पक्षों को बाध्य करते हैं और अदालत में विधिवत लागू किए जा सकते हैं, यहां तक कि रिट उपचार के माध्यम से भी-बोर्ड के उपनियमों में कानून का बल होता है और सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए उन्हें ऐसा माना जाना चाहिए-यह कोई सार्थक काम नहीं करेगा।

राज्य के एक साधन से उत्पन्न होने वाले नियमों के इन आधिकारिक समूह को उनके न्यायपूर्ण अनुप्रयोग में भारी सार्वजनिक हित होने के बावजूद केवल संविदात्मक शर्तों के रूप में रखने का उद्देश्य

तर्क से, परीक्षा उपनियम कला के तहत "कानून" नहीं हैं। 13 , यह भारत के संविधान के भाग-III के संदर्भ में उनकी जांच करने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सी. बी. एस. ई. कला के अर्थ में "राज्य" है। 12 और इसके सभी कार्य परिणामस्वरूप भाग-III-भारत का संविधान-भाग III-कला के अधीन हैं। 12 और 13-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) परीक्षा के उपनियम

2007 .

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में सुधार/परिवर्तन-अनुमेय सुधारों/परिवर्तनों का दायरा सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियम बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में किए जा सकने वाले सुधारों/परिवर्तनों को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से प्रतिबंधित करते हैं-तर्कसंगतता की परीक्षा-क्या

1100 जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

सी. बी. एस. ई./बोर्ड के परीक्षा उपनियम उचित ठहराते हैं

प्रतिबंध-आयोजित: किसी व्यक्ति की पहचान भारत में संवैधानिक योजना के सबसे करीबी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है-नाम को पहचान के प्रमुख संकेतकों में से एक माना जा सकता है-अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए, आधिकारिक (सार्वजनिक) रिकॉर्ड में दर्ज नाम बदलने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है और सार्वजनिक नीति और व्यापक सार्वजनिक हित के मामले में स्थिरता का पालन करने और भ्रम और भ्रामक प्रयास को दूर करने के लिए कुछ उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है-तथ्यों पर, उपनियम केवल तभी नाम परिवर्तन की अनुमति देते हैं जब अदालत से अनुमति ली गई हो।

परिणाम के प्रकाशन से पहले प्राप्त किया गया-प्रावधान कुछ मामलों में समस्याग्रस्त है-ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें नाम का परिवर्तन वैध हो सकता है।

आवश्यकता और शिक्षा के स्तर को संरक्षित करने के अंतिम लक्षय को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को ऐसे परिवर्तनों को लागू करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करना चाहिए-सुविधा का संतुलन

छात्रों के पक्ष में झुकने के कारण, उन्हें अपने प्रमाणपत्रों में अशुद्धियों के कारण बोर्ड की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी एकमात्र चिंता प्रशासनिक बोझ बढ़ाना है-सीबीएसई बुनियादी दस्तावेजों के स्कूल रिकॉर्ड होने के आधार पर उम्मीदवारों के संबंध में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है इसलिए, सीबीएसई यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुधार करने के लिए बाध्य है कि सीबीएसई प्रमाणपत्र

यह स्कूल रिकॉर्ड में दी गई प्रासंगिक जानकारी के अनुरूप है क्योंकि यह प्रासंगिक समय और भविष्य में बदलावों के साथ मौजूद है जिसमें सीबीएसई द्वारा परिणाम के प्रकाशन के बाद भी शामिल है-हालाँकि, जब सीबीएसई द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र में कोई भी जानकारी दर्ज करने की बात आती है जो स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, तो यह आवश्यक है कि सीबीएसई को जनता का समर्थन करने के लिए जोर देना चाहिए।

ऐसा दस्तावेज़ जिसका अनुमानित मूल्य हो और दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा इस तरह के परिवर्तन को शामिल करने की घोषणा -

इस संबंध में, सी. बी. एस. ई. उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) परीक्षा उपनियम 2007-भारत का संविधान-<आई. डी. 1] के अनुसार किए गए परिवर्तनों के कारण किसी तीसरे पक्ष/निकाय द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ खुद को आश्वस्त करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकता है।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन-क्या सी. बी. एस. ई./बोर्ड [2021] 4 एस. सी. आर. रखने के लिए बाध्य है।

सार्वजनिक अभिलेखों/दस्तावेजों के सुधार/अद्यतन के कारण इसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन, जिनमें वास्तविकता की वैधानिक धारणा है-आयोजितः सी. बी. एस. ई. बोर्ड के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह उम्मीदवार द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों पर ध्यान न दे और उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उस आधार पर परिवर्तन दर्ज करे, जो विश्वसनीय सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप हो-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्वजनिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी पूरी तरह से पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है-सी. बी. एस. ई. उन दस्तावेजों को उसके अनुरूप परिवर्तन करने के लिए मूलभूत दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करते समय अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकता है और साथ ही मूल प्रविष्टि को बनाए रखते हुए उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में शीर्षक/एनोटेशन के रूप में नोट कर सकता है, जबकि पदधारी को बाद में किसी भी समय किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए उसके द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र को सौंपने के लिए कहता है-सी. बी. एस. ई. के लिए यह अनुमति होगी कि वह इस पर जोर दे।

सी. बी. एस. ई. को क्षतिपूर्ति दें-सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में बोर्ड का अस्वीकरण भी हो सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि उसके द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के आलोक में पदधारी के कहने पर परिवर्तन किया गया है-इसके अलावा, पदधारी को आधिकारिक राजपत्र में परिवर्तन के बारे में सूचित करने के लिए कहा जा सकता है और प्रचुर सावधानी के साथ परिवर्तन को दर्ज करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में सार्वजनिक सूचना दी जा सकती है-जब कोई छात्र पूर्व अनुमति और/या घोषणा के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और सार्वजनिक दस्तावेज (ओं) प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय एक जांच पर प्रवेश करेगा जिसमें कानूनी अनुमान सार्वजनिक दस्तावेज (ओं) के पक्ष में काम करेगा और बोझ परिवर्तन का विरोध करने वाले पक्ष पर स्थानांतरित हो जाएगा ताकि अनुमान का खंडन किया जा सके या किसी अन्य पर दावे का विरोध किया जा सके। दस्तावेज़ की सामग्री सहित इसकी वास्तविकता के सवाल पर उसी जांच में निर्णय लिया जाएगा और कानून की अदालत

केवल आधिकारिक अभिलेखों को सत्यापित करने और इसकी वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ही वांछित परिवर्तन की अनुमति दें-साथ ही, अनुरोध किए गए परिवर्तनों की न्याय्यता का प्रश्न होगा -

छात्र द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता पर विचार करने और केवल संतुष्ट होने पर, न्यायालय अपनी अनुमति देगा-उक्त अनुमति को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति और आवश्यक (निर्धारित) शुल्क (यदि कोई हो) के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है-तब बोर्ड को आगे की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

C.B.S.E। (सीबीएसई)

प्रमाणपत्रों में परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार करते समय, सीबीएसई एक अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह किसी भी अनुरोध पर प्रभावी रूप से विचार नहीं कर सकता है। उन अनुरोधों के अलावा जिन्हें केवल स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) 2007 का परीक्षा उपनियम।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड के परीक्षा उपनियम-बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन-प्रमाणपत्रों के सुधार के लिए सीमा की अवधि-क्या

सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख या आवेदन पर विचार करने की तारीख को लागू परीक्षा उपनियम

सुधार/परिवर्तन दर्ज करना प्रासंगिक होगा-और, क्या सुधार या परिवर्तन का प्रभाव, जैसा भी मामला हो, मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव डालेगा: परिणाम की घोषणा/प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद उपनियम इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होंगे। प्रमाणपत्रों में परिवर्तन करने के लिए-यदि उपनियमों की प्रयोज्यता की सीमा की गणना की तारीख से की जानी थी

सुधार/परिवर्तन के लिए आवेदन, न कि सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की तारीख, जो चीजों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देगा-एक बार सी. बी. एस. ई. के दस्तावेजों में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है-परिवर्तन वास्तव में संभावित हैं और यह इंगित करने के लिए कि उपनियमें एक उपचारात्मक उपाय प्रदान किया गया है, जैसा कि वर्तमान में मौजूद है-वे बदले गए विवरणों के साथ इस तरह के परिवर्तन की तारीख के साथ एक शीर्षक/एनोटेशन जोड़ने की आवश्यकता प्रदान करते हैं ताकि प्रमाण पत्र के भीतर यह इंगित किया जा सके कि परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रकाशित करने की तारीख के बाद की तारीख को किए गए हैं-कैप्शन/एनोटेशन की आवश्यकता वास्तव में बाद में बदले गए दस्तावेजों के उपयोग को अपरिवर्तित मूल रिकॉर्ड के रूप में रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन-क्या इसके लिए अनिवार्य आदेश जारी किए गए हैं - सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों में सुधार स्पष्ट [2021] 4 एस. सी. आर. के दांतों में हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परीक्षा उपनियमों में उपबंध, उपनियमों की वैधता की जांच किए बिना-आयोजितः उच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, भाग-3 के आलोक में किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति के साथ विधिवत निहित हैं-दावों की सत्यता में गए बिना और पर्याप्त रूप से यह बताए बिना कि मामला असाधारण व्यवहार की मांग क्यों करता है, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से यांत्रिक निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं। न्यायालयों को परिवर्तनों की अनुमति देने से पहले तत्काल तथ्यात्मक स्थिति के लिए अतिरिक्त सतर्क और जीवित रहने की आवश्यकता है-नाम परिवर्तन या जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए किसी भी दो अनुरोधों को एक ही न्यायिक नजर से नहीं देखा जा सकता है। कभी-कभी, नाम परिवर्तन को अनिवार्य रूप से यांत्रिक निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

एक आवश्यकता हो सकती है, कभी-कभी यह बिना किसी आवश्यकता के स्वतंत्र इच्छा का एक शुद्ध अभ्यास हो सकता है-जब तक कि उपनियम या लागू नियम अनुमति देते हैं, तब तक किसी भी अदालत के लिए इस तरह की राहत से इनकार करने का कोई अवसर नहीं है-लेकिन जब उपनियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो न्यायालय को निर्देश जारी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी उपनियमों की वैधता पर टिप्पणी किए बिना और उन अधिकारों का प्रदर्शन किए बिना जो दांव पर हैं-संवैधानिक या कानूनी केंद्रीय बोर्ड

माध्यमिक शिक्षा (सी. बी. एस. ई.) परीक्षा 2007 के भारत के संविधान के उपनियम-भाग III।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.)-बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में सुधार/परिवर्तन-सुधार या परिवर्तन की प्रकृति, जैसा भी मामला हो, पूर्व छात्र सहित छात्र के कहने पर सी. बी. एस. ई. द्वारा ले जाने की अनुमति-आयोजितः मोटे तौर पर, दो स्थितियां उत्पन्न होंगी पहली वह है जहां पदधारी चाहता है कि सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में "सुधार" स्कूल के रिकॉर्ड में उल्लिखित विवरणों के अनुरूप किया जाए, सीबीएसई के लिए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने या किसी भी पूर्व शर्त को संलग्न करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय उचित अवधि की सीमा के और उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सीबीएसई को अपने रिकॉर्ड को बनाए रखना है। मौजूदा नियम-सी. बी. एस. ई. केवल स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप सुधार के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त लागू नहीं कर सकता है।

परिणामों का प्रकाशन-ऐसी स्थिति अनुचित और अत्यधिक होगी-हालाँकि, यदि परिवर्तन को दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है

परिणाम के प्रकाशन और सी. बी. एस. ई. द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद बदले गए स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर, उम्मीदवार उचित सीमा के भीतर इस तरह के परिवर्तन को दर्ज करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

सी. बी. एस. ई. द्वारा निर्धारित अवधि-सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विवरणों के "परिवर्तन" के अनुरोध के संबंध में, इसमें जिज्ञासा यादव (लघु) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सीबीएसई)

कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में दर्ज किए जाने वाले विवरण स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं-ऐसा अनुरोध दो अलग-अलग स्थितियों में किया जा सकता है-पहला जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/चुनाव कार्ड आदि जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर और सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में परिवर्तन को सुसंगत रूप से शामिल करना है।

इसके साथ-दूसरी संभावना तब होती है जब परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है

बाद में पसंद द्वारा अधिग्रहित नाम के कारण-उस परिवर्तन को उम्मीदवार से संबंधित सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता नहीं है पहली श्रेणी में लौटना, एक कानूनी प्रावधान है

1872 के अधिनियम में परिकल्पित सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में अनुमान-ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों को सीबीएसई द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में परिवर्तन दर्ज करने के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

हालाँकि, यह बिना शर्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ उचित शर्तों के अधीन होना चाहिए जो हो सकता है

सी. बी. एस. ई. द्वारा निर्धारित-नए प्रमाणपत्र में मूल प्रविष्टि के खिलाफ अस्वीकरण और कैप्शन/एनोटेशन हो सकता है (संबंध को छोड़कर)।

विस्मृत किए जाने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन) उस तारीख को दर्शाता है जिस पर परिवर्तन दर्ज किया गया है और

हालांकि, बाद की स्थिति में जहां किसी भी सहायक स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज के बिना नए अधिग्रहित नाम के आधार पर परिवर्तन किया जाना है, वह अनुरोध निम्नानुसार हो सकता है:

इस संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व अनुमति/घोषणा के लिए जोर देने और सीबीएसई द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र (या मूल प्रमाण पत्र की नकल, जैसा भी मामला हो) के समर्पण/वापसी सहित आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और निर्धारित शुल्क-साक्षय अधिनियम, 1872 के भुगतान पर विचार किया जाता है। 76 आर/डब्ल्यू एसएस। 79 ,

80 और 81.

सी. बी. एस. ई. को दिए गए निर्देशों के साथ मामलों का निपटारा करना,

अदालत

पकड़ना:

क्या 2007 के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) परीक्षा उपनियमों में कानून का बल है। 1.1 . बोर्ड की शक्तियों और कार्यों सहित सी. बी. एस. ई./बोर्ड द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के लिए, यह हो सकता है:

यह सुरक्षित रूप से माना जाता है कि बोर्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य है और इसके परिणामस्वरूप, [2021] 4 एस. सी. आर.

इसके कार्य भारत के संविधान के भाग-III के लिए उत्तरदायी होंगे। तथ्य यह है कि बोर्ड को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य के रूप में माना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके द्वारा बनाए गए उपनियम अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर कानून बन जाएंगे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का अर्थ। केवल अनुच्छेद 13 के तहत एक "कानून" को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संबंध में प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है। [पैरा 101] [1155-सी-ई]

1.2 . अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" को परिभाषित करने का अंतर्निहित उद्देश्य एक व्यावहारिक प्रशासनिक वास्तविकता को शामिल करना है कि

सामान्य वैधानिक कानूनों के अलावा अन्य कानून हो सकते हैं। इसलिए, यह उन मामलों (इस मामले में उपनियमों के रूप में घोषणा) को अपने दायरे में "कानून की शक्ति" के रूप में लेता है, हालांकि विधायिका द्वारा इस तरह से अधिनियमित नहीं किया गया है। क्योंकि, यह राज्य द्वारा जारी/बनाई गई अध्यादेशों, आदेशों, उपनियमों, नियमों, विनियमों या अधिसूचना को शामिल करने के लिए "कानून" को परिभाषित करता है। इन शब्दों के सटीक अर्थों को भाषा की कठोरता तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और वर्तमान मामले में यह न तो वांछनीय है और न ही आवश्यक है। [पैरा 103,104] [1156-ई-जी]

1.3 राज्य द्वारा बनाया गया कानून नियमों के एक निकाय को संदर्भित करता है जो सार्वभौमिक अर्थों में व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों को आकार देता है। पक्षों के बीच एक निजी लेनदेन के लिए। इस तरह के कानून में कानून के विषय के रूप में लोगों के आचरण के सभी प्रमुख पहलुओं के लिए प्रावधान करके उन्हें बांधने की क्षमता है। इसलिए, राज्य या उसके उपकरणों द्वारा जारी/बनाए गए किसी भी नियम/अधिसूचना/आदेश/उपविधि में कानून का बल होगा और इसके अधीन सभी संस्थाओं को बाध्य करेगा और उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता के रूप में काम करेगा। फिर भी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कानून की अदालत में प्रवर्तनीयता होगी। [पैरा 105] [1157-ए-बी]

1.4 सी. बी. एस. ई., एक पंजीकृत सोसायटी होने के बावजूद, सरकार के लिए एक आवश्यक सार्वजनिक कार्य कर रहा है।

1929 में इसकी स्थापना के बाद से। सार्वजनिक समारोह से जुड़े सिद्धांतों को निम्नानुसार चित्रित किया जा सकता है: ए। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जनता को सामूहिक लाभ का विस्तार;

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं आदि सहित सामाजिक या आर्थिक मामलों में भागीदारी। ; सी। सार्वजनिक कार्यों को करने वाले निजी निकायों या धर्मार्थ संस्थानों को भी विनियमित किया जा सकता है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में उसी तरह से।

स्कूली शिक्षा में न्याय यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

संरचना जैसा कि हमारे पास है, राज्य सरकार के बोर्ड संबंधित राज्यों तक सीमित हैं। पूरे भारत में केंद्रीय बोर्ड हैं जिनके संचालन का क्षेत्र है, अर्थात् काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल। प्रमाणपत्र परीक्षा (आई. सी. एस. ई.), एक निजी बोर्ड; अंतर्राष्ट्रीय स्नातक (आई. बी.), जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय के रूप में जाना जाता था।

स्नातक संगठन (आई. बी. ओ.) एक गैर-लाभकारी संस्था/संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है; और सी. बी. एस. ई. [पैरा 106] [1157-डी; 1158-ई-एच]

बिन्नी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. वी. सदाशिवन और अन्य। (2005) 6 एस. सी. सी. 657 पर भरोसा किया। -

1.5 सी. बी. एस. ई. संचालन के लिए एकमात्र केंद्रीय निकाय है

केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाई गई देश में परीक्षाएं। विभिन्न स्तरों पर गठित सभी निकाय न्यायपूर्ण शैक्षिक शासन की दिशा में काम कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 41, एक निर्देश के रूप में, सी. बी. एस. ई. बोर्ड के बुनियादी कामकाज के पीछे का स्रोत है क्योंकि इसमें कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन शिक्षा का अधिकार। यह शैक्षिक मामलों में भाग ले रहा है जो सामाजिक मामलों का एक आंतरिक हिस्सा है। सी. बी. एस. ई. बोर्ड एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जो किसी सार्वजनिक कार्य के निष्पादन के लिए जनहित में कार्य करता है। [पैरा 107] [1159-ए-बी]

1.6 सी. बी. एस. ई./बोर्ड का गठन कार्यप्रणाली पर अंतिम नियंत्रण के रूप में बोर्ड के सार्वजनिक चरित्र की पुष्टि करता है।

बोर्ड का प्रयोग शिक्षा मंत्रालय (अब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों पर लौटते हुए, उन्हें एक कोड के रूप में जोड़ा जाता है। वे औपचारिक शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं का प्रावधान करते हैं।

एक छात्र का प्रवेश, परीक्षा, प्रवास, स्थानांतरण, पाठ्यक्रम, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, सत्यापित जारी करना

प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों में संशोधन आदि। इसलिए ये उपनियम पक्षों को बाध्य करते हैं और अदालत में रिट उपचार के माध्यम से भी विधिवत लागू किए जा सकते हैं। इसे अलग तरह से रखने के लिए, बोर्ड के उपनियमों में कानून की शक्ति है और सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए ऐसा माना जाना चाहिए। राज्य के एक साधन से उत्पन्न होने वाले नियमों के इन आधिकारिक समूह को केवल संविदात्मक शर्तों के रूप में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, भले ही उनके न्यायसंगत अनुप्रयोग में भारी सार्वजनिक हित हो। [पारस 108,109,110] [1159-सी; 1159-एफ-जी; 1160-ए] [2021] 4 एस. सी. आर.

1.7 यह तर्क कि बोर्ड के उपनियम संविदात्मक तत्व हैं क्योंकि सी. बी. एस. ई. एक पंजीकृत सोसायटी है जो एक क़ानून द्वारा समर्थित नहीं है। कम से कम चार कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है-पहला, सी. बी. एस. ई. एक निजी निगम निकाय नहीं है। यह एक न्यायिक व्यक्ति है और इसके भीतर एक "राज्य" है।

अनुच्छेद 12 का अर्थ, जो अपने आप में संवैधानिक रिट न्यायालयों सहित न्यायालयों के लिए अपनी सुविधा प्रदान करता है; दूसरा, सी. बी. एस. ई. बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक कार्य हैं और

निजी कार्य नहीं; तीसरा, "कानून के बल" की कसौटी अपने दायरे में शासन की प्रकृति, शासन पर इसके आधिकारिक प्रभाव को लेती है। विषय, नियम बनाने वाले निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, निकाय की उत्पत्ति, नियमों का बाध्यकारी मूल्य, नियमों के किसी भी प्रतिस्पर्धी समूह का अस्तित्व और चौथा, क़ानून की अनुपस्थिति नियमों को स्वचालित रूप से संविदात्मक शर्तों के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। [पैरा 111] [1160-बी-सी]

1.8 जैसा कि अंतिम विश्लेषण में, उपनियम कानून के रूप में काम करते हैं,

इस न्यायालय की जांच को कृत्रिम रंग देकर कमजोर नहीं किया जा सकता है। सी. बी. एस. ई. में नामांकित छात्र के लिए, उसकी शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटने के लिए उपनियमों के अलावा नियमों का कोई अन्य निकाय नहीं है। अब तक यह एक स्थापित सिद्धांत है कि निगमों, सहकारी समितियों को भी,

पंजीकृत समितियों आदि को राज्य के साधन के रूप में घोषित किया जा सकता है, इसका एकमात्र कारण यह है कि संगठन के बाहरी रूप को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अंतिम संवैधानिक लक्षय को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब भी वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के हाथों पीड़ित होते हैं। न्यायालय को चौकसी के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए, तब भी जब सार्वजनिक निकाय प्राप्त करता है। एक सरकारी संकल्प से इसका अधिकार। [पैरा 112] [1160-डी एफ]

1.9 एक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि न्यायशास्त्र का एक विकसित निकाय है जो यह बताता है कि अनुमान का सिद्धांत

विधियों के साथ जुड़ी संवैधानिकता को उसी जोश के साथ अधीनस्थ विधानों तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि, विधायिका को लोगों की इच्छा का पवित्र समर्थन प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से, विधायिका के प्रत्येक अधिनियम को संवैधानिक माना जाता है। अन्य में

शब्दों में, न्यायालय आम तौर पर विधिवत अधिनियमित कानूनों को पहली नज़र में संदेह के साथ नहीं देखते हैं क्योंकि वे कानूनी अनुमान का आनंद लेते हैं।

इसकी वैधता। फिर भी, न्यायालय की ओर से सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करने का उद्देश्य गारंटी के लिए संवैधानिक संरक्षण को आगे बढ़ाना है-न्याय यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सीबीएसई)

संविधान के भाग-III के तहत। यह तर्क देते हुए कि परीक्षा उपविधि अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" नहीं हैं, यह संविधान के भाग-3 के संदर्भ में उनकी जांच करने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। सी. बी. एस. ई. के रूप में भारत का संविधान अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" है और इसके सभी कार्य परिणामस्वरूप भाग III के अधीन हैं। [पारस 113,114] [1160-एफ-एच; 1161-ए]

क्या सी. बी. एस. ई./बोर्ड के परीक्षा उपनियम लागू होते हैं

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध जिसमें अनुमत सुधारों/परिवर्तनों के दायरे को अत्यधिक सीमित करने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी में विफल होना शामिल है? 2.1 किसी व्यक्ति के मूल अस्तित्व का उदाहरण उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक आत्म-पहचान से मिलता है।

और नाम के रूप में अर्जित पहचान के महत्व के बारे में भी। किसी व्यक्ति की पहचान भारत में संवैधानिक योजना के सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। द.

पहचान की पवित्रता को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के मूल अस्तित्व का उदाहरण उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक आत्म-पहचान से मिलता है। [पैरा 115] [1161-बी-डी]

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ और अन्य। (2014) 5 एस. सी. सी. 438 [2014] 5 एस. सी. आर. 119; नवतेज सिंह जौहर और अन्य। वी. सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (2018) के माध्यम से भारत संघ 10 एससीसी 1: [2018] 7 एससीआर 379; के. एस. पुट्टास्वामी और अनर। वी. भारत संघ और अन्य। (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569-निर्भर

पर।

पहचान के प्रमुख संकेतकों में से एक माना जाए। और इसलिए, एक व्यक्ति को अपने नाम के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए और कानून को उसे बनाए रखने के साथ-साथ "हर समय" स्वतंत्र रूप से इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। इस तरह के नियंत्रण में अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति की एक न्यायपूर्ण कारण के लिए एक अलग नाम से पहचाने जाने की आकांक्षा शामिल होगी। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता में अपनी पसंद के तरीके से अपनी पहचान को कानूनी रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल होगी। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति [2021] 4 एस. सी. आर.

पहचान संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक संरक्षित तत्व है। [पैरा 116] [1162-बी-डी]

2.3 किसी व्यक्ति की पहचान में किसी भी बदलाव को कई चरणों से गुजरना पड़ता है और इसके बिना इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

उन कदमों की उचित पूर्ति। एक व्यक्ति किसी भी समय किसी भी उपाधि या उपनाम के साथ अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन पहचान के परिवर्तन को औपचारिक या कानूनी रूप से तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि राज्य और उसकी एजेंसियां अपने रिकॉर्ड में इसका ध्यान नहीं रखती हैं। आखिरकार, सामाजिक क्षेत्र में, एक व्यक्ति को न केवल इस बात से पहचाना जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान कैसे करता है, बल्कि इसके द्वारा भी पहचाना जाता है। उसके आधिकारिक रिकॉर्ड उसकी पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि, किसी व्यक्ति के प्रत्येक सार्वजनिक लेन-देन में, आधिकारिक रिकॉर्ड व्यक्ति का परिचय देते हैं।

उसके नाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों द्वारा। [पैरा 118] [1162 एफ-जी]

2.4 अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए, आधिकारिक (सार्वजनिक) रिकॉर्ड में नाम बदलने का अधिकार दर्ज किया गया है।

यह एक पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है और सार्वजनिक नीति और व्यापक सार्वजनिक हित के मामले में निरंतरता का पालन करने और भ्रम और भ्रामक प्रयास को दूर करने के लिए कुछ उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। तर्कसंगतता की कसौटी के लिए आवश्यक है कि विवादित कानून को समझदारी से इस तरह से तैयार किया जाए कि वह अपने विषयों पर कानून के अंतिम प्रभाव को उचित ठहराने में सक्षम हो। यदि यह प्रतिबंधित करता है, तो इसे कारण के आधार पर प्रतिबंधित करना चाहिए और यदि यह अनुमति देता है, तो इसे अनुमति देनी चाहिए। कारण का आधार। इसी तरह, यदि कोई कानून एक वर्गीकरण तैयार करता है, तो उसे समझदारी से वर्गीकृत करना चाहिए, यानी तर्क द्वारा समर्थित। तर्क सभी कानूनों की नींव है और उनकी वैधता ठोस कारण की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। समान रूप से महत्वपूर्ण एक वैध वस्तु की उपलब्धता है। तर्कसंगतता का निर्णय मामले के विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है और यह परिभाषा के शब्दों तक ही सीमित नहीं है। [पारस 120,122] [1163-बी, डी-ई]

ओम प्रकाश और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (2004) 3 एस. सी. सी. 402 [2004] 2 एस. सी. आर. 900; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी

पंक्ति, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196-पर निर्भर था।

2.5 उपनियम केवल तभी नाम परिवर्तन की अनुमति देते हैं जब परिणाम के प्रकाशन से पहले न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गई हो। यह बिना किसी पूर्व के नाम परिवर्तन पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है।

प्रकाशन से पहले अनुमति।

यह प्रावधान समस्याग्रस्त जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v है। C.B.S.E। (सीबीएसई)

कुछ मामलों में। सबसे पहले, यह केवल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, यह उम्मीदवार के परिणाम के प्रकाशन के बाद सही पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह परिणाम के प्रकाशन के बाद नाम परिवर्तन की आवश्यकता की संभावना को ध्यान में रखने में विफल रहता है, जिसमें कानून की देरी के कारण अदालत से ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय सीमा की अनिश्चितता भी शामिल है और जिस पर उम्मीदवार का कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि, 2007 में उपनियमों में संशोधन करते समय, सी. बी. एस. ई. ने स्वयं कहा था कि स्कूली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के दौरान बच्चे परिपक्व उम्र के नहीं होते हैं और वे अपनी पहचान से संबंधित मुद्दों पर निर्णायक रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। उपनियम इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जब वे न्यायालय द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन से पहले उससे घोषणा करने का आदेश देते हैं। [पैरा 123] [1164-एफ-एच; 1165-ए]

2.6 बोर्ड के अनुसार, इस कठोरता को बनाए रखने के लिए राज्य का हित प्रशासन की दक्षता के अलावा और कुछ नहीं है।

एक महत्वपूर्ण चिंता होने के बावजूद, प्रशासनिक दक्षता को इस मानक तक नहीं बढ़ाया गया है और न ही बढ़ाया जा सकता है कि इसका उपयोग आवश्यक कार्यों के गैर-प्रदर्शन को उचित ठहराने के लिए किया जाता है।

राज्य की साधनता। बोर्ड प्रमाणपत्रों में अपनी पहचान को बदलना एक छात्र के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव बनाने के लिए प्रशासनिक दक्षता का उपयोग करना, चाहे वह कितना भी जरूरी और महत्वपूर्ण क्यों न हो। यह अत्यधिक असमान होगा और इसे किसी भी तरह से उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। तर्कसंगतता एक छात्र के अपनी पसंद के तरीके से आधिकारिक (सार्वजनिक) रिकॉर्ड में पहचाने जाने के अधिकार और बोर्ड की प्रशासनिक दक्षता के तर्क के बीच एक उचित संतुलन की मांग करेगी। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, बोर्ड के लिए यह खुला रहेगा कि वह मौजूदा नियमों के अनुसार उसके द्वारा संरक्षित पुराने अभिलेखों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए इस तरह के परिवर्तनों की अनुमति देने की संख्या को सीमित करे। लेकिन यह कहना कि परीक्षा परिणामों के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, रिकॉर्ड को बदलने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, पूर्ण निषेध का मामला होगा और उचित प्रतिबंध नहीं होगा। [पैरा 124] [1165-बी-डी]

2.7 अधिकतम अवधि के संबंध में सीमा जिसके लिए परिवर्तनों की अनुमति दी जा सकती है, के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, स्वाभाविक रूप से छात्र को प्रमाण पत्रों के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा।

और असावधानी सहित लापरवाही, एक छात्र त्रुटियों की पहचान करने या उन त्रुटियों के संभावित प्रभाव को समझने में विफल हो सकता है और तदनुसार, तुरंत सुधार के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। यह भी संभव है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद प्रमाणपत्रों का उपयोग नहीं करना पड़े और जब तक वह उनका उपयोग करती है, तब तक सुधार की सीमा अवधि समाप्त हो सकती है। इसलिए, सुधारों की अनुमति देने के लिए एक यथार्थवादी समय बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, यह उस वैधानिक या अनिवार्य अवधि के अनुरूप हो सकता है जब तक कि सी. बी. एस. ई. अपने पुराने रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए बाध्य है। [पैरा 125] [1165-ई-जी]

2.8 किसी भी सामान्य नागरिक अधिकार के मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई निर्धारित में शुरू की जाए।

मौलिक अधिकारों के बारे में भी ऐसा ही है? संविधान के तहत जिन अधिकारों को मौलिक के रूप में मान्यता दी गई है, वे "पसंदीदा या चुनी हुई स्वतंत्रताएँ" हैं और एक बहुत ही संवेदनशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। इस तरह के मामलों में लिया जाना चाहिए। आश्चर्य होता है कि क्या निर्धारित समय बीतने के बाद, मान लीजिए कि 3 साल के बाद, परिवर्तन की गारंटी देने के लिए कोई उचित और वैध परिस्थितियाँ नहीं हो सकती हैं।

नाम। साथ ही, सी. बी. एस. ई. के तर्क में योग्यता है कि लगातार परिवर्तनों की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रशासनिक बोझ के अलावा दुरुपयोग और दुरुपयोग की गुंजाइश है। इस तर्क को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यही चिंता अन्य निकायों पर भी लागू हो सकती है, जैसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पासपोर्ट प्राधिकरण। [पारस 126,127] [1165-जी-एच; 1166 ए-बी]

2.9 जहाँ तक दुरुपयोग के तर्क का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे प्रावधानों के दुरुपयोग के उदाहरण हैं जो पहचान में परिवर्तन की अनुमति देते हैं आपराधिक मामलों में। हालांकि, दुरुपयोग की केवल संभावना बोर्ड को अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। ए.

दुरुपयोग की संभावना का उपयोग नागरिकों को वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। संतुलन इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष में झुकता नहीं है। कानून का पाठ्यक्रम केवल इसलिए अपनी धारा को बदलने का विकल्प नहीं चुन सकता है क्योंकि रास्ते में दुर्व्यवहार की आशंका है। बोर्ड की चिंता केवल कुशल शैक्षिक मानकों को विनियमित करना और बनाए रखना है। यह दंडात्मक प्राधिकरण नहीं है। अगर किसी उपनियमों के प्रावधानों का किसी के द्वारा भी दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, बोर्ड को न्याय यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v से संपर्क करने का अधिकार होगा।

C.B.S.E। (सीबीएसई)

आवश्यक दंडात्मक या दीवानी कार्रवाई के लिए उपयुक्त निकाय। एक नोडल के रूप में

एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई एजेंसी, सी. बी. एस. ई. अपने कार्यों को करते समय उचित सुरक्षा उपायों को रखने के लिए केवल अपने साधनों और संसाधनों का उपयोग कर सकती है। इससे भी अधिक, जब कुछ भी सत्यापित करना बोर्ड का काम भी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन न्यायालय द्वारा अनुमति देने के बाद किए जाते हैं। दिमाग के न्यायिक अनुप्रयोग की भागीदारी है। बोर्ड को केवल अनुमति देने वाले न्यायालय के आदेश को लागू करना होता है, जब भी ऐसा कहा जाता है। चाहे परीक्षा के परिणाम पहले प्रकाशित किए गए हों। [पैरा 128] [1166-सी-एफ]

बोर्ड को स्कूली शिक्षा के सभी संभावित पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए संकल्प और विनियमों के तहत अनुमत सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना, जिनका इसके मानक पर प्रभाव पड़ सकता है। पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, छात्रों को दी जाने वाली सेवाएं, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, संबद्ध स्कूलों पर निगरानी आदि शिक्षा के स्तर को छूते हुए कुछ आवश्यक तत्व हैं। इनका रखरखाव मानकों में नियमों के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होगी और

छात्रों की बदलती जरूरतों और शिक्षा के अंतिम लक्षय के अनुरूप बोर्ड की सेवाएं। [पैरा 129] [1166-जी; 1167-सी डी]

2.11 बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक अपने छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करना है। प्रभावी रखरखाव और विनियमन

शिक्षा के मानक में ऐसे प्रमाण पत्र देने में बोर्ड की पूरी जवाबदेही शामिल होगी और परीक्षा परिणाम के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने के बाद इसका कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। बल्कि, यह छात्रों की प्रकाशन के बाद की चिंताओं का ध्यान रखने तक फैला हुआ है, जब वे उभरते हैं, क्योंकि छात्र अपने प्रमाणपत्रों का उपयोग उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं और

करियर के अवसर। के कार्यों का एक संकीर्ण पठन बोर्ड स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट अंतराल छोड़ देगा और वैध चिंताओं के साथ छात्रों के कल्याण को खतरे में डाल सकता है। [पैरा 130] [1167-ई-एफ] [2021] 4 एस. सी. आर.

2.12 संबंधित उपनियम को इस धारणा पर तैयार किया गया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती है जिसमें एक वैध

परिणाम प्रकाशित होने के बाद छात्र को नाम बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यह माना जाता है कि प्रमाणपत्रों में केवल टाइपोग्राफिक/तथ्यात्मक त्रुटियां आ सकती हैं और उन्हें सुधार के प्रावधान का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यह धारणा गलत, बेतुकी है और सामाजिक वास्तविकताओं से खुद को दूर करती है। ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें नाम का परिवर्तन एक वैध आवश्यकता हो सकती है और अंतिम लक्ष्य को बनाए रखा जा सकता है शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को ऐसे परिवर्तनों को लागू करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। [पैरा 131] [1167-जी-एच; 1168-ए]

2.13 यहाँ दोनों पक्ष-बोर्ड और छात्र-प्रभाव की समान स्थिति में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सुविधा का संतुलन छात्रों के पक्ष में झुक जाएगा। क्योंकि, उन्हें अपने प्रमाणपत्रों में अशुद्धियों के कारण बोर्ड की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी एकमात्र चिंता प्रशासनिक बोझ बढ़ाना है। द.

बोर्ड का अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ उठाने का दायित्व निस्संदेह कठिन है, लेकिन गलत प्रमाण पत्र के कारण एक छात्र की कैरियर के अवसरों को खोने की प्रवृत्ति अद्वितीय है। शैक्षणिक मानकों के रखरखाव से संबंधित बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है।

इसके साथ नामांकन करने वाले छात्रों की पहचान को प्रभावित करने की शक्ति को अपने लिए अभिमानी बनाते हैं। अपनी पहचान को नियंत्रित करने का अधिकार व्यक्ति के पास रहना चाहिए, निश्चित रूप से, उचित प्रतिबंधों के अधीन। [पैरा 132] [1168-बी-सी, ई-एफ] 2.14 बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की उपयोगिता अब केवल शैक्षिक उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है। वे सामाजिक सेवा करते हैं

आज और अक्सर अन्य सरकारी पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय नाम और जन्म तिथि जैसे विवरणों को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करते समय वे अत्यधिक प्रासंगिकता रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सी. बी. एस. ई. ने स्वयं इसके महत्व पर विस्तार से तर्क दिया है और

उनके प्रमाणपत्रों का आधिकारिक मूल्य। ऐसी परिस्थितियों में, परिवर्तन की अशुद्धि या इनकार एक छात्र के लिए घातक हो सकता है।

भविष्य की संभावनाओं और इन सभी चिंताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर।

[पैरा 133] [1168-जी-एच] जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

2.15 उल्लेखनीय है कि संसद पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति भी सचेत है। विभिन्न प्रकार के हैं। वैधानिक अधिनियम जिनके लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं

पहचान में परिवर्तन। सरकार (ओं) नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पहचान रिकॉर्ड को उन्नत करने के अपने कर्तव्य से अवगत है। विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारणों से लेकर जीवन की घटनाओं जैसे विवाह, मृत्यु या प्रवास से उत्पन्न कारणों तक, अधिकारी नागरिकों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहचान की प्रकृति के अनुसार, परिवर्तनों की अनुमति है। यह सभी राज्य उपकरणों का बाध्य कर्तव्य है कि वे नागरिकों द्वारा अधिकारों के प्रयोग में सक्षमकर्ता की भूमिका निभाएं, जिसमें नागरिकों की विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पसंद के कारण उनके रिकॉर्ड को सही करना शामिल है। हालांकि, एक अंतिम विश्लेषण में, कारणों की जांच करने की इस कवायद को अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो परिवर्तनों की अनुमति देने के लिए सशक्त है।

एक विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य। [पारस 134,136] [1169-ए-बी; 1172-ई जी; 1173-ए]

2.16 इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों को सख्ती से पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाता है, हालांकि, सभी शैक्षणिक और कैरियर से संबंधित लेनदेन में पुष्टि के उद्देश्यों के लिए उन पर आधार के रूप में भरोसा किया जा रहा है।

दस्तावेज़। वास्तव में, सी. बी. एस. ई. ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके प्रमाण पत्र सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्भर हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्म तिथि, विशेष रूप से, एक नागरिक की जन्म तिथि के प्राथमिक प्रमाण के रूप में निर्भर है। इसलिए, जहां तक सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में निहित जानकारी का संबंध है, बोर्ड को छात्रों को आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के अधीन इसे संशोधित करने का अवसर देना चाहिए जो प्रकृति में उचित हैं। यदि अन्य सभी राज्य एजेंसियां इसे संरक्षण के लिए अनुमति दे सकती हैं

निरंतरता और सटीकता के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से सक्षम होने के साथ

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भरोसा किए जाने के योग्य छात्र के सटीक और नवीनतम रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। इसलिए, यह दृष्टिकोण दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा-अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग और सटीकता के संरक्षण को सक्षम बनाना। हालांकि, न्यायसंगतता अनुरोधित परिवर्तन निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। कानून [2021] 4 एस. सी. आर. की इकाई द्वारा आवश्यक कर्तव्यों को छोड़ने के कार्य को कोई मान्यता नहीं देता है।

राज्य। आवश्यक सार्वजनिक कार्यों के लिए सौंपा गया निकाय अपनी शक्तियों को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं कर सकता है। [पैरा 137,138,139] [1173-बी ई; जी]

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (1975) 2 एस. सी. सी. 414: [1976] 1 एससीआर 70; जे. के. अग्रवाल बनाम। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड और अन्य। (1991) 2 एससीसी 283: [1990] 3 पूरक। एससीआर

13 – पर भरोसा किया।

2.17 नाम परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सी. बी. एस. ई. की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान, संकल्प और विनियम बोर्ड के कार्यात्मक दस्तावेज हैं और इनमें से कोई भी दस्तावेज ऐसे किसी भी बंधन का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, बोर्ड अपने कर्तव्यों पर बंधन नहीं लगा सकता है ताकि छात्रों के लिए उनके प्रमाण पत्रों को बदलने के वैध कारणों के साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो। इसका अभ्यास

इस नकारात्मक तरीके से विवेकाधिकार मनमाना और अनुचित होगा। [पैरा 139] [1175-सी]

2.18 "परीक्षा परिणामों के प्रकाशन के बाद" नाम परिवर्तन के संबंध में प्रावधान अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है और अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रयोग पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। [पैरा 140] [1175-डी] 2.19 1995 से 2018 तक के परीक्षा उपनियमों के अवलोकन पर, जब वे समय के साथ कई संशोधनों से गुजरे, यह देखा गया है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान संचालित परीक्षा उपनियमों में शायद ही कोई स्थिरता है, या तो अनुमेय परिवर्तनों के दायरे में या इस तरह के परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए प्रदान की गई समय सीमा में। संभवतः, अनुभवों और न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को उपनियमों में बार-बार संशोधन करना पड़ता था, कभी-कभी कुछ और करने और पहले की स्थिति में वापस जाने के लिए। मोटे तौर पर, विश्लेषण से जो धारणा मिली है, वह यह है कि बोर्ड बिना किसी सर्व-उद्देश्य वाली दीर्घकालिक वस्तुनिष्ठ नीति के अंधेरे में टटोल रहा है

अनुमेय परिवर्तनों के संबंध में। [पारस 141,143] [1175 ई-एफ; 1177-ए-बी]

3. सी. बी. एस. ई. इस संबंध में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है -

आधारभूत दस्तावेजों के आधार पर उम्मीदवार स्कूल जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

अभिलेख। इसलिए सी. बी. एस. ई. सभी आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए बाध्य है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र स्कूल रिकॉर्ड में दी गई प्रासंगिक जानकारी के अनुरूप है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था और भविष्य में बदलाव जिसमें सी. बी. एस. ई. द्वारा परिणाम के प्रकाशन के बाद भी शामिल हैं। हालाँकि, जब मूल प्रमाणपत्र में किसी भी जानकारी को दर्ज करने की बात आती है सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी किया गया जो स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, यह आवश्यक है कि सी. बी. एस. ई. को सार्वजनिक दस्तावेज़ का समर्थन करने के लिए जोर देना चाहिए जिसका अनुमानित मूल्य है और इस तरह के परिवर्तन को शामिल करने के लिए अदालत द्वारा दिए गए मामले की घोषणा में।

उस संबंध में, सी. बी. एस. ई. उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार उसके द्वारा शामिल किए गए परिवर्तनों के कारण किसी तीसरे पक्ष/निकाय द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ खुद को आश्वस्त करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकता है। [पैरा 150] [1179-ई-एच]

क्या सी. बी. एस. ई. बोर्ड ऐसा करने के लिए बाध्य है

सार्वजनिक अभिलेखों/दस्तावेजों के सुधार/अद्यतन के कारण इसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन, जिनमें वास्तविकता की वैधानिक धारणा है?

4.1 . उपनियम नाम परिवर्तन या अन्य विवरणों को दर्ज करने के लिए दो-स्तरीय तंत्र प्रदान करते हैं। उनमें से एक अदालत द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूर्व अनुमति या घोषणा है। जहां तक जन्म प्रमाण पत्र, आधिकारिक राजपत्र, आधार कार्ड, चुनाव कार्ड आदि जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों का संबंध है, वे कानूनी हैं।

और 1872 के अधिनियम की धारा 80 और उसी अधिनियम की धारा 81 के तहत सरकारी राजपत्र के मामले में। यहाँ तक कि सार्वजनिक दस्तावेजों से संबंधित अन्य कानून भी ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता को समान महत्व देते हैं, जिसमें उनके दस्तावेजों में परिवर्तन करना भी शामिल है। प्रमाण पत्र जिनका हमने इस निर्णय में उल्लेख किया है। इस प्रकार समझा गया कि सी. बी. एस. ई. बोर्ड के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह उम्मीदवार द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों पर ध्यान न दे और उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उस आधार पर परिवर्तन दर्ज करे, क्योंकि यह भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्वजनिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के साथ पूरी तरह से सुसंगत नहीं है या नहीं।

सी. बी. एस. ई. उन दस्तावेजों को उसके अनुरूप परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए मूलभूत दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करते समय अतिरिक्त शर्तों के लिए जोर दे सकता है और साथ ही मूल प्रविष्टि को बनाए रखते हुए उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में कैप्शन/एनोटेशन के रूप में नोट कर सकता है, जबकि पदधारी को अपने द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र को सरेंडर करने के लिए कह सकता है ताकि किसी भी तरह के बदलाव से बचा जा सके।

बाद में इसका दुरुपयोग करें। सी. बी. एस. ई. के लिए यह अनुमति होगी कि वह आवश्यक घोषणा करने वाले पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र देने और सी. बी. एस. ई. को क्षतिपूर्ति देने के लिए जोर दे। सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में बोर्ड का अस्वीकरण भी हो सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि

परिवर्तन उनके द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के आलोक में पदधारी के कहने पर किया गया है। इसके अलावा, पदधारी को आधिकारिक राजपत्र में परिवर्तन के बारे में सूचित करने और सावधानी के साथ परिवर्तन को दर्ज करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में सार्वजनिक सूचना देने के लिए कहा जा सकता है। [पैरा 152] [1180-डी-एच; 1181-ए-बी]

सिडको बनाम। वसुधा गोरखनाथ मांडेवलेकर (2009) 7 एससीसी 283: [2009] 9 एस. सी. आर. 427-पर निर्भर।

4.2 . जब कोई छात्र पूर्व अनुमति और/या घोषणा के लिए कानून के न्यायालय में आवेदन करता है और सार्वजनिक दस्तावेज (ओं) प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय एक जांच पर प्रवेश करेगा जिसमें कानूनी अनुमान सार्वजनिक दस्तावेज़ों के पक्ष में काम करेगा और अनुमान का खंडन करने या किसी अन्य आधार पर दावे का विरोध करने के लिए परिवर्तन का विरोध करने वाले पक्ष पर बोझ पड़ेगा। दस्तावेज़ की वास्तविकता और इसकी सामग्री के सवाल पर उसी जांच में निर्णय लिया जाएगा और कानून का न्यायालय केवल आधिकारिक रिकॉर्ड की पुष्टि करने और इसकी वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ही वांछित परिवर्तन की अनुमति देगा। साथ ही, अनुरोधित परिवर्तनों की न्यायसंगतता के सवाल पर विचार किया जाएगा और केवल आवश्यकता से संतुष्ट होने पर ही।

छात्र द्वारा प्रदर्शित, न्यायालय अपनी अनुमति देगा। उक्त अनुमति को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति और आवश्यक (निर्धारित) शुल्क (यदि कोई हो) के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है। बोर्ड के पास आगे की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही प्रवेश करने की आवश्यकता होगी।

किसी भी आगे के सत्यापन अभ्यास पर। प्रमाणपत्रों में परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार करते समय, सी. बी. एस. ई. एक अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह न्याय यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सीबीएसई)

उन अनुरोधों के अलावा किसी भी अनुरोध पर प्रभावी रूप से विचार नहीं कर सकते हैं जिनके लिए केवल स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो। [पैरा 156,157] [1183-बी-डी; 1184-बी-सी]

सुबिन मोहम्मद बनाम। भारत संघ 2016 (1) के. एल. टी. 340

- संदर्भित किया गया।

क्या परीक्षा उपनियम सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख से लागू होते हैं या परीक्षा पर विचार करने की तारीख से।

सुधार/परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन प्रासंगिक होगा? और, क्या सुधार या परिवर्तन का प्रभाव, जैसा भी मामला हो, मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव डालेगा?

5.1 . उपनियमों के संदर्भ में माना जाए तो विवाद वास्तव में सरल प्रकृति का है। उपनियम लगातार यह प्रावधान करते हैं कि सीमा की अवधि की गणना परिणाम की घोषणा और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से की जानी है। इसका मतलब है कि परिणाम की घोषणा और प्रमाणपत्रों के प्रकाशन के बाद छात्र के खिलाफ सीमा की अवधि शुरू हो जाती है क्योंकि छात्र को दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में सूचित किया जाता है। मुद्दा। छात्र को अब प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में कहा जा सकता है। इस कानूनी स्थिति का अप्रतिरोध्य परिणाम यह है कि इस तरह की घोषणा/परिणाम के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद उपनियम प्रमाण पत्रों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होंगे। उपनियमों की स्पष्ट भाषा विफल हो जाएगी यदि कोई यह कहता है कि परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन की तारीख पर मौजूद कानून प्रासंगिक होगा। यह प्रमाण पत्रों के सुधार के लिए सीमा की अवधि होने के बहुत महत्व को नकार देगा। [पैरा 159] [1185-एफ-एच; 1186-ए]

कल्पना ठाकुर और अन्र। वी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ए. एन. आर (2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12156 और वैष्णव @विष्णु विश्वम वी. वी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य। (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 39806-संदर्भित।

5.2 . यदि उपनियमों की प्रयोज्यता की सीमा होनी थी

सुधार/परिवर्तन के लिए आवेदन की तारीख से गणना की जाती है न कि सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की तारीख से, [2021] 4 एस. सी. आर.

यह चीजों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देगा। [पैरा

160] [1186 - बी]

5.3 . एक बार जब सी. बी. एस. ई. के दस्तावेजों में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तन दिए गए हैं।

पूर्वव्यापी प्रभाव। परिवर्तन वास्तव में संभावित हैं और यह दर्शाते हैं कि उपनियमों में एक उपचारात्मक उपाय प्रदान किया गया है, जैसा कि वर्तमान में मौजूद है। वे बदले गए विवरणों के साथ इस तरह के परिवर्तन की तारीख के साथ एक कैप्शन/एनोटेशन जोड़ने की आवश्यकता के लिए प्रदान करते हैं ताकि प्रमाण पत्र के भीतर इंगित किया जा सके कि परिवर्तन प्रमाण पत्रों के प्रकाशन की तारीख के बाद की तारीख को किए गए हैं। कैप्शन/एनोटेशन की आवश्यकता वास्तव में उपयोग को रोकने के लिए एक पर्याप्त सुरक्षा है

बाद में दस्तावेजों को अपरिवर्तित मूल रिकॉर्ड के रूप में बदल दिया गया। [पैरा 161] [1187-ए-सी]

रायन चावला बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्र. 275 (2020)

डी. एल. टी. 314-संदर्भित।

क्या सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों में सुधार करने के लिए जारी की गई अनिवार्यता की रिट स्पष्ट प्रावधानों में निहित हो सकती है। उपनियमों की वैधता की जांच किए बिना परीक्षा उपनियम?

6.1 . उच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, विधिवत रूप से भाग-III के आलोक में किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति के साथ निहित हैं।

ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद, यदि वे ऐसा नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, उसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दावों की सच्चाई में गए बिना और पर्याप्त रूप से यह बताए बिना कि मामले में असाधारण व्यवहार की आवश्यकता क्यों है, सार्वजनिक प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से यांत्रिक निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं। [पैरा 165] [1190 डी]

6.2 . न्यायालयों को परिवर्तनों की अनुमति देने से पहले तत्काल तथ्यात्मक स्थिति के प्रति अधिक सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। दो नहीं।

नाम बदलने या जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध हो सकते हैं

उसी न्यायिक दृष्टि से देखा जाता है। कभी-कभी, नाम बदलना एक आवश्यकता हो सकती है, कभी-कभी यह बिना किसी आवश्यकता के स्वतंत्र इच्छा का एक शुद्ध अभ्यास हो सकता है। जब तक उपनियम या

लागू नियम इसकी अनुमति देते हैं, तब तक किसी भी अदालत के लिए इस तरह की राहत से इनकार करने का कोई अवसर नहीं है।

लेकिन जब उपनियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो न्यायालय जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

निर्देश जारी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी उपनियमों की वैधता पर टिप्पणी किए बिना और बिना

उन अधिकारों का प्रदर्शन करना जो दांव पर हैं-संवैधानिक या कानूनी। [पैरा 166] [1191-ए-बी]

सीबीएसई के लिए निर्देश

7.1 . अंतिम विश्लेषण में समाधान की आवश्यकता वाला वास्तविक विवाद सुधार या परिवर्तन की प्रकृति के बारे में है, क्योंकि इस मामले में सी. बी. एस. ई. द्वारा ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

पूर्व छात्र सहित छात्र। मोटे तौर पर, दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। [पैरा 169] [1194-ई-एफ]

7.2 . पहला यह है कि पदधारी चाहता है कि सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में "सुधार" किया जाए।

विद्यालय अभिलेखों में उल्लिखित विवरण। सी. बी. एस. ई. के लिए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने या किसी भी पूर्व शर्त को संलग्न करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय सीमा की उचित अवधि के और उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सी. बी. एस. ई. को मौजूदा नियमों के तहत अपना रिकॉर्ड बनाए रखना है। ऐसा करते समय, यह निश्चित रूप से पदधारी द्वारा अन्य शर्तों के अनुपालन के लिए जोर दे सकता है, जैसे कि, आवश्यक घोषणा करते हुए शपथ पत्र दायर करना और इस तरह के सुधार के कारण तीसरे पक्ष द्वारा इसके खिलाफ किसी भी दावे से सी. बी. एस. ई. को क्षतिपूर्ति करना। सी. बी. एस. ई. के लिए जोर देना उचित होगा

आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र के साथ इसे बदलने के लिए उसके द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र (या डुप्लिकेट मूल प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो) का समर्पण/वापसी।

प्रमाण पत्र। सी. बी. एस. ई. नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के बदले में पदधारी द्वारा उचित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर भी जोर दे सकता है। साथ ही, सी. बी. एस. ई. सुधार के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त लागू नहीं कर सकता है। परिणाम के प्रकाशन से पहले ही स्कूल रिकॉर्ड करता है। ऐसी स्थिति अनुचित और अत्यधिक होगी। यदि सुधार दर्ज करने के लिए आवेदन स्कूल के रिकॉर्ड पर आधारित है क्योंकि यह [2021] 4 एस. सी. आर.

परिणाम के प्रकाशन और सी. बी. एस. ई. द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के समय प्राप्त, यह सी. बी. एस. ई. के लिए उचित सीमा अवधि प्रदान करने के लिए खुला होगा जिसके भीतर रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन किया जाएगा।

उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यदि परिवर्तन दर्ज करने का अनुरोध परिणाम के प्रकाशन और जारी होने के बाद बदले गए स्कूल रिकॉर्ड पर आधारित है

उसके मामले में। यदि वह विद्यालय के अभिलेखों में सुधार के लिए ऐसा आवेदन करती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय के अभिलेखों में संशोधन के तुरंत बाद सी. बी. एस. ई. में आवेदन करेगी और जो उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह सी. बी. एस. ई. के लिए खुला होगा कि वह इस अवधि के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दे। मौजूदा नियमों के तहत आधिकारिक रिकॉर्ड का संरक्षण समाप्त हो गया था और संबंधित उम्मीदवार का कोई रिकॉर्ड पता लगाने योग्य नहीं है या इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है। स्कूल अभिलेखों के बाद के संशोधन के मामले में, यह नाम परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की गई पसंद सहित विभिन्न कारणों से हो सकता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार दर्ज करने का अनुरोध, इसे पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप लाने के लिए, सीबीएसई के परीक्षा परिणाम के प्रकाशन से पहले किए गए आवेदन तक सीमित नहीं होना चाहिए। [पैरा 170] [1194-एफ-एच; 1195-ए-एच]

7.3 . जहां तक सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विवरणों के "परिवर्तन" के अनुरोध का संबंध है, यह अनुमान लगाया जाता है कि विवरण

सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में दर्ज किए जाने का इरादा स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है। इस तरह का अनुरोध दो अलग-अलग स्थितियों में किया जा सकता है। पहला जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/चुनाव कार्ड आदि जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर और उसके अनुरूप सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में परिवर्तन को शामिल करना है।

दूसरी संभावना यह है कि जब परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाना है बाद में पसंद के अनुसार अर्जित नाम। उस परिवर्तन से संबंधित सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता नहीं है

उम्मीदवार।

[पैरा 171] [1196-ए-बी] जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

7.4 . पहली श्रेणी की ओर लौटते हुए, 1872 के अधिनियम में परिकल्पित सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में एक कानूनी धारणा है। इसलिए ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों को सीबीएसई द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई कर सकता है

सी. बी. एस. ई. द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि घोषणा सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना और सी. बी. एस. ई. को क्षतिपूर्ति करना और प्रशासनिक शुल्क के बदले निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। खर्च। सी. बी. एस. ई. सार्वजनिक सूचना जारी करने पर भी जोर दे सकता है।

और आवेदक द्वारा मूल प्रमाण पत्र (या मूल प्रमाण पत्र की नकल, जैसा भी मामला हो) के समर्पण/वापसी पर उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में परिवर्तन को दर्ज करने से पहले आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन। नए प्रमाणपत्र में मूल प्रविष्टि के खिलाफ अस्वीकरण और शीर्षक/एनोटेशन हो सकता है।

(अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन के संबंध में छोड़कर

भूल गए)। [पैरा 171] [1196-सी-एफ] 7.5 . हालांकि, बाद की स्थिति में जहां परिवर्तन बिना किसी नए अधिग्रहित नाम के आधार पर किया जाना है

सहायक विद्यालय अभिलेख या सार्वजनिक दस्तावेज, उस अनुरोध पर उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व अनुमति/घोषणा के लिए जोर देने और मूल प्रमाण पत्र (या डुप्लिकेट) के समर्पण/वापसी सहित आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन पर विचार किया जा सकता है।

मूल प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो) सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी किया गया और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर। अन्य प्रमाण पत्रों की तरह नया प्रमाण पत्र

ऊपर उल्लिखित स्थितियों में, मूल प्रविष्टि (भूल जाने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन के संबंध को छोड़कर) को बनाए रखें और जिस तारीख को इसे दर्ज किया गया है उसे दर्शाने वाले शीर्षक/एनोटेशन और सी. बी. एस. ई. के अस्वीकरण सहित अन्य विवरण डालें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीएसई की आवश्यकता नहीं है

न्यायनिर्णायक के पास न ही आवेदक के दावे की शुद्धता को सत्यापित करने का तंत्र है। [पैरा 171] [1196-जी-एच; 1197-ए-बी] [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. उपरोक्त के आलोक में, पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

प्रासंगिक उपनियमों के संशोधन तक लागू। इसके अतिरिक्त, सी. बी. एस. ई. अपने प्रासंगिक उपनियमों में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा ताकि रिकॉर्डिंग के लिए उल्लिखित तंत्र को शामिल किया जा सके। इसके द्वारा पहले से जारी या जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में, जैसा भी मामला हो, सुधार या परिवर्तन। [पैरा 172] [1197-बी-सी]

असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम। मो. सरिफुज़ ज़मान और ओआरएस। (2003) 12 एस. सी. सी. 408 [2003] 6 पूरक।

एससीआर 1273-प्रतिष्ठित।

एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. वी. संजीव @बिट्टू (2005) 5 एससीसी 181 [2005] 3 एससीआर 151; संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. (2019) 12 एससीसी 370: [2019] 9 एससीआर 735; सोमदेव कपूर बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। (2014) 14 एस. सी. सी. 486 [2013] 10 एस. सी. आर. 452 और केरल राज्य और अन्य। वी. पलक्कड़ हेरिटेज होटल (2017) 13 एस. सी. सी. 672: [2017] 3 एससीआर 239 -

संदर्भित किया गया।

ध्रुव पराटे बनाम। सी. बी. एस. ई और ए. एन. आर. आई. एल. आर. 2009 बनाम दिल्ली 371; मजहर सलीम चंद्रोथ (माइनर) थ्री. सलीम

चंद्रोथ (पिता और प्राकृतिक संरक्षक) v. केंद्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [दिल्ली का निर्णय]

एल. पी. ए. 315/2017 में उच्च न्यायालय; अभिषेक कुमार @बाल किशन बनाम। भारत संघ और अन्य। (2014) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3459; कबीर जैसवाल बनाम। भारत संघ और अन्य। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 1488-संदर्भित।

यॉर्क निगम बनाम। हेनरी लीथम एंड संस लिमिटेड, (1924) 1 सीएच 557; आयर हार्बर का मामला, (1883) 8 ऐप 623; स्ट्रैफोर्डशायर और वॉरसेस्टरशायर कैनाल नेविगेशन बनाम। बर्मिंघम कैनाल नेविगेशन, 1866 एल. आर. 1 एच. एल. 254; और साउथेंड-ऑन-सी कॉर्पोरेशन बनाम। हॉजसन (विकफोर्ड) लिमिटेड, 1961 2 सभी ई. आर. 46-संदर्भित।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सीबीएसई)

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

उस पर भरोसा करें

[1976] 1 एससीआर 70

पैरा 9

[1990] 3 पूरक। एससीआर 13

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2019] 9 एससीआर 735

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1273

पैरा 25

प्रतिष्ठित

[2013] 10 एससीआर 452

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2017] 3 एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

(2005) 6 एस. सी. सी. 657

उस पर भरोसा करें

पैरा 106

[2014] 5 एससीआर 119

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

[2018] 7 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

[2017] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

[2004] 2 एससीआर 900

उस पर भरोसा करें

पैरा 122

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1952 एस. सी 196

पैरा 122

[2009] 9 एससीआर 427

उस पर भरोसा करें

पैरा 153

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3905

2011 से।

उच्च न्यायालय के 20.12.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की रिट याचिका संख्या 3774 में दिल्ली सरकार की ओर से।

के साथ

सिविल अपील सं। 3572 वर्ष 2019,1822,1823,1824,1825,1826,

1827 , 1828 , 1829 , 1830 , 1831 , 1832 , 1833 , 1834 , 1835 , 1836 , 1837 , 1838 , 1839 , 1840 2021 और टी. पी. (ग) संख्या। 1139-1140 2020 से।

सुश्री इंदिरा उन्नीयार, संजय जैन, रुपेश कुमार, राजीव शर्मा,

सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, अलेक्जेंड्रा शर्मा, प्रवेश बहुगुणा, सोमनाथ पधन, सुश्री अर्चना पाठक दवे, कुमार प्रशांत, सुश्री वन्या गुप्ता, प्रमोद विश्नोई, सुशील कुमार शर्मा, पहलाद सिंह शर्मा, कृष्ण कांत शुक्ला, डॉ. एन. प्रदीप शर्मा, किरण कुमार पात्रा, राम लाल रॉय, जी. प्रकाश, सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, जिष्णु एम. एल., के. पी. राजगोपाल, जैमन एंड्रयूज, पियो हैरोल्ड जैमन, संदीप ठाकुर, फरीद अब्बास, नरेश [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुमार, रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, बीजू विग्नेश्वर, सुश्री सुरभी संतोष, अरुण पूमुली, सुश्री मीरा एम., आभास क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ झा, गजाब सिंह चौहान, पी. ए. नूर मुहम्मद, सुश्री गिफारा एस., बिलाल नियामातुल्ला, सुश्री रुक्साना पी. एन., अनिल सोनी, हरीश पांडे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. " नाम में क्या है? जिसे हम गुलाब कहते हैं

नाम की खुशबू उतनी ही मीठी होगी ", जूलियट ने कहा। विलियम शेक्सपियर की "रोमियो एंड जूलियट" का यह उद्धरण निर्विवाद रूप से शास्त्रीय साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक है। यह बताता है कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषताएँ उसकी कृत्रिम/अर्जित विशेषताओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक काव्यात्मक कथन जैसा कि यह निश्चित रूप से है, यह किसी व्यक्ति के सामाजिक लेन-देन में उसकी पहचान को चिह्नित करने में नाम के महत्व के अनुरूप नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो नाम पहचान का एक आंतरिक तत्व है।

2. इन मामलों में मूल मुद्दा यह है: क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विशिष्ट आधार पर पहचान के ऐसे प्रमुख तत्व पर किसी व्यक्ति के नियंत्रण से उसे वंचित किया जा सकता है

कि 2007 2 के परीक्षा उपनियमों को उम्मीदवार के दावे पर प्रबल होना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल इस तरह के दावे को विनियमित करना और उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की सामग्री में सुधार/परिवर्तन की प्रक्रिया को चित्रित करना है, जिसमें उसके कार्यालय रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में भी शामिल है?

3. सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से उन सुधारों/परिवर्तनों को प्रतिबंधित करते हैं जिन्हें सी. बी. एस. ई. में किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आवश्यकता-आधारित अनुरोधों वाले विभिन्न छात्रों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप असंगत परिणाम सामने आए, जिससे अपीलों का यह समूह सामने आया। इस तथ्य के अलावा कि फैसलों ने परस्पर विरोधी परिणाम दिए हैं, याचिकाएं सीबीएसई की संवैधानिक वैधता पर कुछ अजीब सवाल उठाती हैं।

उपनियमों की जांच (समय-समय पर संशोधित) और उनकी व्याख्या।

4. वर्तमान मामले में 22 याचिकाओं का एक समूह शामिल है जिसमें

नाम/उपनाम/जन्म तिथि में सुधार/परिवर्तन से संबंधित प्रश्न

1 संक्षेप में, "सी. बी. एस. ई". या "बोर्ड", जैसा भी मामला हो, संक्षिप्त में 2 हो सकते हैं, "उपनियम" न्याय यादव (लघु) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में उम्मीदवारों या उनके माता-पिता को शामिल किया गया है। 5. चुनौती के सटीक दायरे की पहचान करने के लिए, अब हम व्यक्तिगत याचिकाओं में तथ्यात्मक मैट्रिक्स को चित्रित कर सकते हैं।

सिविल अपील सं। 3905 2011 का

6. इस मामले में अपीलार्थी सुश्री जिज्ञासा यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. में दिनांक 20.12.2010 के फैसले पर आपत्ति जताई है। (ग) नहीं।

अनजाने में, और उन्होंने दसवीं कक्षा से पहले सुधार करने का अवसर होने के बावजूद जानबूझकर उक्त नामों को चुना और बनाए रखा था। यह देखा गया इस प्रकार:

याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र में "हरि सिंह" और "ममता" के रूप में उनके नामों का उल्लेख करने के बाद, उन्होंने जानबूझकर और लगातार स्कूल के रिकॉर्ड में "हरि सिंह यादव" और "ममता यादव" के रूप में अपने नाम दर्ज करने का विकल्प चुना है। नतीजतन, हमारी राय है कि वर्तमान याचिका में इस न्यायालय को संवैधानिक वैधता की चुनौती से नहीं निपटना चाहिए क्योंकि यह याचिकाकर्ता के माता-पिता हैं जो दोषी हैं और त्रुटि, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा कई मौकों पर दोहराई गई है। स्वयं। वास्तव में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता की गलती के लिए, प्रतिवादी नं.

1 इसे अलग नहीं किया जा सकता है "।

हालाँकि, न्यायालय ने एक टालने योग्य टिप्पणी की कि जाति-आधारित आरक्षण वाले देश में नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

आसानी से अनुमति दी गई। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. हमारा यह भी विचार है कि एक ऐसे देश में जहां जाति और धार्मिक आधार पर आरक्षण है, माता-पिता या वार्ड के नाम बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने तब कहा कि उपनियम 69.1 सी. बी. एस. ई. को केवल रिकॉर्ड को अनुरूप लाने की सीमा तक सुधार करने की अनुमति देता है

स्कूल रिकॉर्ड के साथ। पैराग्राफ 21 में, न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख किया:

" 21. यहां तक कि अगर किसी को उपरोक्त परीक्षण को लागू करना था, तो भी वह पाता है कि प्रतिवादी नहीं। 1 अनिवार्य रूप से जो उल्लेख किया गया है उसे दर्ज करता है स्कूल रिकॉर्ड में लगातार और वह भी, दसवीं कक्षा तक, इसका मतलब है कि 10 साल से अधिक समय तक बच्चे और/या उसके माता-पिता को रिकॉर्ड को सुधारने की स्वतंत्रता है। नतीजतन, हमारी राय है कि विवादित अलविदा कानून पूरी तरह से उचित है।

समापन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहना चाहिए और देने से बचना चाहिए।

वैधानिक नियमों/उपनियमों की एक विस्तृत व्याख्या क्योंकि यह प्रणाली को अव्यवहारिक बना सकती है। पैराग्राफ 22 में उल्लेख किया गया है:

" 22. इसके अलावा, हमारा विचार है कि न्यायालय को तकनीकी विशेषज्ञता और शैक्षणिक संस्थानों और उन्हें नियंत्रित करने वाले विभागों के वास्तविक दिन-प्रतिदिन के काम करने का समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर लोगों द्वारा तैयार किए गए विचारों की तुलना में शैक्षणिक मामलों के संबंध में अपने स्वयं के विचारों को बदलने में अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए। यह.

न्यायालय के लिए इस प्रकृति की समस्याओं के लिए एक पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना पूरी तरह से गलत होगा, जो प्रणाली के काम करने में शामिल वास्तविक वास्तविकताओं और जमीनी समस्याओं से अलग होगा और उन परिणामों से बेपरवाह होगा जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण के सामने आने पर उत्पन्न होंगे। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को, जहां तक संभव हो, किसी वैधानिक प्रावधान, नियम या उप-कानून के किसी भी निर्णय या व्याख्या से बचना चाहिए जो प्रणाली को व्यवहार में अव्यवहारिक बनाने का परिणाम

प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवाद किया गया नं। 1 अपने जवाबी हलफनामे में "।

7. निर्णय पर जोर देते हुए, अपीलार्थी का तर्क है कि उपनियम 69.1 (2007 के संशोधन के बाद) अनुचित और मनमाना होने के कारण अमान्य है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है,

क्योंकि यह उन सुधारों के अलावा अन्य सुधारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जो न्याय यादव (लघु) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) V. लाने के लिए आवश्यक हैं।

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप दस्तावेज। यह तर्क दिया जाता है कि संशोधित उपनियम स्कूल रिकॉर्ड में ही त्रुटि की संभावना को संबोधित नहीं करता है, और छात्र को स्कूल रिकॉर्ड में माता-पिता द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने का कोई अवसर नहीं देता है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि उसके कारण होने वाली कठिनाई अनुच्छेद 19 (1) (जी) में गारंटीकृत उसके अधिकार, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान व्यक्त करने के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

8. लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलकर्ता ने आग्रह किया है कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र बोर्ड के सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं और वे एक धारणा रखते हैं।

वास्तविकता जिसका ऐसे प्रमाणपत्रों की सटीकता को संरक्षित करके सम्मान किया जाना चाहिए। यह भी आग्रह किया जाता है कि 2007 के उपनियम स्कूल रिकॉर्ड को सार्वजनिक दस्तावेजों से ऊपर रखें जो वास्तविकता की धारणा रखते हैं। भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 के अधीन। इस प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, यह कहा गया है कि यह सी. बी. एस. ई. के उद्देश्यों के विपरीत होगा यदि यह आयोग की वास्तविकता को सत्यापित करने के बावजूद अपने दस्तावेजों को सही करने से इनकार कर देता है।

सार्वजनिक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र आदि) का समर्थन करना और स्कूल के अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटियों को बनाए रखना जारी रखना। 9. अपीलार्थी ने आगे कहा है कि उपनियम 69.1 में इस तरह से संशोधन करके, सी. बी. एस. ई. ने विनियमन 10 का उल्लंघन किया है और

सी. बी. एस. ई. का उद्देश्य स्वयं को प्रमाणपत्रों में त्रुटियों को सुधारने और सटीक प्रमाणपत्र जारी करने में असमर्थ बनाना है, जो बोर्ड का एक बुनियादी कार्य है। अपीलार्थी ने कहा कि सी. बी. एस. ई. ने अपनी सीमा पार कर ली है। उक्त संशोधन को प्रभावी करके शक्तियाँ क्योंकि इसका उद्देश्य कभी भी अपने मूल कर्तव्यों पर बंधन लगाने के ऐसे अधिकार का प्रयोग करना नहीं था। रिलायंस रहा है

ध्रुव पराटे बनाम सी. बी. एस. ई. और Anr.4, एन. सी. टी. दिल्ली राज्य और ए. एन. आर. बनाम संजीव @बिट्टू ', भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड और जे. के. अग्रवाल बनाम हरियाणा सीड्स विकास निगम लिमिटेड और अन्य। ' यह आग्रह करने के लिए कि सी. बी. एस. ई. इस तरह से एक स्व-थोपी सीमा के साथ अपनी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता है।

10. अपीलार्थी ने आगे कहा है कि विवादित निर्णय गलती से मामले के विषय को जाति-आधारित से जोड़ता है। आरक्षण जो न्यायालय के प्रति रूढ़िवादी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं

3 संक्षेप में, "1872 अधिनियम" 4 आई. एल. आर. 2009 बनाम दिल्ली 371 5 2005 (5) एस. सी. सी. 181 6 1975 (2) एस. सी. सी. 414 71991 (2) एस. सी. सी. 283 [2021] 4 एस. सी. आर.

उसका कारण। अपीलार्थी दसवीं कक्षा से पहले अभिलेखों को ठीक करने में विफल रहने में अपीलार्थी के माता-पिता के गलत आचरण के बारे में टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताता है। यह कहा गया है कि विवादित निर्णय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि माता-पिता के पास 11 वीं कक्षा में आवेदन पत्र को सही करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि यह आवश्यक रूप से परिवर्तन के विकल्प की पेशकश किए बिना 10 वीं कक्षा के विवरण को दर्शाता था।

11. जवाब में, बोर्ड ने यह प्रस्तुत करने के लिए उपनियम 69.1 पर भरोसा किया है कि सुधार के लिए अपीलार्थी के अनुरोध पर विचार किया गया था और

प्रमाणपत्रों को स्कूल के अभिलेखों के साथ मिलान करते हुए पाया गया और इस प्रकार, सुधार के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन से पहले उपनियम 69.1 ने न्यायालय द्वारा सुधार अनुमोदन और राजपत्र में अधिसूचना के लिए एक अलग प्रक्रिया की अनुमति दी थी। इस प्रक्रिया के तहत, परिणाम की घोषणा के दस साल से अधिक समय के बाद भी, नाम/उपनाम में सुधार के लिए कई मामले दायर किए गए और अनुमति प्राप्त करने के लिए अदालतों से लगातार संपर्क किया गया। सुधार किया गया। नतीजतन, विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद भी छात्रों की पहचान में बदलाव करने की बोर्ड की शक्ति पर सवाल उठाए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न न्यायालयों ने भी अप्रसन्नता व्यक्त की और उपनियम 69.1 को फिर से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। परिणामस्वरूप, 2007 का संशोधन केवल स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप प्रमाण पत्र लाने की सीमा तक सुधार की अनुमति देने के लिए किया गया था।

12. उपरोक्त निवेदन को समर्थन देने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि सी. बी. एस. ई., सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त समिति होने के नाते, 1860 , अपने नियमों, विनियमों और उपनियमों को बनाने, संशोधित करने या हटाने की शक्ति रखता है। तदनुसार, उपनियम 69.1 को मूल अभिलेख के रूप में संशोधित किया गया था।

एक छात्र का विवरण स्कूल द्वारा रखा जाता है और बोर्ड के पास स्कूल के रिकॉर्ड पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के माता-पिता के पास स्कूल रिकॉर्ड को सही करने का पर्याप्त अवसर था और वे

उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। वास्तव में, प्रतिवादी आगे कहता है, उन्होंने समय-समय पर सभी स्कूल प्रपत्रों में अपने नामों का एक ही विवरण बार-बार भरा। 13. बोर्ड ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ भी दायर की हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड के परीक्षा उपनियम वैधानिक प्रकृति के हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड को दी गई शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था

दिनांकित 1.7.1929 और उपनियमों से विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तर्क के संबंध में, बोर्ड

उसने प्रस्तुत किया है कि किसी व्यक्ति की पसंद के अनुसार पहचाने जाने का मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है कि बदली हुई पहचान जन्म से ही सक्रिय होनी चाहिए, जिससे वैधानिक निकायों सहित सभी को उनके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह आग्रह किया जाता है कि कोई भी अन्य दृष्टिकोण स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा और विभिन्न स्तरों पर गंभीर भ्रम पैदा करेगा। इस स्थिति का समर्थन करने के लिए रिलायंस को रायन चावला बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और Anr.[3] पर रखा गया है। 14. बोर्ड ने आगे कहा है कि नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रतिबंध/शर्तें उचित हैं क्योंकि सभी विवरण हैं

प्रवेश के विभिन्न चरणों में छात्रों/माता-पिता द्वारा प्रदान किया जाता है जो वास्तविकता की प्रथम दृष्टया गारंटी प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लापरवाही से नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन गंभीर हो सकता है

परिणाम-रोजगार के लिए दुरुपयोग, अभियुक्त की उम्र में हेरफेर करना आदि। रिलायंस को संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र पर रखा गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए। 15. लिखित प्रस्तुतियाँ 2007 के उपनियमों की प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के प्रश्न पर भी स्पर्श करती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित

तारीख दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख होगी न कि परिवर्तनों के लिए आवेदन करने की तारीख। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका का उपाय सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि आमतौर पर, छात्र अपने दावे का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र दस्तावेजों के साथ आते हैं और रिट अदालतों से भरोसेमंद दस्तावेजों से संबंधित विवादित तथ्यों पर निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, यह कहा गया है कि सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के पक्ष में अनुमान के बावजूद, उन्हें 1872 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उनका खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सिविल अपील सं। 3572 2019 का

16. इस अपील में, अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने एल. पी. ए. संख्या 128/में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.2.2019 के फैसले पर हमला किया है।

2017 , डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलटना। (ग) सं. 6996/2016, जिसमें प्रत्यर्थी (छात्र के पिता) की प्रमाण पत्र में मां का नाम बदलने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। उत्तरदाता

8275 (2020) दिल्ली लॉ टाइम्स 314 9 9 (2019) 12 एससीसी 370 [2021] 4 एस. सी. आर.

उसने सी. बी. एस. ई. में माँ का नाम "किरण खान" से "फकीहा खान" में बदलने के लिए आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि "किरण खान", माँ का उपनाम होने के कारण, 2005 में कक्षा I में प्रवेश के समय छात्रा के स्कूल रिकॉर्ड में अनजाने में दर्ज किया गया था।

17. डिवीजन बेंच ने मुख्य रूप से इस आधार पर अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि कथित परिवर्तन केवल नाम का सुधार था न कि परिवर्तन।

उपनियमों के नियम 69.1 (i) और 69.1 (ii) (2015 में संशोधित) की भाषा के अनुसार नाम का निर्धारण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अदालत ने छात्र के जन्म प्रमाण पत्र, मां के शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि पर भरोसा किया, जिससे पता चला कि इन सभी दस्तावेजों में मां का नाम "फकीहा खान" के रूप में दर्ज किया गया था और माता-पिता की ओर से स्कूल फॉर्म भरते समय मां के उपनाम का उपयोग करना एक अनजाने में हुई गलती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला न तो नियम 69.1 (i) के अनुसार नाम परिवर्तन है और न ही नियम 69.1 (ii) के अनुसार टाइपोग्राफिक प्रकृति का सुधार है। यह विवादित निर्णय के पैराग्राफ 4 को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

" 4. विभिन्न पहलुओं और अभिलेख पर स्वीकृत तथ्यात्मक परिप्रेक्षय पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि हाथ में मामला, नाम के किसी भी परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि मां के नाम में केवल एक सुधार है।

बच्चा सुश्री फिल्जा खान। जाहिरा तौर पर, माँ के उपनाम "सुश्री किरण खान" का उल्लेख करने में एक अनजाने में हुई गलती

वर्ष 2005 में प्रवेश प्रपत्र, प्रत्यर्थी संख्या 2 स्कूल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 बोर्ड को प्रेषित किया गया। आवेदन किया गया याचिकाकर्ता द्वारा नाम के किसी भी परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि, प्रवेश पत्र में माँ का नाम "फकीहा खान" के बजाय "किरण खान" के रूप में उल्लेख करने में अनजाने में हुई गलती को सुधारने के लिए, जो तथ्य, निर्विवाद रूप से, दिनांकित 17.12.02 जन्म प्रमाण पत्र से समर्थन पाता है, जिसकी प्रति अनुलग्नक-P1 के रूप में रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस जन्म प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सुश्री फिल्जा खान का जन्म याचिकाकर्ता और सुश्री फकीहा खान से हुआ था। द.

आवेदक ने अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा है, जैसे कि मां फकीहा खान के शैक्षिक प्रमाण पत्र, उनका पासपोर्ट।

आदि, जो दर्शाते हैं कि उनका नाम हमेशा फकीहा खान था। इस प्रकार, यह अपीलार्थी की बेटी के परीक्षा प्रपत्र को भरने के बाद मां का नाम बदलकर किरण खान करने का मामला नहीं है। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता फिल्जा खान की बेटी से संबंधित दस्तावेजों में भी, जैसे कि उसके जन्म

प्रमाण पत्र में, मां का नाम "फकीहा खान" जिज्ञासा यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरी सिंह) V. के रूप में दर्ज किया गया है।

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और "किरण खान" नहीं। इस प्रकार, मामला निश्चित रूप से नाम परिवर्तन का मामला नहीं है जैसा कि नियम 69.1 (i) के तहत विचार किया गया है। यह है।

वर्तनी त्रुटियों और तथ्यात्मक में सुधार का मामला भी नहीं है

नियम 69.1 (ii) के तहत विचार की गई टंकण संबंधी त्रुटियाँ। यह मामला पूरी तरह से प्रवेश पत्र में मां के नाम का उल्लेख करने में एक अनजाने में हुई गलती के आधार पर आधारित है, जिसे बहुत पहले वर्ष 2005 में कक्षा-I में बच्चे के प्रवेश के समय भरा गया था। ..... "

अदालत, मजहर सलीम चंद्रोथ (नाबालिग) थ्री पर भरोसा करती है। सलीम चंद्रोथ (पिता और प्राकृतिक संरक्षक) बनाम केंद्रीय

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड "ने यह भी कहा कि अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) के परीक्षा उपनियम वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं। अलग होने से पहले, न्यायालय ने आगे कहा कि केवल प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बोर्ड द्वारा सुधार या नाम परिवर्तन से जुड़े मामलों में एक प्रतिबंधात्मक और सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। इसमें इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" 6. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में उम्मीदवार या उसके माता-पिता के नाम में परिवर्तन या सुधार के मामले में सख्त और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाने को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि इस तरह के परिवर्तन, जब बाद में किए जाते हैं, तो उनकी पहचान के बारे में सभी संबंधित लोगों को गुमराह करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवार। इस तरह के सख्त और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को केवल कुछ प्रशासनिक असुविधा के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद

सभी, प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी लागतों को पूरा करने के लिए शुल्क लेता है

इस तरह का अभ्यास करना। ..... "

यह देखते हुए कि माँ के नाम में विषय परिवर्तन के परिणामस्वरूप छात्र की पहचान में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि "फकीहा खान" नाम हमेशा दस्तावेजों का एक हिस्सा था, इसने इस प्रकार नोट किया:

" 6. ..... वर्तमान मामले में, परिवर्तन की अनुमति देकर उम्मीदवार फिल्जा खान की पहचान बदलने की कोई संभावना नहीं है।

उसकी माँ का नाम "किरण खान" से लेकर फकीहा खान "तक, बच्चे/उम्मीदवार के नाम से; पिता का नाम; जन्म तिथि और स्थान, वही बने हुए हैं। यहाँ तक कि माँ का नाम-जिसे अब रिकॉर्ड में लाने की मांग की जाती है, माँ का असली नाम है जो हमेशा से ऐसा ही रहा है और माँ का वही नाम जन्म प्रमाण पत्र में भी परिलक्षित होता है।

बच्चे/उम्मीदवार फिल्जा खान का। वास्तव में, बच्चे की मां/उम्मीदवार के नाम का "किरण खान" से "फकीहा खान" में संशोधन न करने से भविष्य में भ्रम पैदा होगा और प्रवेश लेते समय बच्चे/उम्मीदवार की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है।

उच्च शिक्षा या रोजगार के संस्थानों के लिए।

18. अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने इस अपील में कहा है कि

विवादित निर्णय ने माँ के नाम में विषय परिवर्तन को गलत तरीके से एक अनजाने में हुई त्रुटि से उत्पन्न केवल सुधार के रूप में माना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परिवर्तन नाम का एक पूर्ण परिवर्तन है जिसे 11 वर्षों की अवधि के लिए स्कूल रिकॉर्ड में लगातार बनाए रखा गया था। यह आग्रह किया जाता है कि

विवादित निर्णय बोर्ड के नियम 69.1 (i) और 69.1 (ii) को प्रभावी बनाने में विफल रहा है क्योंकि न्यायालय के आदेश के बिना नाम का परिवर्तन और उसके बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उक्त नियमों को उचित ठहराते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड के पास छात्रों की पहचान को सत्यापित करने की कोई शक्ति या स्वतंत्र स्रोत नहीं है और

इसकी कार्यप्रणाली की प्रकृति के कारण, इसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड पर निर्भर रहना पड़ता है।

19. अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) आगे प्रस्तुत करता है कि अभिलेख विद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में भेजे गए थे जब छात्र

बोर्ड को जमा करने के लिए परीक्षा प्रपत्र भरें और उक्त प्रपत्र में न केवल माँ का नाम "किरण खान" के रूप में दर्ज किया गया था, बल्कि प्रपत्र के सत्यापन भाग में माँ के हस्ताक्षर भी थे। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि उक्त गलती (यदि कोई हो) को अनजाने में नहीं माना जा सकता था क्योंकि इसे 11 साल की लंबी अवधि के लिए बरकरार रखा गया था। यह जोड़ा गया है कि माता-पिता स्वयं नाम के बारे में जानकारी के स्रोत थे और इस प्रकार, इसे अनजाने में मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है।

20. अपीलार्थी ने आगे कहा है कि विवादित निर्णय उच्च न्यायालय की एक समन्वित पीठ के एक अन्य निर्णय के साथ टकराव में है।

मजहर सलीम चंद्रोथ में अदालत "जिसमें नाम में" सलीम "शब्द जोड़ने की प्रार्थना को सुधार या टंकण संबंधी त्रुटि नहीं माना गया था और यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि इस तरह का

परिवर्तन स्कूल के रिकॉर्ड के साथ असंगत होगा और इस प्रकार, अस्वीकार्य होगा। यह जोड़ा गया है कि ऐसी स्थिति में, खंड पीठ को मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजना चाहिए था।

11 फुटनोट No.10 जिज्ञासा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) वी. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(एसएलपी (सी) संख्या 7381/2021 से उत्पन्न (@डायरी सं. 9445/2020)

21. इस अपील में, अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. संख्या 2225 में पारित दिनांक 5.11.2019 के फैसले पर हमला किया है।

2019 डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करना। (ग) सं. 5287/2019 दिनांकित 28.2.2019। प्रतिवादी छात्र ने सीबीएसई प्रमाणपत्र में अपने पिता के नाम को "पी. पी. अब्दुल लतीफ" से "लतीफ पी. ए". में सुधारने के लिए बोर्ड से संपर्क किया था। उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था

बोर्ड द्वारा 2007 के उपनियमों के उपनियम 69.1 का हवाला देते हुए, जैसा लागू हो। बोर्ड ने कहा कि प्रतिवादी का मामला उक्त उपविधि में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है और इस प्रकार, नाम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस इनकार से आहत होकर प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। तब उच्च न्यायालय द्वारा रुपये के भुगतान पर नाम में सुधार या परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। 5,000 इसका लाभ उठाने के लिए छात्र द्वारा बोर्ड को

सेवा करते हैं। बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। निर्णय की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्णय के अनुसार है सुबिन मोहम्मद बनाम भारत संघ "मामले में उसी उच्च न्यायालय की एक समन्वित पीठ का निर्णय जिसमें न्यायालय द्वारा एक छात्र की जन्म तिथि में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। यह स्वीकार करते हुए कि मामले में पिता का नाम बदलना शामिल है (और जन्म तिथि नहीं), न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष उठाए गए आधारों की समानता पर ध्यान दिया, और इसे अस्वीकार करने के लिए सुबिन मोहम्मद पर भरोसा किया। यह इस प्रकार देखा गया:

" 6. हालाँकि यह मुद्दा सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्र में याचिकाकर्ता के पिता के नाम के सुधार से संबंधित है, लेकिन जिन आधारों पर अपीलकर्ताओं ने रिट अदालत के फैसले की शुद्धता पर हमला किया था, वे सी. बी. एस. ई. के उपनियम और सुधार के लिए आवेदन करने में देरी के आधार पर कमोबेश समान हैं। उपरोक्त को छोड़कर, कोई भिन्नता नहीं है। हालाँकि अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री निर्मल एस. ने रिट अदालत के फैसले की शुद्धता पर आरोप लगाते हुए उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुतियाँ दीं, लेकिन हम उक्त दलीलों को इस कारण से स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि इस अदालत की एक माननीय खंड पीठ ने सुबिन मोहम्मद एस. वी. मामले में। भारत संघ और अन्य ने 2016 (1) के. एल. टी. 340 में सूचित किया है कि

उक्त दलीलों को खारिज कर दिया। ..... "

12 2016 (1) के. एल. टी 340 13 फुटनोट No.12 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. विवादित निर्णय प्रतिवादी के जन्म प्रमाण पत्र दिनांकित 25.7.2013 और उसके पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित पर निर्भर था। 12.8.2009 यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि पिता का नाम वास्तव में वैधानिक अभिलेखों में "लतीफ पी. ए". था और उक्त परिवर्तन की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी।

23. अपनी चुनौती में, अपीलार्थी का प्राथमिक आधार यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा सुबिन मोहम्मद पर रखी गई निर्भरता गलत है।

क्योंकि, उक्त निर्णय मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुबिन मोहम्मद में, मामले में जन्म तिथि में परिवर्तन शामिल था और अदालत ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि सीबीएसई उपनियम उक्त परिवर्तन की अनुमति नहीं देंगे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय यह स्वीकार करने में विफल रहा कि सी. बी. एस. ई. उपनियम, हालांकि पूरी तरह से वैधानिक नहीं हैं, एक नियामक रंग है और उन लोगों को बाध्य करना चाहिए जिन्होंने चुना है

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेते समय उनका पालन करना।

24. अपीलार्थी ने आगे कहा है कि न तो उपनियम 69.1 (i) और न ही 69.1 (ii) मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं। यह कहा गया है कि उपनियम 69.1 (i) केवल तभी लागू होगा जब नाम परिवर्तन को न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इसके बाद आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना, वह भी बोर्ड द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले। इस प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, यह जोड़ा जाता है कि प्रत्यर्थी ने 2014 में मैट्रिक परीक्षा से एक साल पहले 2013 में अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और इस प्रकार, उपनियम 69.1 (i) के अनुसार उक्त परिवर्तन के लिए आवेदन करने में प्रत्यर्थी के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) के अनुसार, उपरोक्त की शर्तें

25. अपीलार्थी ने यह भी आग्रह किया है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पर निर्भरता अनुचित है क्योंकि ये दोनों दस्तावेज किसी भी न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हुए थे और इस संबंध में कोई सामग्री नहीं है। यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड करें कि "पी. पी. अब्दुल लतीफ" और "लतीफ पी. ए". एक ही व्यक्ति हैं। अपीलार्थी ने बोर्ड पर निर्भरता रखी है

असम की माध्यमिक शिक्षा बनाम मो. सरिफुज़ ज़मान और Ors.[1] आगे तर्क देते हैं कि बोर्ड द्वारा विधिवत जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रविष्टियों के सुधार का दावा कानूनी अधिकार और लगातार सुधार के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है।

14 फुटनोट पर ऊपर No.12 15 फुटनोट पर ऊपर No.12 16 (2003) 12 SCC 408 जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका प्रभाव बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता को कम करने के अलावा इस शक्ति को मनमाने ढंग से प्रदान करने का होगा।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 1823/2021

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7382/2021

(@डायरी सं. 9482/2020)

26. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. नंबर 2354/2019 में दिनांकित 20.11.2019 के फैसले के खिलाफ है।

डब्ल्यू. पी. सं. 11876/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रतिवादी छात्र की प्रार्थना को न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई थी। प्रतिवादी ने 2011 में अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। बोर्ड द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 28.11.1995 दर्ज की गई थी। इसके बाद, 2013 में, प्रतिवादी ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जो 28.6.2013 पर जारी किया गया था जिसमें उसकी जन्म तिथि 21.11.1995 थी।

27. प्रतिवादी ने जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए बोर्ड में आवेदन किया। बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने सुबिन मोहम्मद पर भरोसा रखने के बाद उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न दीवानी अपील में की गई टिप्पणियों के समान हैं। 7381/2021 (@डायरी संख्या 9445/2020) और संक्षिप्तता के लिए फिर से चर्चा नहीं की जा रही है।

28. अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने इस आधार पर निर्णय की आलोचना की है कि प्रत्यर्थी का मामला 2007 के उपनियमों के उपनियम 69.2 और 69.3 के तहत जन्म तिथि में परिवर्तन के मानदंड/शर्तों को पूरा नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपनियम 69.2 के अनुसार, जन्म तिथि में परिवर्तन की अनुमति केवल बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होने से पहले है और पर्याप्त समय होने के बावजूद, प्रतिवादी ने संपर्क नहीं किया

2011 को या उससे पहले किसी भी सुधार के लिए बोर्ड। इसके बाद, उपनियम 69.3 के तहत, स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप विवरण लाने के लिए केवल टाइपोग्राफिक या इसी तरह की अन्य त्रुटियों में सुधार की अनुमति है।

यह कहा गया है कि प्रतिवादी का मामला इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करता है।

29. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय पारित किया गया था

जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध की वास्तविकता का पता लगाने के लिए अपीलार्थी को अवसर दिए बिना, जो एक

17 फुटनोट No.12 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

30. सुबिन मोहम्मद में उक्ति की अप्रयोज्यता के बारे में प्रस्तुतियाँ सिविल अपील में की गई प्रस्तुतियों के समान हैं। एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से। 7381/2021 (@डायरी सं. 9445/2020) और संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जा रहा है।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 1824/2021

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7383/2021 (@डायरी सं. 14737/2020)

31. इस अपील में, अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.12.2019 के फैसले पर हमला किया है।

परिवर्तन। अदालत ने कहा कि सी. बी. एस. ई. के नियम किसी व्यक्ति को माता-पिता के माध्यम से उसकी पहचान को मान्यता देने से नहीं रोक सकते हैं।

18 फुटनोट No.12 19 में ऊपर दिया गया है फुटनोट No.12 जिज्ञासा यादव (MINOR) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और यदि उन्हें इस तरह के सुधारों को अस्वीकार करने के लिए लागू किया जाता है, तो यह नियमों के अधिकार से बाहर होगा क्योंकि वे प्रकृति में वैधानिक नहीं हैं। यह इस प्रकार देखा गया:

माता का नाम या उसके पिता का नाम उसकी माता या पिता के नाम से अलग है जो सोसायटी के साथ-साथ अभिलेखों में भी जाना जाता है। यदि ऐसे नियम किसी उम्मीदवार को अंक पत्र या प्रमाण पत्र में सुधार करने से इनकार करने के लिए लागू किए जाते हैं, तो उन्हें नियमों के विपरीत घोषित किया जाना चाहिए। वैधानिक नहीं "।

33. उपरोक्त निर्णय पर हमला करने के लिए, अपीलार्थी ने उपनियम 69.1 (i) और 69.1 (ii) पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि उपनियम 69.1 (i) केवल छात्र का नाम बदलने और माता-पिता का नाम बदलने का प्रावधान करता है। इसमें परिकल्पना नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपनियम 69.1 (ii) में सुधार का प्रावधान है और वर्तमान मामला सुधारों में से एक नहीं है, बल्कि इसमें नाम का भौतिक परिवर्तन शामिल है। पिछली अपीलों में आगे की गई प्रस्तुतियों के समान, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड अपने उपनियमों के उल्लंघन में कार्य नहीं कर सकता है और जब उनके तहत उनकी अनुमति नहीं है तो सुधारों की अनुमति देता है। अपीलार्थी ने आग्रह किया है कि उन्होंने प्रतिवादी के अनुरोध पर दो बार विधिवत अपना दिमाग लगाया और अदालत के लिए उपनियमों की पूरी अज्ञानता में आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था।

34. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय में कहा गया है कि

इस तथ्य के बावजूद कि अदालत के समक्ष उनकी वैधता पर सवाल भी नहीं उठाया गया था, उपनियमों को अधिकार से बाहर माना जाता है। अपीलार्थी द्वारा एम. डी. पर निर्भरता रखी गई है। सरिफुज़ ज़मान 2 0 20 ने आग्रह किया कि दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है

किसी भी समय प्रमाणपत्रों में सुधार।

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7384/2021 (@डायरी सं. 16291/2020)

35. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. <आई. डी. 2 में पारित दिनांक 20.11.2019 के फैसले के खिलाफ है, जो डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करता है। (ग) सं. 8540/2019, जिसमें उच्च न्यायालय ने परिवर्तन के लिए अनुरोध की अनुमति दी। 20 फुटनोट No.16 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

उपनियमों में परिकल्पित शर्तें। उच्च न्यायालय ने सुबिन मोहम्मद 2 1 के कथन पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। 36. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न दीवानी अपीलों के समान है। 7381/2021 (@डायरी सं. 9445/2020) और एसएलपी (सी) सं. 7382 / 2021 (@डायरी नं. 9482/2020), और हम इसे दोहरा नहीं रहे हैं।

37. निर्णय का दावा करते हुए, अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ काफी हद तक पिछली अपीलों के समान हैं। पहले से आग्रह किए गए आधारों के अलावा

इससे पहले, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि न्यायालय दो जन्म प्रमाणपत्रों की उपस्थिति पर विचार करने में विफल रहा और प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का वजन किए बिना और दो जन्म प्रमाणपत्र लाने के लिए प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगे बिना प्रार्थना को मंजूरी दे दी। रिकॉर्ड करें।

38. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2004 में, पहली कक्षा में प्रवेश लेते समय, प्रतिवादी का नाम "मोहम्मद शफीक" के रूप में दर्ज किया गया था। द.

2008 में एक अलग स्कूल के लिए फिर से प्रवेश पत्र भरते समय इसी नाम को आगे बढ़ाया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ग्यारहवीं कक्षा के लिए फॉर्म भरने के समय भी, वही नाम दर्ज किया गया था और इसे स्कूल द्वारा बोर्ड को विधिवत सूचित किया गया था। इसलिए प्रमाण पत्र में दर्ज नाम पूरी तरह से स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार है। इस प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी के अभिलेख में टंकण संबंधी त्रुटि की कोई संभावना नहीं है और बाद में बोर्ड के प्रमाणपत्रों में इस तरह से नाम के महत्वपूर्ण परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21 फुटनोट No.12 जिज्ञासा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) वी. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

39. इस अपील में चुनौती एल. पी. ए. सं. 219/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 24.8.2020 के फैसले के खिलाफ है। डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करना। (ग) सं. 10841/2019 जिसमें 2007 के उपनियमों के संदर्भ में उपनाम जोड़ने के लिए प्रत्यर्थी छात्र की प्रार्थना को लागू किया गया था। प्रत्यर्थी ने "ज्योति" के नाम से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। यह नाम लगातार उनके सभी स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

और तदनुसार, सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों में एक ही नाम था। इसके बाद, उन्होंने अपना एमबीबीएस पूरा किया और एक विदेशी संस्थान में शिक्षा के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन के एक हिस्से के रूप में, उन्हें अपने उपनाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया था। चूंकि उनके किसी भी दस्तावेज में यह जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बोर्ड में उपनाम जोड़ने और प्रमाणपत्रों में अपना नाम "ज्योति" से "ज्योति दलाल" में बदलने के लिए आवेदन किया। बोर्ड ने मना कर दिया और प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

40. उच्च न्यायालय ने उपनियम 69.1 (i) की प्रयोज्यता पर विचार किया।

और 69.1 (ii) ने फैसला सुनाया कि उक्त उपनियम मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि प्रतिवादी का मामला नाम परिवर्तन के लिए नहीं है, बल्कि एक उपनाम को शामिल करने के लिए है जो उसके माता-पिता के रिकॉर्ड में मौजूद है और जिसके लिए कोई अस्पष्टता का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। यह इस प्रकार देखा गया:

" 8. वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय है कि यह मामले के अंतर्गत नहीं आता है। परीक्षा उपविधि के खंड 69 (1) (i) की परिधि इस प्रकार है:

क) यह नाम परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि इसके समावेश का मामला है -

संबंधित व्यक्ति का उपनाम,

अपीलार्थी के अभिलेखों में पूर्ण-बोर्ड, ग) इस मामले में प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) के पिता और माता का उपनाम होता है जिसका वह अपने नाम के बाद उल्लेख करना चाहती थी। उसकी पहचान के बारे में कोई विवाद या नाम की सत्यता के बारे में कोई भ्रम नहीं है जो वह चाहती है।

शामिल करने के लिए "।

अलग होने से पहले, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से नोट किया कि उसके निर्णय को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह विशिष्ट पर काम करेगा मामले के तथ्य।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए निर्णय पर हमला किया है कि कोई भी

42. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा की गई राहत समय में अत्यधिक विलंबित है और कानूनी रूप से, देरी विवेक को पराजित करती है। यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थी हमेशा अपने अभिलेखों में उपनाम की अनुपस्थिति से अवगत थी और वह सात साल की अवधि तक अपने अधिकारों पर सोती रही और इसलिए, सीमा के नुकसान से उसके लिए किसी भी कानूनी उपाय पर रोक लगनी चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के परिवर्तनों को नियमित तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि सीबीएसई के साथ विश्वसनीयता जुड़ी हुई है।

प्रमाणपत्रों से समझौता किया जाएगा और बाद में किए गए परिवर्तन अभिलेख में विसंगतियां पैदा करेंगे। अभिषेक कुमार @बाल किशन बनाम भारत संघ और Ors.22 पर यह आग्रह करने के लिए भरोसा रखा गया है कि बाद में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने से अभिलेख में विसंगति पैदा होगी और वह स्थिति प्रतिबिंबित होगी जो प्रमाण पत्र बनाने के समय भी मौजूद नहीं थी।

43. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अनुचित है क्योंकि यह तकनीकी सलाह के आधार पर बनाए गए उपनियमों के स्थान पर न्यायालय के विचारों के प्रतिस्थापन के बराबर है। यह आग्रह किया जाता है कि न्यायालय को इस तरह से शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।

सिविल आवेदन NO.1827/2021

(एस. एल. पी. (सी) सं. 10948/2020)

44. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. <आई. डी. 2 में दिनांकित 13.7.2020 निर्णय के खिलाफ है जो डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करता है। (ग) सं. 21357/2019, जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रत्यर्थी छात्र की प्रार्थना 2007 के उपनियमों के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर दी गई थी, 22 (2014) 144 डी. आर. जे 8 (डी. बी.):

2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3459 जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

लागू होता है। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न दीवानी अपीलों में की गई टिप्पणियों के समान हैं। 7381 / 2021 (@डायरी सं. 9445/2020), एसएलपी (सी) सं. 7382 / 2021 (@डायरी सं. 9482/2020) और एसएलपी (सी) सं. 7384 / 2021 (@डायरी सं. 16291/2020)। हम संक्षिप्तता के लिए इसे दोहरा नहीं रहे हैं।

45. प्रस्तुतियों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि निर्णय को लागू करने के लिए आग्रह किए गए आधार भी पिछली अपीलों में लिए गए आधारों के समान हैं और हम इसे दोहरा नहीं रहे हैं। 46. पहले से ही अग्रिम आधारों के अलावा, प्रतिवादी ने विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ और अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं

जिसका हम एक संक्षिप्त संदर्भ दे सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षा उपनियमों के उपनियम 7 के अनुसार, कक्षा VIII तक की प्रवेश प्रक्रिया को संबंधित राज्य सरकार के नियमों/विनियमों/आदेशों द्वारा विनियमित किया जाना है। तदनुसार, केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अध्याय-VI का संदर्भ दिया गया है जो प्रदान करता है कि जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए प्राथमिक स्रोत जन्म प्रमाण पत्र है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भी उम्र का प्राथमिक प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र है और इसलिए, सही जन्म तिथि के निर्धारण के लिए जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सीबीएसई के उपनियमों को ऐसे आधिकारिक या सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार अपने प्रमाण पत्र लाने के लिए प्रावधान करना चाहिए। 47. अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के प्रश्न का उत्तर दिया है कि समय का प्रासंगिक बिंदु क्या होगा।

उपनियमों के अनुप्रयोग का निर्धारण करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित

तारीख आवेदन पर विचार करने की तारीख होगी, यानी सुधार/परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन पर विचार करने के समय लागू उपनियम। इस उद्देश्य के लिए परीक्षा की तारीख अप्रासंगिक होगी। सोमदेव कपूर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और केरल राज्य और अन्य पर निर्भरता रखी गई है। बनाम पलक्कड़ हेरिटेज होटल्स 24 कानूनी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय की तारीख पर खड़े नियम लागू होंगे।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 1828/2021

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7385 / 2021 (@ डायरी सं. 18711/2020)

23 (2014) 14 एससीसी 486 24 (2017) 13 एससीसी 672 [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. इस अपील में चुनौती डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाले डब्ल्यू. ए. नंबर 2328/2019 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.11.2019 के फैसले के खिलाफ है। (ग) संख्या 8465/2019 जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रत्यर्थी छात्र के अनुरोध की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उसकी जन्म तिथि स्कूल रिकॉर्ड में 16.4.1995 के बजाय 16.4.1994 के रूप में दर्ज की गई थी। जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर, प्रतिवादी ने जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन किया जिसे अपीलार्थी बोर्ड ने 2007 के परीक्षा उपनियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।

49. उच्च न्यायालय ने पिछली अपीलों के समान आधारों पर परिवर्तन की अनुमति दी। हम वही नहीं दोहरा रहे हैं।

50. अपीलकर्ता बोर्ड की प्रस्तुतियाँ भी पिछली अपीलों के समान हैं और इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सिविल अपील सं। 1829/2021
(एस. एल. पी. (सी) सं. 10959/2020)

52. उच्च न्यायालय ने लागू उपनियमों (2018 में संशोधित) के तहत इस परिवर्तन की अनुमति पर विचार नहीं किया और इसके बजाय नोट किया कि यदि उक्त परिवर्तनों की अनुमति दी जाती है तो बोर्ड पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह इस प्रकार देखा गया:

" यह देखा गया है कि रिट याचिका में, प्रतिवादी केवल

उसके माता-पिता के उपनाम में संशोधन करें न कि उनके नाम में। इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के वकील के इस प्रश्न पर कि उपनाम परिवर्तन के कारण, अपीलार्थियों के प्रति क्या पूर्वाग्रह होने वाला था, वह कोई जवाब देने में विफल रहे हैं।

53. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ काफी हद तक हैं

पिछली अपीलों में अपनाए गए लोगों के समान। उपनियमों की गैर-प्रयोज्यता, किसी भी टंकण संबंधी त्रुटि की अनुपस्थिति, स्कूल रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों के बीच सामंजस्य, और कथित जिज्ञासा यादव (लघु) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) को जानने के बावजूद पर्याप्त समय बीतना।

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

त्रुटियाँ प्राथमिक प्रस्तुतियाँ हैं जो इस चुनौती का आधार बनती हैं। हम पुनरावृत्ति से बचने के लिए उसी पर विस्तार से नहीं बता रहे हैं।

सिविल अपील सं। 1830/2021 (एस. एल. पी. (सी) सं. 10801/2020

डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करना। (ग) सं. 11791/2019, जिसमें 2007 के उपनियमों के संदर्भ में जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रत्यर्थी छात्र के अनुरोध की अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी का मामला यह था कि उसकी जन्म तिथि गलत तरीके से 21.6.1989 के बजाय 22.3.1990 के रूप में दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना की अनुमति दी एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न अपीलों के समान आधारों पर। 7381 / 2021 (@डायरी सं. 9445/2020), एसएलपी (सी) सं. 7382/2021 (@डायरी सं. 9482/2020), एसएलपी (सी) सं. 7384/2021 (@डायरी सं. 16291/2020) और एसएलपी (सी) सं. 7385/2021 (@ डायरी सं. 18711/2020)। हम उसी बात को दोहरा नहीं रहे हैं।

55. अपील ज्ञापन को देखने के बाद, हम ध्यान देते हैं कि प्रस्तुतियाँ पिछली अपीलों के समान हैं और हम नहीं हैं

उन्हें दोहराएँ।

सिविल अपील सं। 1831/2021 (एस. एल. पी. (सी) सं. 10795/2020)

56. इस अपील में, चुनौती केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. 987/2020 में पारित दिनांकित 6.8.2020 निर्णय के खिलाफ है।

डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करना। (ग) सं. 25663/2019, जिसमें अपने माता-पिता का नाम बदलने के लिए प्रतिवादी छात्र की प्रार्थना की अनुमति दी गई थी और तदनुसार, सी. बी. एस. ई. को प्रमाणपत्रों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था। 57. मूल रूप से, स्कूल के रिकॉर्ड और सीबीएसई प्रमाणपत्रों में पिता का नाम "शाजी" और मां का नाम "जिजिमोल" दर्ज किया गया था। ये नाम प्रतिवादी के पुराने जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.2002 के अनुसार भी थे। जैसा कि प्रत्यर्थी ने कहा, उन्होंने पहली बार 2018 में इस गलती को देखा जब सीबीएसई ने

29.5.2018 पर उत्तरदाता का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र। इसके बाद, प्रतिवादी ने नए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जिसमें पिता का नाम "शाजी" से बदलकर "शाजी पी" कर दिया गया था। माँ का नाम "जिजिमोल" से "जिजिमोल एस"। यह 27.10.2018 [2021] 4 एस. सी. आर. पर जारी किया गया था।

और इसे आगे बढ़ाते हुए, प्रत्यर्थी ने बदले हुए नामों के आलोक में प्रमाणपत्रों को बदलने के लिए अपीलकर्ता बोर्ड को आवेदन किया। बोर्ड ने उपनियमों (2018 में संशोधित) का हवाला देते हुए उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया।

58. प्रार्थना स्वीकार करते समय उच्च न्यायालय पर जिन आधारों का भार डाला गया, वे काफी हद तक सिविल अपीलों से उत्पन्न होने वाले आधारों के समान हैं।

नाम क्योंकि उन्होंने सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र प्राप्त करने और दोष का एहसास होने पर त्वरित कार्रवाई की, और एक नए जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया ताकि जल्द से जल्द परिवर्तन किए जा सकें। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह नाम परिवर्तन या नाम में गलती को सुधारने का मामला नहीं है। बल्कि, यह केवल माता और पिता के प्रारंभिक अक्षरों को शामिल करने का मामला है। विधिवत संशोधित जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार संबंधित नाम जो अभिलेख की वास्तविकता के संबंध में कोई सवाल नहीं छोड़ते हैं।

सिविल अपील सं। 1832/2021 (एस. एल. पी. (सी) सं. 10796/2020)

61. इस अपील में, अपीलार्थी (बोर्ड) ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. संख्या 2513 में पारित दिनांक 19.12.2019 के निर्णय को चुनौती दी है।

2019 डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करना। (ग) सं. 14384/2019, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तन के लिए प्रत्यर्थी छात्र की प्रार्थना "वैभव आर". से "वैभव डी". को 2007 के उपनियमों के संदर्भ में अनुमति दी गई थी, जैसा कि लागू होता है।

62. विवादित निर्णय पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित समान शब्दों में तर्क दिया गया है। 63. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में पहले ही आग्रह किया जा चुका है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)।

1833/2021 जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7386/2021

(@डायरी सं. 19181/2020)

64. अपीलकर्ता बोर्ड ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. 2207/2019 में पारित दिनांक 8.11.2019 के निर्णय पर आपत्ति जताई है।

डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करना। (ग) सं. 10410/2019, जिसमें अपनी जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए प्रत्यर्थी छात्र की प्रार्थना को 2007 के उपनियमों के संदर्भ में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमति दी गई थी।

65. विवादित निर्णय के लिए किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित समान शब्दों में तर्क दिया गया है। 66. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में पहले ही आग्रह किया जा चुका है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सिविल अपील सं। 1834/2021

(एस. एल. पी. (सी) सं. 11320/2020)

67. अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) ने पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.5.2020 के निर्णय को लागू करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

हरियाणा में चंडीगढ़ में आर. एस. ए. सं. <आई. डी. 4 में जिला न्यायाधीश, करनाल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, जिन्होंने सिविल सूट सं. <आई. डी. 3 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायाधीश), असंध के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी छात्र को अपनी जन्म तिथि <आई. डी. 2 के बजाय 7.5.2004, पिता का नाम "जोगिंदर सिंह" के बजाय "जोगिंदर" और मां का नाम "दर्शन देवी" के बजाय "दर्शन" घोषित करने के पक्ष में एक घोषणात्मक राहत दी गई थी (जैसा कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में उल्लिखित है)। घोषणात्मक राहत एक के साथ जोड़ी गई थी

प्रत्यर्थी के प्रमाणपत्रों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अपीलार्थी बोर्ड को निर्देश देना अनिवार्य निषेधाज्ञा। 68. उच्च न्यायालय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र का उल्लेख किया और

इस बात पर ध्यान दिया कि प्रमाण पत्र की शुद्धता पर कोई विवाद नहीं है और इस प्रकार, प्रमाण पत्र में दर्ज जानकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह.

इस प्रकार देखा गया:

" जहाँ तक 1969 के अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र की शुद्धता की बात है, वादी की पहचान के साथ-साथ इसमें भी शुद्धता है।

उसके माता-पिता के नाम विवादित नहीं हैं। "[2021] 4 एस. सी. आर.

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

69. लागू होने वाले उपनियमों (2018 में संशोधित) के आलोक में बोर्ड द्वारा पहले से ही दिए गए आधारों के अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

मामले में आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी होने के कारण न्यायालय द्वारा घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जन्म और मृत्यु पंजीयक (में परिवर्तन के कारण)

जन्म तिथि) और संबंधित स्कूल (उनके रिकॉर्ड में बदलाव के कारण) मामले में आवश्यक पक्ष थे और उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। यह आग्रह किया जाता है कि गैर-जॉइंडर घातक होगा।

70. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी के दावे को रोक के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि उसे अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय स्कूल में अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी। परीक्षा उपनियम, 1995 ताकि स्कूल रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप हो सके। चूंकि प्रत्यर्थी प्रवेश के समय इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि स्कूल रिकॉर्ड में प्रवेश पत्र में स्वेच्छा से प्रदान की गई जानकारी हो और इस स्तर पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

71. प्रत्यर्थी ने आगे प्रस्तुत किया है कि

अनिवार्य निषेधाज्ञा को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (जी) और 41 (आई) के कारण वर्जित कर दिया गया था जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि ऐसी कोई राहत नहीं है।

यह तब प्रदान किया जा सकता है जब वादी ने अधिकारों को स्वीकार कर लिया हो। तत्काल मामले में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी तीन साल के लंबे अंतराल के बावजूद 15 साल तक जन्म तिथि में बदलाव के लिए आवेदन करने में विफल रहा

अभिलिखित तिथि और संशोधित तिथि के बीच, और इस तरह के आचरण से ऐसी किसी भी राहत पर रोक लगनी चाहिए।

सिविल अपील सं। 1835/2021
(एस. एल. पी. (सी) सं. 11558/2020)

डब्ल्यू. ए. नं. <आई. डी. 4. डब्ल्यू. पी. नं. <आई. डी. 3.> में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करता है, जिसमें उत्तरदाता छात्र की जन्म तिथि को 30.5.1992 से 23.7.1991 में बदलने की प्रार्थना को मंजूरी दी गई थी और मूल रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज की गई थी। इस निष्कर्ष

पर पहुँचने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा बाद में प्राप्त एक पर निर्भरता रखी गई थी जन्म प्रमाण पत्र।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

73. विवादित निर्णय पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित शब्दों में तर्कबद्ध है।

74. अपीलार्थी ने निर्णय पर हमला करने के लिए उपनियमों (2007 से पहले मौजूद) पर भरोसा रखा है। अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में पहले ही आग्रह किया जा चुका है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 1836/2021

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7387/2021

(@डायरी सं. 21923/2020)

75. वर्तमान अपील में केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. संख्या 2267/2019 में पारित दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ एक चुनौती शामिल है जो डब्ल्यू. पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करता है। (ग) सं. 8034/2019, जिसमें प्रत्यर्थी छात्र की "गंगा" से "गंगा एस" और पिता का नाम "राजेंद्रन सी" से "राजेंद्रन पिल्लई सी" में बदलने की प्रार्थना को उपनियमों (2018 में संशोधित) के संदर्भ में अनुमति दी गई थी।

76. विवादित निर्णय पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित शब्दों में तर्कबद्ध है। 77. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में पहले ही आग्रह किया जा चुका है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

नागरिक आवेदन संख्या (एस)। 1837/2021

(एसएलपी (सी) संख्या (ओं) से उत्पन्न होता है। 7388/2021 (@डायरी सं. 25053/2020)

78. इस अपील में, अपीलार्थी (बोर्ड) ने मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.11.2019 के फैसले पर हमला किया है।

डब्ल्यू. ए. नं. 4077/2019 मामूली संशोधन के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करना। प्रतिवादी छात्र ने अपने पिता का नाम "फजल रहमान" से "शेख फजल रहमान" में बदलने की प्रार्थना की थी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील में, बोर्ड के विद्वान वकील ने लागू उपनियमों (2018 में संशोधित) का हवाला देते हुए कहा कि नाम परिवर्तन के लिए ऐसे निर्देश जारी करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि दुरुपयोग की संभावना है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के सुधारों की अनुमति गलत या बाहरी कारणों से नहीं दी जानी चाहिए।

ऐसी संभावना को रोकने के लिए, बोर्ड को ऐसी किसी भी आवश्यकता के खिलाफ क्षतिपूर्ति की प्रकृति में एक हलफनामा प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। यह इस प्रकार देखा गया:

" 2. हम पाते हैं कि विद्वान वकील द्वारा उस हद तक किया गया अनुरोध सराहनीय है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सुधार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि वह किसी अन्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए है।

किसी भी बाहरी विचार के लिए जिसकी जड़ें किसी भी नागरिक या आपराधिक से उत्पन्न होने वाले प्रतिरूपण के किसी भी रूप में हो सकती हैं।

गतिविधि। इस संबंध में, अपीलकर्ता बोर्ड के लिए यह खुला रहेगा कि वह उम्मीदवार से ऐसी किसी भी अनिवार्यता के खिलाफ क्षतिपूर्ति की प्रकृति में एक हलफनामा प्राप्त करे, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक हो "।

79. जहाँ तक उन मामलों का संबंध है जहाँ नाम परिवर्तन का अनुरोध प्रामाणिक है और पूर्वाग्रह की कोई गुंजाइश नहीं है, विद्वान का निर्णय

इस तरह के परिवर्तनों का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश को सही माना गया। अदालत ने

इस प्रकार देखा गया:

" 3. दूसरी ओर, हम पाते हैं कि यदि सुधार वास्तव में और प्रामाणिक रूप से किया गया है और कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है

कहा जाता है कि वह किसी भी बीमारी से पीड़ित है।

80. अपीलार्थी (सी. बी. एस. ई.) द्वारा आग्रह किए गए आधारों को तब से स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सिविल अपील सं। 1838/2021 (एस. एल. पी. (सी) सं. 15089/2020)

81. इस अपील में चुनौती डब्ल्यू. ए. सं. <आई. डी. 4 में पारित दिनांक 25.9.2020 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें उत्तरदाता छात्र की जन्म तिथि को 17.1.1992 से 17.1.1991 में बदलने की प्रार्थना को लागत के भुगतान पर अनुमति दी गई थी।

Rs.1000 स्कूल प्राधिकरण को और Rs.5000 बोर्ड को। पिछले मामलों की तरह, प्रार्थना को बाद में प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर और लागू 2007 के उपनियमों के आलोक में दिया गया था।

82. विवादित निर्णय पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित शब्दों में तर्क दिया गया है।

83. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में भी आग्रह किया गया है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सिविल अपील सं। 1839/2021

(एस. एल. पी. (सी) सं. 15124/2020)

84. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. <आई. डी. 2 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए पारित दिनांक 25.9.2020 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि में बदलाव के लिए प्रतिवादी छात्र की प्रार्थना को स्कूल और बोर्ड को कुछ लागतों के भुगतान पर अनुमति दी गई थी। उक्त परिवर्तनों का आदेश देने के लिए और लागू 2007 के उपनियमों पर बाद में प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र पर रिलायंस को फिर से रखा गया था।

85. विवादित निर्णय पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ऊपर वर्णित समान शब्दों में तर्क दिया गया है।

86. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में भी आग्रह किया गया है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सिविल आवेदन NO.1840/2021

(एस. एल. पी. (सी) सं. 15625/2020)

87. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. ए. सं. 1155/2020 में पारित दिनांकित 7.9.2020 निर्णय के खिलाफ है।

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसमें प्रत्यर्थी छात्र की अपने पिता का नाम "हाशिम अब्दुल्ला" से बदलने की प्रार्थना "हाशिम ए". को और माँ का नाम "शाहिना दुनीरा" से "शाहिना बीगम डी. एस". को लागू होने वाले उपनियमों के संदर्भ में अनुमति दी गई थी।

2018 में संशोधित)। 88. मामले के तथ्यों में, प्रतिवादी ने माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने के बाद 29.5.2018 पर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया

परीक्षा, 2018 जिसमें उसके माता-पिता के नाम स्कूल के रिकॉर्ड और पुराने जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज किए गए थे। इन दस्तावेजों में नामों के विपरीत, प्रत्यर्थी के पिता और माता के नाम उनके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में क्रमशः "हाशिम ए" और "शाहिना बीगम डी. एस". के रूप में दर्ज किए गए थे। इस संघर्ष के आलोक में, प्रत्यर्थी ने केरल जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के नियम-11 के साथ पठित जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-15 के तहत एक सही जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण को आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने बाद में प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार परिवर्तनों की अनुमति दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

89. विवादित निर्णय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तर्कपूर्ण है

समान शब्दों में, जैसा कि पहले से ही ऊपर वर्णित है।

90. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर पिछली अपीलों में भी आग्रह किया गया है और हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

91. पिछले मामलों में पहले से ही दिए गए आधारों के अलावा, उत्तरदाताओं ने इसके समर्थन में कुछ अतिरिक्त आधार दिए हैं -

विवादित निर्णय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. बी. एस. ई. के पास सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उचित परिवर्तन और स्कूल द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद किसी छात्र से संबंधित रिकॉर्ड में सुधार से इनकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सी. बी. एस. ई. एक सोसायटी और इसके उपनियम हैं। इसे किसी सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बराबर नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, उन्हें छात्रों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, कम से कम उचित प्रतिबंध होने के कारण।

92. प्रत्यर्थियों ने उपनियमों के अधिकारों पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला सरकारी प्रस्ताव बोर्ड को प्रमाण पत्रों में सुधार से इनकार करने के लिए ऐसी शर्तें लगाने की अनुमति नहीं देता है। 1872 के अधिनियम की धारा 76 और 77 पर भरोसा करते हुए, अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां विधिवत स्वीकार्य हैं और बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अद्यतन सार्वजनिक अभिलेखों के आलोक में उनके प्रमाणपत्रों को सही किया जाए।

टी. पी (ग) एन. ओ. एस. 1139-1140 2020 का

93. याचिकाकर्ता (सी. बी. एस. ई.) यहाँ इस न्यायालय से अपने समक्ष दो कार्यवाहियों को वापस लेने का निर्देश चाहता है, अर्थात्-डब्ल्यू. पी. (ग) झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित सं. 5828/2016 और एल. पी. ए. सं. 423 /

2020 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, क्योंकि इन कार्यवाही में इसी तरह के प्रश्न शामिल हैं।

94. झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष पहली कार्यवाही आधिकारिक राजपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में किए गए परिवर्तनों के आधार पर छात्र का नाम "सद्दाम हुसैन" से "साजिद हुसैन" में बदलने के लिए है। इससे पहले की कार्यवाही

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. पी. सं. 21388/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ है, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में "सतीश कुमार पुत्र रामपाल" से "श्रेय पुत्र रामपाल" में नाम बदलने के लिए छात्र की प्रार्थना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस, नाम परिवर्तन, आधार कार्ड और पैन कार्ड को अधिसूचित करने वाली आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के आधार पर अनुमति दी गई थी।

जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता के माध्यम से)

हरि सिंह) वी। C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

95. बोर्ड प्रस्तुत करता है कि वह पहले से ही इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों को लड़ रहा है जिसमें इसी तरह के प्रश्न की शक्ति को छू रहे हैं

इसके द्वारा कई मंचों पर तर्क दिए जाने की आवश्यकता है और यह परस्पर विरोधी दिशा-निर्देशों को पारित करने सहित इसे गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। 96. प्रत्यर्थी संख्या 6 (सतीश कुमार @Shrey) ने "प्रस्तुतियों पर टिप्पणी" दायर की है जिसमें विभिन्न आधारों पर सवाल उठाए गए हैं।

बोर्ड के निषेधात्मक उपनियम और प्रमाणपत्रों में वास्तविक परिवर्तनों की अनुमति देने के लिए मामले का समर्थन करें। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपनियम

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का अर्थ और यह छात्रों को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपनी पहचान व्यक्त करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है। इस स्थिति का समर्थन करने के लिए कबीर जैसवाल बनाम भारत संघ और Ors.25 पर भरोसा रखा गया है। 97. इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि कल्पना ठाकुर और अन्र के बीच संघर्ष है। बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और Anr.26

और वैष्णव @विष्णु विश्वम बनाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और Ors.27 समय-समय पर संशोधित उपनियमों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए समय के प्रासंगिक बिंदु के संबंध में। वैष्णव 2 8 में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि प्रासंगिक समय प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख होनी चाहिए।

98. प्रस्तुतियों के विस्तृत सेट से गुजरने के बाद और

संबंधित मामले में अभिलेख पर दस्तावेज, निम्नलिखित व्यापक बिंदु हमारे विचार के लिए उभरते हैं:

(i) क्या सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों का बल है

कानून?

((ii) क्या परीक्षण उपनियम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें अनुमेय सुधारों/परिवर्तनों के दायरे को अत्यधिक सीमित करने के लिए तर्कसंगतता की परीक्षा में विफल होना भी शामिल है?

25 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 1488 26 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12156 27 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 39806 28 ऊपर फुटनोट No.27 [2021] 4 एस. सी. आर.

(iii) क्या बोर्ड सुधार/अद्यतन के कारण अपने द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार/परिवर्तन करने के लिए बाध्य है।

सार्वजनिक अभिलेखों/दस्तावेजों का जिनके पास वैधानिक अधिकार हैं

यथार्थता का अनुमान?

((iv) क्या सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख से लागू परीक्षा उपनियम या सुधार/परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन पर विचार करने की तारीख प्रासंगिक होगी? और, क्या सुधार या परिवर्तन का प्रभाव, जैसा भी मामला हो, मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव डालेगा?

(v) क्या सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों में सुधार करने के लिए जारी किया गया अनिवार्य आदेश स्पष्ट प्रावधानों के आधार पर हो सकता है।

परीक्षा उपनियमों में, की वैधता की जांच किए बिना

बाइला?

प्वाइंट नंबर 1

99. निसन्देह, सी. बी. एस. ई. बोर्ड की स्थापना के माध्यम से हुई

"माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसे उपयोगी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने" और "बोर्ड की सेवाओं को देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराने" के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांकित 1.7.1929 प्रस्ताव, जैसा कि बोर्ड के संविधान में कहा गया है। उक्त संविधान का अनुच्छेद 929 "बोर्ड की शक्तियों और कार्यों" से संबंधित है, जिसमें ऐसे सभी कार्य करना शामिल है जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। बोर्ड के उद्देश्य। बोर्ड के कार्यों में से एक या तो कहने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 1630 में बताए गए पूर्व-वर्णित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए विनियम बनाना है। इसके खंड (2) में परिकल्पना की गई है कि इस प्रकार बनाए गए विनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं -

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शर्तें।

29 " 9. बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:

XXX

XXX

XXX

(xvi) विनियमन और रखरखाव के लिए गठित एक निकाय के रूप में बोर्ड के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सभी या अन्य चीजें करना जो आवश्यक हो।

माध्यमिक शिक्षा का मानक "।

30 " 16.नियमन करने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ

XXX

XXX

XXX

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की किसी भी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए विनियम बना सकता है, अर्थात्:

(च) बोर्ड के प्रमाण पत्र प्रदान करने की शर्तें; "जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

हम बोर्ड के संविधान के अनुच्छेद 18 3 1 पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले उपनियम विनियमों और बोर्ड की स्थापना के संकल्प के अनुरूप और अधीन होने चाहिए। यह अनुच्छेद यह भी इंगित करता है कि उपनियम

प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। निर्विवाद रूप से संविधान/संगठन या सी. बी. एस. ई. की संरचना किसी क़ानून द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, बोर्ड द्वारा बनाए गए उपनियमों को वैधानिक के रूप में चिह्नित करना एक गलत नाम है।

कि बोर्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य है और इसके परिणाम के रूप में, इसके कार्य होंगे - भारत के संविधान के भाग-III के लिए उत्तरदायी। तथ्य यह है कि बोर्ड को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य के रूप में माना जा सकता है।

संविधान का यह मतलब नहीं है कि इसके द्वारा बनाए गए उपनियमक अनिवार्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून बन जाएंगे। अनुच्छेद 13 के तहत केवल एक "कानून" को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संबंध में प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है।

संविधान।

102. इससे पहले कि हम आगे किसी भी विश्लेषण के लिए आगे बढ़ें, इस बिंदु का उत्तर देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। विचाराधीन, संविधान का अनुच्छेद 13 इस प्रकार है:

" 13. मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। (1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहाँ तक वे

31 " 18.बोर्ड और उसकी समितियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इस संकल्प और विनियमों के अनुरूप उप-कानून बना सकती हैं, अर्थात्:

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और कोरम बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;
(ख) उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करना जो इस संकल्प और विनियमों के अनुरूप, उप-कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं; और

(ग) केवल बोर्ड और उसकी समितियों से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए प्रावधान करना।

और संकल्प और विनियमों द्वारा प्रदान नहीं किया गया। "[2021] 4 एस. सी. आर.

(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इसे हटा दे या कम कर दे। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार और उल्लंघन में बनाई गई कोई कानून

इस खंड का उल्लंघन, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा।

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

▬

(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम,

विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग

(ख) "प्रवृत्त कानून" में किसी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं। भारत के क्षेत्र में विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी

इस संविधान के प्रारंभ से पहले और नहीं

हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा तब या तो बिल्कुल भी काम न कर रहा हो या विशेष क्षेत्र।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात इसके किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया संविधान।

(जोर दिया गया)

103. अनुच्छेद 13 का सार स्पष्ट रूप से बताता है कि इसे अधिनियमित नहीं किया गया था

इस स्पष्ट प्रस्ताव को दोहराना कि सभी वैधानिक कानून किसी भी कानूनी प्रणाली में "कानून" हैं। क्योंकि, इसके लिए किसी पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है कि द्वारा अधिनियमित कानून

विधायिका "कानून" हैं। अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" को परिभाषित करने का अंतर्निहित उद्देश्य एक व्यावहारिक प्रशासनिक वास्तविकता को शामिल करना है कि सामान्य वैधानिक कानूनों के अलावा अन्य कानून भी हो सकते हैं। इसलिए, यह उन मामलों (इस मामले में उपनियमों के रूप में घोषणा) को अपने दायरे में "कानून की शक्ति" के रूप में लेता है, हालांकि विधायिका द्वारा इस तरह से अधिनियमित नहीं किया गया है।

104. क्योंकि, यह अध्यादेशों, आदेशों, उपनियमों को शामिल करने के लिए "कानून" को परिभाषित करता है,

राज्य द्वारा जारी/बनाई गई नियमावली, विनियम या अधिसूचना। इन शब्दों के सटीक अर्थों को भाषा की कठोरता तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और वर्तमान मामले में यह न तो वांछनीय है और न ही आवश्यक है।

105. जाँच "अंदर होना" अभिव्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है।

भारत का क्षेत्र कानून का बल ", चाहे वह पैकेजिंग जिसमें उक्त प्रावधान औपचारिक रूप से जोड़ा गया हो। पाठ हमें प्रावधान के सार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, न कि इसके रूप पर।

मोटे तौर पर, जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राज्य द्वारा बनाई गई विधि नियमों के एक निकाय को संदर्भित करती है जो एक निजी कानून के विपरीत सार्वभौमिक अर्थों में व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों को आकार देती है।

पक्षों के बीच लेनदेन। इस तरह के कानून में लोगों को उनके आचरण के सभी प्रमुख पहलुओं के लिए प्रावधान करके बांधने की क्षमता है। कानून। इसलिए, राज्य या उसके उपकरणों द्वारा जारी/बनाए गए किसी भी नियम/अधिसूचना/आदेश/उपविधि में कानून का बल होगा और सभी को बाध्य करेगा।

इसके अधीन संस्थाएं और अपने कामकाज को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता के रूप में काम करती हैं। फिर भी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कानून की अदालत में प्रवर्तनीयता होगी। गौर करने की आवश्यकता नहीं है, हम बाध्यकारी संहिताओं या पार्टियों द्वारा अपने लिए तय किए गए नियमों के सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अनुबंध के कानून के दायरे में आते हैं। हम उन नियमों के साथ काम कर रहे हैं जो आवश्यक सार्वजनिक कार्यों के प्रदर्शन के दौरान "राज्य" के साधन से प्रवाहित होते हैं।

106. सी. बी. एस. ई., एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में पैक किए जाने के बावजूद, सरकार के लिए एक आवश्यक सार्वजनिक कार्य कर रहा है।

1929 में स्थापित। बिन्नी लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम वी. सदाशिवन और Ors.[32] 32 इस न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यों की कुछ विशेषताओं को इस प्रकार निर्धारित किया:

अध्याय 3, पैरा 0.24 में यह इस प्रकार कहा गया है: " एक निकाय एक 'सार्वजनिक कार्य' कर रहा है जब वह जनता या एक वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है।

जनता का और जनता या उस वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है

जब वे जनहित में सामाजिक या आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं या भाग लेते हैं तो सार्वजनिक कार्यों का अभ्यास करें। ऐसा हो सकता है विभिन्न तरीकों से। उदाहरण के लिए, एक निकाय एक सार्वजनिक कार्य कर रहा है जब वह 'सार्वजनिक सामान' या अन्य सामूहिक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और व्यक्तिगत सामाजिक

32 (2005) 6 एससीसी 657 [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवाएँ, कराधान द्वारा जुटाई गई धनराशि से। एक निकाय सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकता है

न्यायनिर्णायक सेवाओं के रूप में कार्य (जैसे कि

आपराधिक और दीवानी अदालतें और न्यायाधिकरण प्रणाली)। वे भी ऐसा करते हैं।

यदि वे यह सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों को विनियमित करते हैं उचित मानकों का अनुपालन। इन सभी उद्देश्यों के लिए, एक सीमा

कानूनी और प्रशासनिक तकनीकों को तैनात किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं

नियम बनाना, न्यायनिर्णयन (और विवाद समाधान के अन्य रूप);

निरीक्षण; और लाइसेंस।

सार्वजनिक कार्यों का अनन्य क्षेत्र होने की आवश्यकता नहीं है

राज्य। धर्मार्थ संगठन, स्व-नियामक संगठन और अन्य नाममात्र

निजी संस्थान (जैसे विश्वविद्यालय, स्टॉक एक्सचेंज,

सार्वजनिक कार्यों के प्रकार। जैसा कि सर जॉन डोनाल्डसन, एम. आर. ने आग्रह किया, यह है अदालतों के लिए वास्तविकताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है

कार्यकारी शक्ति 'और उनकी दृष्टि को धुंधला नहीं होने दें

सूक्ष्मता और कभी-कभी रास्ते की जटिलता से जिसे लागू किया जा सकता है '। गैर-सरकारी निकाय जैसे कि

ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में उतने ही सक्षम हैं जितना कि

सरकार "। " " "

(जोर दिया गया)

एक सार्वजनिक कार्य से जुड़े सिद्धांत जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है

उपरोक्त विश्लेषण को सचित्र रूप से इस प्रकार निकाला जा सकता है:

ए। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जनता के लिए सामूहिक लाभ का विस्तार;

बी। स्वास्थ्य सहित सामाजिक या आर्थिक मामलों में भागीदारी,

शिक्षा, सामाजिक सेवाएँ आदि। ;

सी। सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी निकाय या धर्मार्थ संस्थान

कार्यों को भी जनता की तरह ही विनियमित किया जा सकता है।

प्राधिकरण।

स्कूली शिक्षा संरचना में जैसा कि हमारे पास है, राज्य हैं

संबंधित राज्यों तक सीमित सरकारी बोर्ड। पूरे भारत में अपने संचालन के क्षेत्र वाले केंद्रीय बोर्ड हैं, अर्थात् भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (आई. सी. एस. ई.), एक निजी बोर्ड; अंतर्राष्ट्रीय स्नातक (आई. बी.), जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्नातक संगठन (आई. बी. ओ.) के रूप में जाना जाता था, एक गैर-लाभकारी संस्था/संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है; और सी. बी. एस. ई.।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

107. सी. बी. एस. ई. केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाए गए देश में परीक्षाओं के संचालन के लिए एकमात्र केंद्रीय निकाय है। इन सभी

विभिन्न स्तरों पर गठित निकाय न्यायपूर्ण शैक्षिक शासन की दिशा में काम कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 41, एक निर्देश के रूप में, सी. बी. एस. ई. बोर्ड के बुनियादी कामकाज के पीछे का स्रोत है क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ भी सुरक्षित नहीं करता है। यह शैक्षिक मामलों में भाग ले रहा है जो सामाजिक मामलों का एक आंतरिक हिस्सा है। सी. बी. एस. ई. बोर्ड एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जो सार्वजनिक कार्य के निष्पादन के लिए जनहित में काम करता है।

108. हम लाभप्रद रूप से बोर्ड के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं जो

बोर्ड के सार्वजनिक चरित्र की पुष्टि करता है कि बोर्ड के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय (अब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि:

" 1. बोर्ड माध्यमिक स्तर पर परीक्षा आयोजित करेगा।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (अब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा संचालित करने और उद्देश्यों के सहायक ऐसे कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है जो आवश्यक हो। अनुच्छेद 4 आगे इस प्रकार कहता है:

" 4. भारत सरकार के सचिव, शिक्षा मंत्रालय (अब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय)

बोर्ड के नियंत्रक प्राधिकरण बने रहें "।

109. सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों पर लौटते हुए, उन्हें एक कोड के रूप में जोड़ा जाता है। वे सभी आवश्यक पहलुओं के लिए प्रदान करते हैं।

प्रवेश, परीक्षा, प्रवास, स्थानांतरण, पाठ्यक्रम, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, सत्यापित प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्रों में संशोधन आदि सहित छात्र की औपचारिक शिक्षा से संबंधित। यह उपनियम, इसलिए, पक्षकारों को बाध्य करें और कानून की अदालत में विधिवत लागू करने योग्य हैं, यहां तक कि रिट उपचार के माध्यम से भी जैसा कि हमने याचिकाओं के वर्तमान समूह में देखा है।

110. इसे अलग तरह से रखने के लिए, बोर्ड के उपनियमों में कानून की शक्ति है और सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए उन्हें ऐसा ही माना जाना चाहिए। यह होगा।

इन आधिकारिक नियमों को बनाए रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है।

33 अब "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" के रूप में जाना जाता है [2021] 4 एस. सी. आर.

उनके न्यायपूर्ण अनुप्रयोग में भारी सार्वजनिक हित होने के बावजूद केवल संविदात्मक शर्तों के रूप में राज्य की एक साधनता से उत्पन्न होता है।

111. यह तर्क कि बोर्ड के उपनियम संविदात्मक तत्व हैं क्योंकि सी. बी. एस. ई. एक पंजीकृत सोसायटी है जो एक क़ानून द्वारा समर्थित नहीं है, कम से कम चार कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है-पहला, सी. बी. एस. ई. एक निजी निगमित निकाय नहीं है। यह एक न्यायिक व्यक्ति है और अर्थ के भीतर एक "राज्य" है। अनुच्छेद 12, जो अपने आप में संवैधानिक रिट अदालतों सहित अदालतों के लिए अपनी सुलभता की गारंटी देता है; दूसरा, सी. बी. एस. ई. बोर्ड द्वारा किए गए कार्य सार्वजनिक कार्य हैं न कि निजी कार्य; तीसरा, "कानून के बल" की कसौटी अपने दायरे में नियम की प्रकृति, विषयों पर इसके आधिकारिक प्रभाव, नियम बनाने वाले निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, निकाय की उत्पत्ति, नियमों के बाध्यकारी मूल्य, नियमों के किसी भी प्रतिस्पर्धी समूह का अस्तित्व और चौथा, कानून की अनुपस्थिति को नहीं लेती है।

स्वचालित रूप से नियमों को संविदात्मक शर्तों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

112. जैसा कि अंतिम विश्लेषण में, उपनियम कानून के रूप में काम करते हैं,

इस न्यायालय की जांच को कृत्रिम रंग देकर कमजोर नहीं किया जा सकता है। सी. बी. एस. ई. में नामांकित छात्र के लिए, उसकी शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटने के लिए उपनियमों के अलावा नियमों का कोई अन्य निकाय नहीं है। अब तक यह एक स्थापित सिद्धांत है कि निकाय निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत समितियों आदि को भी घोषित किया जा सकता है राज्य के साधन, एकमात्र कारण यह है कि संगठन के बाहरी रूप को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अंतिम संवैधानिक लक्षय को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जब वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के हाथों पीड़ित होते हैं। न्यायालय को सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करना चाहिए, भले ही सार्वजनिक निकाय को सरकारी प्रस्ताव से अपना अधिकार प्राप्त हो।

113. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायशास्त्र का एक विकसित निकाय है जो यह बताता है कि संवैधानिकता की धारणा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है।

कानूनों के साथ अधीनस्थ विधानों तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए

एक ही शक्ति। क्योंकि, विधायिका को लोगों की इच्छा का पवित्र समर्थन प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से, विधायिका के प्रत्येक अधिनियम को संवैधानिक माना जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय आम तौर पर विधिवत अधिनियमित कानूनों को पहली नज़र में संदेह के साथ नहीं देखते हैं क्योंकि वे इसकी वैधता के कानूनी अनुमान का आनंद लेते हैं। फिर भी, न्यायालय की ओर से सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप संविधान के भाग-III के तहत गारंटी के लिए संवैधानिक संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए है।

114. तर्क देते हुए, परीक्षा उपनियम अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" नहीं हैं, यह उनकी जांच करने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा-न्याय यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारत के संविधान के भाग-III के संदर्भ में क्योंकि सी. बी. एस. ई. अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" है और इसके सभी कार्य परिणामस्वरूप भाग-III के अधीन हैं।

प्वाइंट नंबर 2

115. यह प्रश्न कि क्या विचाराधीन उपनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाते हैं, इस न्यायालय के इस कथन के संदर्भ में समझना होगा कि किसी व्यक्ति के मूल अस्तित्व का उदाहरण उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक पहचान से मिलता है।

और नाम के रूप में अर्जित पहचान के महत्व के बारे में भी। किसी व्यक्ति की पहचान भारत में संवैधानिक योजना के सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और नवतेज सिंह जौहर और अन्य सहित कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा पहचान की पवित्रता को मान्यता दी गई है। बनाम। सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय 3 5 और के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र के माध्यम से भारत संघ। बनाम भारत संघ और अन्य 36। वास्तव में, नवतेज सिंह जौहर में, अदालत ने उल्लेख किया कि कैसे किसी व्यक्ति के मूल अस्तित्व का उदाहरण उसके बाहरी अस्तित्व से नहीं मिलता है।

विशेषताएँ लेकिन उसकी आंतरिक आत्म-पहचान से। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक पहचान के संदर्भ में, इस न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर 3 8 मामले में कहा था कि:

व्यक्तिगत पहचान का विनाश करना समान होगा आंतरिक गरिमा को कुचलना जो गोपनीयता, पसंद, बोलने की स्वतंत्रता और अन्य अभिव्यक्ति के मूल्यों को संचयी रूप से समाहित करता है। इसे दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। एक व्यक्ति

34 (2014) 5 एससीसी 438 35 (2018) 10 एससीसी 1 36 (2017) 10 एससीसी 1 37

38 फुटनोट No.35 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

अपनी पसंद के अभ्यास में यह महसूस हो सकता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन कोई भी, और हमारा मतलब है, किसी को भी, उस पर एकांत नहीं थोपना चाहिए / उसे "।

(जोर दिया गया)

116. पहचान, इसलिए, विभिन्न आंतरिक और

किसी व्यक्ति और नाम की अर्जित विशेषताओं सहित बाहरी विशेषताओं को पहचान के प्रमुख संकेतकों में से एक माना जा सकता है। और इसलिए, एक व्यक्ति को अपने नाम के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए और कानून को उसे बनाए रखने के साथ-साथ "हर समय" स्वतंत्र रूप से इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। इस तरह के नियंत्रण में अनिवार्य रूप से एक की आकांक्षा शामिल होगी

व्यक्ति को एक उचित कारण के लिए एक अलग नाम से पहचाना जाना। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नवतेज सिंह जौहर 3 के आलोक में, इस स्वतंत्रता में अपनी पसंद के तरीके से अपनी पहचान को कानूनी रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल होगी। दूसरे शब्दों में, पहचान की अभिव्यक्ति संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक संरक्षित तत्व है।

117. इस अधिकार के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद, आवश्यक

प्रश्न उन अधिकारों से संबंधित है जो नाम परिवर्तन के कारण प्रवाहित होते हैं। सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहचान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न तत्वों का एक संयोजन है। नवतेज सिंह जौहर ने "स्वाभाविक" से निपटा

पहचान 'और यहाँ हम नाम के साथ काम कर रहे हैं, जिसे केवल' अर्जित पहचान 'के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, प्रतिबंधों के अधिकार और सीमा का सटीक दायरा केवल गहन जांच पर ही निर्धारित किया जा सकता है।

118. शुरू में, यह समझाना महत्वपूर्ण है कि हम क्या समझते हैं

पहचान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक घटक तत्व के रूप में नाम परिवर्तन के इस अधिकार द्वारा। किसी व्यक्ति की पहचान में कोई भी बदलाव करना पड़ता है

कई चरणों के माध्यम से और उन चरणों की उचित पूर्ति के बिना इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति किसी भी समय किसी भी उपाधि या उपनाम के साथ अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन पहचान के परिवर्तन को औपचारिक या कानूनी रूप से तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि राज्य और उसकी

एजेंसियां अपने रिकॉर्ड में इसका ध्यान नहीं रखती हैं। आखिरकार, सामाजिक क्षेत्र में, एक व्यक्ति को न केवल इस बात से पहचाना जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान कैसे करता है, बल्कि इस बात से भी पहचाना जाता है कि उसके आधिकारिक रिकॉर्ड उसकी पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि, किसी व्यक्ति के प्रत्येक सार्वजनिक लेन-देन में, आधिकारिक रिकॉर्ड व्यक्ति को उसके नाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों से परिचित कराते हैं।

39 फुटनोट पर ऊपर No.35

40 फुटनोट No.35 जिज्ञासा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) वी. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

119. इस प्रकार, आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या नाम बदलने के उपरोक्त अधिकार का अर्थ यह होगा कि राज्य और उसकी एजेंसियां बिना शर्त हैं।

जब भी उसके द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है तो वह व्यक्ति की बदली हुई पहचान को गिनने और उसके अभिलेखों को बदलकर उसे मान्यता देने के लिए बाध्य होता है। 120. अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए, आधिकारिक (सार्वजनिक) रिकॉर्ड में नाम बदलने का अधिकार दर्ज नहीं किया जा सकता है।

एक पूर्ण अधिकार और सार्वजनिक नीति और व्यापक सार्वजनिक हित के मामले में निरंतरता का पालन करने और भ्रम और भ्रामक प्रयास को दूर करने के लिए कुछ उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है।

121. अब हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या सी. बी. एस. ई. उपनियम भाग-III के तहत गारंटीकृत अधिकारों के संदर्भ में और आम जनता के हित में न्यायसंगत और उचित प्रतिबंध हैं।

122. तर्कसंगतता की कसौटी के लिए आवश्यक है कि विवादित कानून को समझदारी से इस तरह से तैयार किया जाए कि वह अपने विषयों पर कानून के अंतिम प्रभाव को उचित ठहराने में सक्षम हो। यदि यह प्रतिबंधित करता है, तो इसे कारण के आधार पर प्रतिबंधित करना चाहिए और यदि यह अनुमति देता है, तो इसे कारण के आधार पर अनुमति देनी चाहिए। इसी तरह, यदि कोई कानून एक वर्गीकरण तैयार करता है, तो उसे समझदारी से वर्गीकृत करना चाहिए, यानी तर्क द्वारा समर्थित। तर्क सभी कानूनों की नींव है और उनकी वैधता ठोस कारण की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। समान रूप से महत्वपूर्ण एक वैध वस्तु की उपलब्धता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तर्कसंगतता का निर्णय मामले के विशिष्ट संदर्भ में किया जाता है और यह परिभाषा के शब्दों तक ही सीमित नहीं है। ओम प्रकाश और ओआरएस में। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.41, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 32. "तर्कसंगतता" की अवधारणा परिभाषा की अवहेलना करती है। चिंतामनराव 42 में इस न्यायालय के शुरुआती मामले में प्रस्तावित "एक ऐसे पाठ्यक्रम का चयन जो तर्क को निर्देशित करता है" जैसी अमूर्त परिभाषा लोचदार है। इसलिए वी. जी. रो. 43 के बाद के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि सभी मामलों में लागू होने वाली तर्कसंगतता का "कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न" निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कानूनी

लेखक फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक लीगल थ्योरी, फोर्थ एडन में लिखा है। , पीपी में। 83 85 , टिप्पणी करता है कि तर्कसंगतता एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग व्यक्त करने के लिए किया जाता है मूल रूप से "मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय" का प्राकृतिक कानून आदर्श है। "उचित व्यक्ति" की अवधारणा भी इसका एक अनुप्रयोग है

41 (2004) 3 एस. सी. सी. 402

42 चिंतामनराव बनाम। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 118 43 मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, एआईआर 1952 एससी 196 [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपेक्षित व्यवहार के मानक के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

नागरिक से। के कार्यात्मक और वैचारिक निहितार्थ

"तर्कसंगतता" शब्द यह है कि यह अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक और शब्द है।

सार्वजनिक नीति के लिए। इसका अर्थ है अंतर्निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग।

एक व्यक्तिगत मामले में सामाजिक नीति और नैतिकता। फ्रीडमैन

'सोशल इंजीनियरिंग', 'संतुलन' से काफी अलग रुचियाँ, या कोई अन्य सूत्र जो आधुनिक समाजशास्त्रीय हैं।

सिद्धांत न्यायिक समस्या के उत्तर के रूप में सुझाव देते हैं

फंक्शन "।

वी. जी. रो. 44 में, न्यायालय ने कहा कि कोई सामान्य पैटर्न नहीं हो सकता है

इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

" (15) ..... इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षण

जहां भी निर्धारित किया जाए, वहां प्रत्येक पर तर्कसंगतता लागू की जानी चाहिए।

व्यक्तिगत क़ानून आक्षेपित है, और कोई अमूर्त मानक या सामान्य नहीं है

तर्कसंगतता के स्वरूप को सभी के लिए लागू किया जा सकता है

मामले। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति,

लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, सीमा

और बुराई की तात्कालिकता को ठीक करने की मांग की गई, अधिरोपण का अनुपात, प्रचलित स्थितियाँ

समय, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए। .....

(जोर दिया गया)

123. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपनियम नाम परिवर्तन की अनुमति केवल तभी देते हैं जब

परिणाम के प्रकाशन से पहले न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गई है। यह बिना किसी पूर्व के नाम परिवर्तन पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है। प्रकाशन से पहले अनुमति। यह प्रावधान कुछ मामलों में समस्याग्रस्त है। सबसे पहले, यह केवल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, यह उम्मीदवार के परिणाम के प्रकाशन के बाद सही पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह विफल रहता है

परिणाम के प्रकाशन के बाद नाम परिवर्तन की आवश्यकता की संभावना को ध्यान में रखना, जिसमें कानून की देरी के कारण अदालत से ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय सीमा की अनिश्चितता भी शामिल है।

जिसका उम्मीदवार का कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि, 2007 में उपनियमों में संशोधन करते समय, सी. बी. एस. ई. ने स्वयं कहा था कि स्कूली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के दौरान बच्चे परिपक्व उम्र के नहीं होते हैं और वे अपनी पहचान से संबंधित मुद्दों पर निर्णायक रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। द.

44 फुटनोट No.43 जिज्ञासा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) वी. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपनियम इस संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जब यह न्यायालय द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन से पहले उससे घोषणा करने का आदेश देता है।

124. बोर्ड के अनुसार, इस कठोरता को बनाए रखने के लिए राज्य का हित प्रशासन की दक्षता के अलावा और कुछ नहीं है। प्रशासनिक दक्षता, एक महत्वपूर्ण चिंता होने के बावजूद, न तो रही है और न ही हो सकती है

इसे इस मानक तक बढ़ाया गया है कि इसका उपयोग राज्य की एक साधनता द्वारा आवश्यक कार्यों के गैर-प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए किया जाता है। प्रशासनिक उपयोग करने के लिए

एक छात्र के लिए उसे बदलना व्यावहारिक रूप से असंभव बनाने की दक्षता

बोर्ड प्रमाणपत्रों में पहचान, चाहे वह कितनी भी जरूरी और महत्वपूर्ण क्यों न हो, अत्यधिक असमान होगी और इसे किसी भी तरह से उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। तर्कसंगतता एक छात्र के अपनी पसंद के तरीके से आधिकारिक (सार्वजनिक) रिकॉर्ड में पहचाने जाने के अधिकार और बोर्ड के प्रशासनिक तर्क के बीच एक उचित संतुलन की मांग करेगी।

दक्षता। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, बोर्ड के लिए यह खुला रहेगा कि वह विषय सहित इस तरह के परिवर्तनों की अनुमति की संख्या को सीमित करे।

विद्यमान विनियमों के अनुसार इसके द्वारा संरक्षित पुराने अभिलेखों की उपलब्धता के लिए। लेकिन यह कहना कि परीक्षा परिणामों के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, रिकॉर्ड को बदलने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, पूर्ण निषेध का मामला होगा और उचित प्रतिबंध नहीं होगा।

125. अधिकतम अवधि के संबंध में सीमा जिसमें परिवर्तन होता है

अनुमति दी जा सकती है इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, स्वाभाविक रूप से छात्र को प्रमाण पत्रों के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा। कम उम्र और लापरवाही के कारण एक छात्र त्रुटियों की पहचान करने या उन त्रुटियों के संभावित प्रभाव को समझने में विफल हो सकता है और तदनुसार, आवेदन नहीं कर सकता है तुरंत सुधार। यह भी संभव है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के तुरंत बाद प्रमाणपत्रों का उपयोग नहीं करना पड़े और जब तक वह उनका उपयोग करती है, तब तक सुधार की सीमा अवधि समाप्त हो सकती है। इसलिए, सुधारों की अनुमति देने के लिए एक यथार्थवादी समय बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, यह उस वैधानिक या अनिवार्य अवधि के अनुरूप हो सकता है जब तक कि सी. बी. एस. ई. अपने पुराने रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए बाध्य है।

126. तथापि, हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मौलिक अधिकार के प्रयोग को एक निर्धारित करके रोका जा सकता है सीमा की कठोर अवधि। किसी भी सामान्य

नागरिक अधिकार के मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई निर्धारित समय में शुरू की जाए और एकरूपता बनी रहे, लेकिन क्या मौलिक अधिकारों के बारे में भी ऐसा ही कहने की अनुमति है? अधिकार जिन्हें [2021] 4 एस. सी. आर. के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान के तहत मौलिक "पसंदीदा या चुनी हुई स्वतंत्रताएँ" हैं और ऐसे मामलों में एक बहुत ही संवेदनशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हम आश्चर्य करते हैं कि क्या निर्धारित समय बीतने के बाद, मान लीजिए 3 वर्षों तक, नाम परिवर्तन के लिए कोई उचित और वैध परिस्थितियाँ नहीं हो सकती थीं।

127. साथ ही, सी. बी. एस. ई. के इस तर्क में योग्यता है कि बार-बार परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश है और

प्रशासनिक बोझ के अलावा दुरुपयोग। इस तर्क को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हम यह देखना उचित समझते हैं कि यही चिंता अन्य निकायों पर भी लागू हो सकती है, जैसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 45 और पासपोर्ट प्राधिकरण। 128. जहाँ तक दुरुपयोग के तर्क का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे प्रावधानों के दुरुपयोग के उदाहरण हैं जो आपराधिक मामलों में पहचान बदलने की अनुमति देते हैं। हालांकि, दुरुपयोग की केवल संभावना बोर्ड को अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। नागरिकों को वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए दुरुपयोग की संभावना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। संतुलन इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष में झुकता नहीं है। कानून का पाठ्यक्रम चुन नहीं सकता है

इसकी धारा को केवल इसलिए बदलें क्योंकि रास्ते में दुरुपयोग की आशंका है। बोर्ड की चिंता केवल कुशल शैक्षिक मानकों को विनियमित करना और बनाए रखना है। यह दंडात्मक प्राधिकरण नहीं है। यदि उपनियमों के किसी भी प्रावधान का किसी के द्वारा दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, तो बोर्ड को आवश्यक दंडात्मक या दीवानी कार्रवाई के लिए उपयुक्त निकाय से संपर्क करने का अधिकार होगा। एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई एक नोडल एजेंसी के रूप में, सीबीएसई अपने कार्यों को करते समय उचित सुरक्षा उपाय करने के लिए केवल अपने साधनों और संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अधिक तो, जब यह है

बोर्ड का काम कुछ भी सत्यापित करना भी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद किए जाते हैं। की भागीदारी है

मन का न्यायिक अनुप्रयोग। बोर्ड को केवल अनुमति देने वाले न्यायालय के आदेश को लागू करना होता है, जब भी ऐसा कहा जाता है।

चाहे परीक्षा के परिणाम पहले प्रकाशित किए गए हों। 129. हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक दक्षता ही सी. बी. एस. ई. की एकमात्र चिंता नहीं हो सकती है। प्रत्येक संस्थान अपने कामकाज में दक्षता चाहता है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दक्षता उनके बुनियादी कार्यों पर अंकुश लगाकर प्राप्त की जाती है। सी. बी. एस. ई. के संविधान के अनुच्छेद 9 में निर्देशात्मक रूप से कहा गया है कि सी. बी. एस. ई.

माध्यमिक शिक्षा के मानक को "विनियमित करने और बनाए रखने" के लिए गठित एक निकाय है। उसी को तैयार संदर्भ के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया है:

45 संक्षेप में "यू. आई. डी. ए. आई".

जिज्ञासा यादव (माइनर) (गार्डियन/फादर के माध्यम से)

हरि सिंह) वी। C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 9. बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:

XXX

XXX

XXX

माध्यमिक स्तर को विनियमित करना और बनाए रखना शिक्षा "।

(जोर दिया गया)

"विनियमन" और "रखरखाव" शब्द बहुत व्यापक हैं।

आयात करें और इंगित करें कि बोर्ड का कार्य किसी भी तरह से संकुचित नहीं है। शिक्षा के स्तर का विनियमन

बोर्ड को सभी संभावित पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए संकल्प और विनियमों के तहत सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सशक्त करेगा।

उन मानकों के रखरखाव के लिए निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होगी। छात्रों की बदलती जरूरतों और शिक्षा के अंतिम लक्षय के अनुरूप बोर्ड के नियम और सेवाएं।

130. बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक अनुदान देना है।

अपने छात्रों को प्रमाण पत्र। प्रभावी रखरखाव और विनियमन

शिक्षा के मानक में ऐसे प्रमाण पत्र देने में बोर्ड की पूरी जवाबदेही शामिल होगी और परीक्षा परिणाम के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद इसका कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। बल्कि, यह छात्रों की प्रकाशन के बाद की चिंताओं का ध्यान रखने तक फैला हुआ है, जब वे उभरते हैं, क्योंकि छात्र अपने प्रमाणपत्रों का उपयोग उच्च शिक्षा और कैरियर के अवसरों के उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। बोर्ड के कार्यों का एक संकीर्ण अध्ययन स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट अंतराल छोड़ देगा और छात्रों के कल्याण को खतरे में डाल सकता है।

चिंताएँ।

131. संबंधित उपनियम को इस धारणा पर तैयार किया गया है

कि ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती है जिसमें परिणाम प्रकाशित होने के बाद किसी छात्र के लिए नाम परिवर्तन की वैध आवश्यकता उत्पन्न हो। यह माना जाता है कि प्रमाणपत्रों में केवल टाइपोग्राफिक/तथ्यात्मक त्रुटियां आ सकती हैं और उन्हें सुधार के प्रावधान का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। द.

अनुमान, हमें ध्यान देना चाहिए, गलत, बेतुका है और अपने आप में दूर है। सामाजिक वास्तविकताओं से। ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें [2021] 4 एस. सी. आर.

नाम का परिवर्तन एक वैध आवश्यकता हो सकती है और शिक्षा के स्तर को संरक्षित करने के अंतिम लक्षय को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को यह करना चाहिए कि

इस तरह के परिवर्तनों को लागू करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करें।

132. यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि यहां दो पक्ष-बोर्ड और छात्र प्रभाव की समान स्थिति में नहीं हैं। में।

दूसरे शब्दों में, सुविधा का संतुलन छात्रों के पक्ष में झुक जाएगा। क्योंकि, उन्हें अपने प्रमाणपत्रों में अशुद्धियों के कारण बोर्ड की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी एकमात्र चिंता प्रशासनिक बोझ बढ़ाना है। बोर्ड का अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ उठाने का दायित्व निस्संदेह कठिन है, लेकिन गलत प्रमाण पत्र के कारण एक छात्र की कैरियर के अवसर खोने की प्रवृत्ति अद्वितीय है। उदाहरण के लिए, कानून के साथ टकराव में होने का आरोपी एक किशोर या यौन शोषण का शिकार जिसकी पहचान मीडिया या जांच निकाय द्वारा चूक के कारण समझौता कर ली जाती है, उसके लिए पूर्ण कानूनी सुरक्षा होने के बावजूद, समाज में पुनर्वास की मांग करने के लिए नाम बदलने पर विचार कर सकती है ताकि उसे भुला दिया जा सके। यदि बोर्ड, ऐसे मामले में, नाम बदलने से इनकार करता है, तो छात्र अतीत के निशान के साथ जीने के लिए मजबूर होगा। हम यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि यह कैसे छात्र के मौलिक अधिकारों का गंभीर और निरंतर उल्लंघन नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास को सुरक्षित करने में घोषित सार्वजनिक हित बोर्ड की रुचि को प्रभावित करेगा। प्रशासनिक दक्षता। वास्तव में, यह छात्र की मानवीय गरिमा के खिलाफ होगा, जिसकी सुरक्षा सभी संबंधितों का सर्वोच्च कर्तव्य है। शैक्षणिक मानकों के रखरखाव से संबंधित बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है।

नामांकन करने वाले छात्रों की पहचान को प्रभावित करने की शक्ति का खुद पर घमंड करें

यह। अपनी पहचान को नियंत्रित करने का अधिकार व्यक्ति के पास रहना चाहिए, निश्चित रूप से, उचित प्रतिबंधों के अधीन जैसा कि ऊपर देखा गया है। बाद में चर्चा की गई।

133. बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की उपयोगिता अब केवल शैक्षिक उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है। वे आज एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

और अक्सर अन्य सरकारी पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय नाम और जन्म तिथि जैसे विवरणों को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करते समय वे अत्यधिक प्रासंगिकता रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सी. बी. एस. ई. ने स्वयं उनके प्रमाणपत्रों के महत्व और आधिकारिक मूल्य पर विस्तार से तर्क दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, एक अशुद्धि या परिवर्तन से इनकार एक छात्र की भविष्य की संभावनाओं के लिए घातक हो सकता है और इन सभी चिंताओं को प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

134. उल्लेखनीय है कि संसद पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति भी सचेत है। विभिन्न वैधानिक हैं अधिनियम जिनमें पहचान परिवर्तन के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यू. आई. डी. ए. आई. आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर आधार कार्ड में बदलाव की अनुमति देता है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा-31 में परिवर्तनों का प्रावधान है।

अभिलेखों में। यह प्रावधान जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों परिवर्तनों की अनुमति देता है। वह इस प्रकार है:

जानकारी दी। — (1) यदि आधार संख्या धारक की कोई जनसांख्यिकीय जानकारी गलत पाई जाती है या बाद में बदल जाती है, तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से इसे बदलने का अनुरोध करेगा। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उसके रिकॉर्ड में ऐसी जनसांख्यिकीय जानकारी इस तरह से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

संख्या धारक प्राधिकरण से आवश्यक बनाने का अनुरोध करेगा में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उनके रिकॉर्ड में परिवर्तन

ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

संख्या धारक। (4) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में किसी भी पहचान की जानकारी को इस अधिनियम या अधिनियम में प्रदान किए गए तरीके के अलावा नहीं बदला जाएगा।

इस संबंध में बनाए गए विनियम। " आधार के साथ संलग्न अनुसूची II (नामांकन और अद्यतन)

विनियम, 2016 परिवर्तनों के लिए अनुरोध किए जाने पर पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची प्रदान करता है। पहचान के प्रमाण को निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है 46:

ए। पासपोर्ट;

बी। पैन कार्ड;

सी। ड्राइविंग लाइसेंस;

46 सूची केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए। जन्म प्रमाण पत्र; बी। पासपोर्ट;

सी। समूह ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।

यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट यह भी बताती है कि इस तरह के बदलाव क्यों हो सकते हैं।

लाल और हम इसे इस प्रकार पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रासंगिक महसूस करते हैं:

" जनसांख्यिकीय डेटा अद्यतन, आवश्यकता निम्न से उत्पन्न हो सकती है:

विवाह जैसी जीवन की घटनाओं में परिवर्तन हो सकते हैं -

निवासी अपने बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरणों को बदलते हैं जैसे कि

नाम और पता। पता और मोबाइल नंबर भी हो सकता है।

नए स्थानों पर प्रवास के कारण परिवर्तन। निवासी जीवन की घटनाओं जैसे विवाह, किसी रिश्तेदार की मृत्यु आदि में परिवर्तन के कारण अपने रिश्तेदार के विवरण में भी बदलाव चाहते हैं। इसके अलावा, निवासियों के पास अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि बदलने के लिए अन्य व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं।

आदि। • नामांकन प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियाँ जिसमें निवासी का जनसांख्यिकीय डेटा गलत तरीके से लिया गया हो सकता है। "डीओबी/आयु" और "लिंग" क्षेत्रों में परिवर्तन मुख्य रूप से नामांकन त्रुटियों के कारण होने की उम्मीद है।

• चूँकि एक निवासी भारत में कहीं भी नामांकन कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाषा "ए" के मूल वक्ता को भाषा "बी" के संचालक द्वारा नामांकित किया गया हो और परिणामस्वरूप निवासी की नामांकन की स्थानीय भाषा "बी" हो। बाद में, निवासी बदलना चाह सकता है दूसरे में नामांकन की स्थानीय भाषा जिसे वह पसंद करता है। यदि ऐसा है, तो आधार पर छपी सभी जनसांख्यिकीय जानकारी

पत्र को नई स्थानीय भाषा में अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।

• यू. आई. डी. ए. आई. पी. ओ. आई., पी. ओ. ए. और अन्य की उपलब्धता का भी पता लगा सकता है। नामांकन/अद्यतन के समय एकत्र किए गए दस्तावेज़ और उनकी गुणवत्ता

यह केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं है।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और निवासी को अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी अद्यतन करने के लिए सूचित करने का निर्णय लें

जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।"

(जोर दिया गया)

विवाह, पलायन, मृत्यु के कारण आवश्यक परिवर्तनों के अलावा

आदि, प्राधिकरण "व्यक्तिगत कारणों" के कारण परिवर्तनों की अनुमति देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। अंतर्निहित विचार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान पर नियंत्रण का स्वतंत्र अभ्यास सुनिश्चित करते हुए अभिलेख की सटीकता सुनिश्चित करना है।

135. इसी तरह, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के साथ पढ़ा जाता है -

पासपोर्ट नियम, 1980 कुछ दस्तावेजों के आधार पर नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन की अनुमति देता है। विदेश मंत्रालय 48

परमिट

पासपोर्ट सेवा के एक भाग के रूप में पासपोर्ट धारक के नाम और हस्ताक्षर सहित अन्य जानकारी में परिवर्तन। यह तीन श्रेणियों के तहत नाम परिवर्तन की अनुमति देता है:

" आवेदक को नाम परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है

निम्नलिखित घटनाएँ:

1. विवाह, तलाक या पुनर्विवाह के बाद या

2. उपनाम जोड़ना (बचपन से वयस्कता) या 3. पूरा नाम बदलना "।

यह कुछ दस्तावेजों के आधार पर ऐसे परिवर्तनों की अनुमति देता है जो

इन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है:

" दस्तावेजों की जरूरत

(i) निर्धारित डीड पोल (ii) नाम परिवर्तन की घोषणा करते हुए मूल समाचार पत्र कटिंग

दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित (निवास के क्षेत्रों में)

& स्थायी निवास)-भारतीय और स्थानीय समाचार पत्रों में

(iii) आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम परिवर्तन के कारण का हवाला देते हुए "।

मंत्रालय पासपोर्ट पर हस्ताक्षर में बदलाव की भी अनुमति देता है

कुछ शर्तों को पूरा करने पर जो इस प्रकार हैं:

48 संक्षेप में, "एम. ओ. ई. ए". [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र। आवश्यकताएँ:

1. आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2. 4 (चार) पासपोर्ट आकार (35 मिमी x 45 मिमी) समान तस्वीरें

सफेद पृष्ठभूमि के साथ पूर्ण चेहरे का सामने का दृश्य दिखा रहा है।

3. वैध वीजा या निवास परमिट वाले वर्तमान पासपोर्ट को संलग्न करना आवश्यक है। यदि नवीनतम पासपोर्ट मूल पासपोर्ट को जारी की गई अतिरिक्त पुस्तिकाएँ हैं, तो अतिरिक्त पुस्तिकाएँ

साथ ही मूल पासपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, मंत्रालय अपने अभिलेखों में उपस्थिति के परिवर्तन की भी अनुमति देता है यदि समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है, इस प्रकार:

यदि आपकी पिछली उपस्थिति के बाद से आपका रूप काफी बदल गया है। पासपोर्ट बनाया गया था, आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं

हाल की तस्वीर "।

136. उपरोक्त विश्लेषण से जो पता चलता है वह यह है कि

सरकार (ओं) नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पहचान रिकॉर्ड को उन्नत करने के अपने कर्तव्य से अवगत है। विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारणों से लेकर जीवन की घटनाओं जैसे विवाह, मृत्यु या प्रवास से उत्पन्न कारणों तक, अधिकारी नागरिकों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहचान की प्रकृति के अनुसार, परिवर्तनों की अनुमति है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण 4 9 और के. एस. में स्पष्ट आदेश के आलोक में। 50, यह सभी राज्य उपकरणों का बाध्य कर्तव्य है कि वे नागरिकों द्वारा अधिकारों के प्रयोग में सक्षमकर्ताओं की भूमिका निभाएं, जिसमें नागरिकों की विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पसंद के कारण उनके रिकॉर्ड को सही करना शामिल है। उदाहरण के लिए, "लिंग" एक विकसित अवधारणा है जो पहचान दस्तावेजों में परिवर्तन की गारंटी दे सकती है। ऐसे मामलों में, कारणों के प्रकटीकरण पर बहुत अधिक आग्रह गोपनीयता के लिए आक्रामक हो सकता है। हालांकि, एक अंतिम में

49 फुटनोट पर ऊपर No.34 50 फुटनोट पर ऊपर No.36 जिज्ञासा यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विश्लेषण, कारणों की जांच करने की इस कवायद को एक विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सशक्त कानून की अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

नागरिक। इसलिए, जहां तक सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में निहित जानकारी का संबंध है, बोर्ड को छात्रों को आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के अधीन इसे संशोधित करने का अवसर देना चाहिए जो प्रकृति में उचित हैं। यदि अन्य सभी राज्य एजेंसियां स्वतंत्र अभ्यास में सक्षम होने के साथ-साथ निरंतरता और सटीकता के संरक्षण के लिए इसकी अनुमति दे सकती हैं नागरिकों द्वारा अधिकार, सीबीएसई के लिए छात्रों के उस अधिकार को बनाए नहीं रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, यह सी. बी. एस. ई. की अपनी विश्वसनीयता के हित में होगा कि उनके रिकॉर्ड को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भरोसेमंद होने के योग्य छात्र के सटीक और नवीनतम रिकॉर्ड के रूप में माना जाए। इसलिए, यह दृष्टिकोण दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा-अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग और सटीकता के संरक्षण को सक्षम बनाना।

138. हालाँकि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुरोध किए गए परिवर्तनों की न्यायसंगतता को निश्चित रूप से देखा जा सकता है। प्रत्येक एजेंसी की अपनी विधि होती है। उनके अभिलेखों में परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार करते समय सत्यापन। उदाहरण के लिए, कुछ एजेंसियां परिवर्तन करने के लिए शपथ पत्र का उपयोग करती हैं, कुछ एजेंसियों को अदालत द्वारा पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सीबीएसई

स्वयं एक ही तंत्र का उपयोग करता है-कानून की अदालत द्वारा पूर्व अनुमति और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन। हम बाद के चरण में न्यायोचितता और अनुरोधित परिवर्तनों की वास्तविकता के प्रश्नों को तय करने में अदालत द्वारा पूर्व अनुमति की प्रासंगिकता पर चर्चा कर सकते हैं। 139. कानून राज्य की किसी संस्था द्वारा आवश्यक कर्तव्यों को छोड़ने के कार्य को कोई मान्यता नहीं देता है। मामलों का एक निपटाया गया निकाय है जो यह बताता है कि आवश्यक सार्वजनिक कार्यों के लिए सौंपा गया निकाय अपनी शक्तियों को अनुचित रूप से बाधित नहीं कर सकता है। भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी 51 में, इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को इस प्रकार नोट किया:

" 12. इस मामले के बाद रसेल आया। जे. यॉर्क निगम बनाम। हेनरी लीथम एंड संस Ltd.52 वहाँ, वादी-निगम

51 फुटनोट संख्या 6 पर ऊपर दिया गया है

52 (1924) 1 चै. 557 [2021] 4 एस. सी. आर.

के हिस्से में नौवहन के नियंत्रण के साथ क़ानून द्वारा सौंपा गया था

औस और फ़ोस नदियों के भीतर इस तरह के टोल चार्ज करने की शक्ति है

सीमाएँ, जैसा कि निगम ने दोनों को जारी रखने के लिए आवश्यक समझा नौवहन जिनमें जनता की रुचि थी। निगम

प्रतिवादियों के साथ दो अनुबंध किए जिनके तहत वे सहमत हुए

स्वीकार करने के लिए, उपयोग को नेविगेट करने के अधिकार के विचार में, ए

के स्थान पर प्रति वर्ष £ 600 का नियमित वार्षिक भुगतान अधिकृत शुल्क। फॉस के नौवहन के संबंध में अनुबंध

समान लाइनों पर था। यह रसेल, जे. द्वारा आयोजित किया गया था कि अनुबंध

अत्यधिक अधिकार और शून्य थे क्योंकि उनके तहत निगम के पास था स्वयं अक्षम, व्यायाम से जो भी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है

समय-समय पर टोल बढ़ाने की इसकी वैधानिक शक्तियाँ हो सकती हैं आवश्यक है। विद्वान न्यायाधीश, आयर हार्बर के मामले का हवाला देने के बाद 53

और एक अन्य मामला स्ट्रैफोर्डशायर और वॉरसेस्टरशायर कैनाल

नौवहन वी. बर्मिंघम कैनाल नेविगेशन 54 ने देखा:

यही सिद्धांत कई अन्य मामलों को रेखांकित करता है जो दर्शाते हैं

वैधानिक शक्तियों के साथ आरोपित निकाय की अक्षमता

ऐसी शक्तियों से खुद को अलग करने या बंधन में डालने का सार्वजनिक उद्देश्य

स्वयं ऐसी शक्तियों के उपयोग में।

13. अंत में लॉर्ड पार्कर, सी. जे. ने साउथेंड-ऑन-सी कॉर्पोरेशन में कहा

वी. हॉजसन (विकफोर्ड) Ltd.55:

ऐसे मामलों की एक लंबी कतार है जिन पर हम नहीं गए हैं

विशेष रूप से संदर्भित जो निर्धारित करता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण

अनुबंध द्वारा अपने विवेकाधिकार के प्रयोग को बाधित नहीं कर सकते।

(जोर दिया गया)

जे. के. अग्रवाल 56 में भी इसी तरह का प्रस्ताव दिया गया है।

सी. बी. एस. ई. के दिल्ली उच्च न्यायालय ने ध्रुव पराटे में कहा कि कैसे सी. बी. एस. ई. ने नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं देकर अपने उपनियमों में स्व-लगाए गए प्रतिबंध बनाए हैं। न्यायालय ने विवेकाधिकार के इस प्रयोग की निंदा की और

इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" 8. एक संगठन की दक्षता के हित आम तौर पर उन दिशानिर्देशों को निर्धारित करें जिन्हें प्रशासित किया जाना है; फिर भी जब

55 1961 2 सभी ईआर 46 56 फुटनोट संख्या 7 पर ऊपर दिया गया है

57 फुटनोट संख्या 4 में ऊपर दिया गया है-जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वे संगठन के अधिकारियों को, जो आम जनता की सेवा करने के लिए है, न्याय करने से रोकते हैं, व्यक्तिगत मामलों में, दिशानिर्देश आत्म-पराजित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में, जैसा कि वर्तमान में है, अंतिम परिणाम का मतलब होगा कि याचिकाकर्ता के पास अलग-अलग नामों वाले दो प्रमाण पत्र होंगे और पूरा जीवन संभवतः अंतर को समझाने में व्यतीत होगा-शायद ही उसके लिए अनुकूल, जो प्रणाली में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें ध्यान देना चाहिए कि नाम परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सी. बी. एस. ई. की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। द.

संविधान, संकल्प और विनियम बोर्ड के कार्यात्मक दस्तावेज हैं और इनमें से कोई भी दस्तावेज ऐसी किसी भी बाधा का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, बोर्ड अपने कर्तव्यों पर बंधन नहीं लगा सकता है ताकि छात्रों के लिए उनके प्रमाण पत्रों को बदलने के वैध कारणों के साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो। इस नकारात्मक तरीके से विवेक का प्रयोग मनमाना और अनुचित होगा।

140. इस प्रकार, हम मानते हैं कि "परीक्षा परिणामों के प्रकाशन के बाद" नाम परिवर्तन के संबंध में प्रावधान अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है और अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों के प्रयोग पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि नाम परिवर्तन का प्रावधान स्पष्ट रूप से नाम/जन्म तिथि में सुधार के लिए प्रावधान से अलग है और इसलिए, हमारा निर्धारण उपरोक्त चर्चा और बाद में बताए गए दिशानिर्देशों के संदर्भ में सीमा अवधि की शर्त के संबंध में उन्हें प्रभावित नहीं करेगा।

142. हम उन उपनियमों से शुरुआत कर सकते हैं जो 2007 तक यानी 2007 के संशोधन तक लागू थे। उपविधि 69 "बोर्ड के प्रमाणपत्र में परिवर्तन" से संबंधित है जिसमें उपविधि 69.1 में "परिवर्तन और सुधार" शामिल हैं। "नाम में" और 69.2 में "जन्म तिथि में परिवर्तन/सुधार" शामिल है। उपनियमों में अपनाई गई भाषा की समझ पर, हमें शुरू में ही ध्यान देना चाहिए कि उपनियमों में "सुधार" और "परिवर्तन" शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि, "सुधार" शब्द वर्तनी त्रुटियों, तथ्यात्मक त्रुटियों या टंकण संबंधी त्रुटियों और शब्द को दर्शाता है।

" "परिवर्तन" नाम के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। तैयार संदर्भ के लिए, परीक्षा उपनियमों के विकास का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता है:

सीबीएसई परीक्षा नियमावली

समय बदलें/सुधारें

सुधार में सुधार

का परिवर्तन

में परिवर्तन करें

उम्मीदवार का नाम

इसमें अवधि

जिनके नाम में

जिनके नाम उम्मीदवार का नाम

उम्मीदवार की उम्मीदवार की

पिता/माता

पिता/माता जन्म तिथि

नाम

2007 से पहले परिवर्तन/जोड़/परिवर्तन/जोड़ में कोई बदलाव की अनुमति नहीं संशोधन के लिए इसे बनाने के लिए

हटाने की अनुमति है

एन/विलोपन

जन्म

तिथि

सुधार

अनुमति देने के लिए इसे अलग बनाने के लिए सुसंगत। केवल स्कूल स्कूल रिकॉर्ड के साथ नाम में। स्कूल रिकॉर्ड से यह सुधार संख्या से अलग है जो स्कूल रिकॉर्ड को पूरा करने पर सीमित करने की अनुमति है।

रिकॉर्ड करें।

पूरा होने पर

दो शर्तें -

इसे

बनाएँ।

कानून के लिए के अनुरूप दो शर्तों की अदालत द्वारा

अनुमति और

- विद्यालय अभिलेख द्वारा

अनुमति। डी. ओ. बी.

न्यायालय और

में अधिसूचना

2 के भीतर

में अधिसूचना

वर्षों का

सरकार

घोषणा

सरकार

राजपत्र।

परिणाम के लिए।

राजपत्र।

2007 के बाद

अनुमति दी गई।

अनुमति दी गई

पहले की

तरह ही। के लिए

कोई बदलाव नहीं

कोई बदलाव नहीं

इसे बनाने के लिए संशोधन

इसे बनाएँ।

नाम/उपनाम

नाम/उपनाम

नाम

अनुमति के अनुरूप।

अनुमति दी गई।

10 के भीतर

वर्षों का

स्कूल स्कूल रिकॉर्ड के साथ।

रिकॉर्ड करें।

परिणाम के लिए। के लिए

डी. ओ. बी.

के समान

इससे पहले।

2011 के बाद भी ऐसा ही हुआ

पहले की तरह ही। के लिए

पहले की तरह ही। विचार किया जा सकता है

हो सकता है।

संशोधन पहले।

लिखित अनुरोध पर

विचार किया जा रहा है

का परिवर्तन

लिखित अनुरोध

में से

नाम

उम्मीदवार/पिता/मो उम्मीदवार/पिता /

10 के भीतर

माँ को विधिवत अग्रेषित किया गया

वर्षों का

मुखिया द्वारा

द्वारा अग्रेषित

घोषणा

संस्थान।

के प्रमुख

परिणाम के लिए।

संस्थान।

2015 के बाद की अनुमति

माना जा सकता है कि पहले की तरह कोई बदलाव नहीं किया गया है। के लिए

पूरा होने पर

केवल

समय था।

इसे बनाने के लिए संशोधन

इसे बनाएँ।

का नाम

सुधार

दो पूर्व के साथ सुसंगत

पिता/माँ को एक कर दिया गया

नाम का

एक साल

बाद

उम्मीदवार से पहले स्कूल रिकॉर्ड शर्तों के साथ

1 के भीतर

रिकॉर्ड करें लेकिन केवल प्रकाशन के भीतर

अनुमति है। की घोषणा

वर्ष का

उम्मीदवार के परिणाम के केवल एक वर्ष के भीतर

घोषणा

परिणाम।

एक वर्ष का परिणाम।

परिणाम के लिए।

- द्वारा अनुमति

न्यायालय और

परिणाम।

राजपत्र अधिसूचना।

के लिए

डीओबी।

1 के भीतर

वर्ष का

घोषणा

परिणाम के लिए। 2018 को पहले की तरह ही पोस्ट करें। पहले की तरह ही। नाम में कोई बदलाव नहीं संशोधन पहले।

कैप्शन बनाया गया

समय सीमा

पिता/माता की जन्म तिथि में सुधार की समय सीमा को बदलकर अनुमति के साथ अनुमति के लिए पांच अनिवार्य कर दिया गया है। दो नामों को दिखाने के बाद वर्षों में बदल दिया गया

समान शर्तें

श्रेणियाँ

5 के भीतर

परिवर्तित की पांच साल की घोषणा

जिसमे लागू होता है

सुधार

वर्षों का

अनुमत परिवर्तन के मामले में जानकारी-घोषणा के रूप में

इसके बाद

परिणाम।

प्रति

विद्यालय

परिणाम के लिए।

घोषणा

प्रमाण पत्र।

का नाम

उम्मीदवार।

अभिलेख

और

परिणाम के लिए।

अदालती

आदेशों के अनुसार। के लिए

डीओबी।
5 के भीतर

वर्षों का

घोषणा

परिणाम के लिए।

जिज्ञासा यादव (माइनर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

143. उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि शायद ही कोई एकरूपता हो।

संबंधित अवधि के दौरान संचालित परीक्षा उपनियमों में, या तो अनुमेय परिवर्तनों के दायरे में या ऐसे परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए प्रदान की गई समय-सीमा में। संभवतः, अनुभवों और न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को उपनियमों में बार-बार संशोधन करना पड़ता था, कभी-कभी कुछ और करने और पहले की स्थिति में वापस जाने के लिए। मोटे तौर पर, उपरोक्त सारणी से छाप एकत्र की गई

विश्लेषण यह है कि बोर्ड अनुमेय परिवर्तनों के संबंध में एक सर्व-उद्देश्य दीर्घकालिक वस्तुनिष्ठ नीति के बिना अंधेरे में टकटकी लगा रहा है।

उपनियमों की वैधता की परीक्षा

144. शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि परिवर्तनों की कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें छात्र आमतौर पर अपने लेख में दर्ज करने के लिए आवेदन करते हैं।

अभिलेख। जाहिर है, एक सुधार का मतलब होगा मूल रिकॉर्ड को थोड़ा संशोधन के साथ बनाए रखना ताकि इसे स्कूल के अनुरूप बनाया जा सके। अभिलेख। संशोधन की यह आवश्यकता विभिन्न कारणों से पैदा हो सकती है, जैसे प्रकाशन के समय टाइपोग्राफिक गलती, वर्तनी त्रुटि या तथ्यात्मक त्रुटि, यानी तथ्य की त्रुटि जो उस समय मौजूद थी जब प्रमाण पत्र प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार, स्कूल रिकॉर्ड (जैसा कि वे बोर्ड को जानकारी भेजने के समय मौजूद थे) और सी. बी. एस. ई. प्रमाणपत्रों के बीच सर्वसम्मति लाने के लिए नाम में सुधार किया जाता है। हालाँकि, यदि बाद में स्कूल के अभिलेखों में बदलाव किया जाता है और बोर्ड को अद्यतन स्कूल अभिलेखों के आलोक में अपने प्रमाणपत्रों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है, तो इसे स्वयं सुधार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह परिवर्तन को दर्ज करने की प्रकृति में होगा। इसलिए, "सुधार" से काफी हद तक विचलन करते हुए,

उपनियम नाम को "बदलने" का विकल्प प्रदान करते हैं, जो विभिन्न शर्तों के अधीन है।

146. इसी तरह का प्रावधान जन्म तिथि में "सुधार" के लिए उपलब्ध है, या तो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर या अदालत के आदेश के आधार पर।

एक अन्य शर्त यह भविष्यवाणी करती है कि परिणाम के प्रकाशन से पहले पूर्व अनुमति और प्रकाशन दोनों किए जाने चाहिए। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि उम्मीदवार के परिणाम के प्रकाशन के बाद नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, भले ही इसकी अनुमति न्यायालय द्वारा दी गई हो और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो। दूसरे शब्दों में, एक बार उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाने के बाद, बोर्ड केवल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम में सुधार की अनुमति देगा। इसके अलावा, स्वतंत्र इच्छा से नाम बदलने से इनकार किया जाता है। 148. विशेष रूप से, हमारे सामने मामले अलग-अलग अवधियों से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सी. बी. एस. ई. के 2007 से पहले मौजूद उपनियम अलग थे।

2007 से 2018 तक की परीक्षा उपनियमों की यात्रा का सारांश अब तक सारणीबद्ध किया गया है। "सुधार" और "परिवर्तन" के बीच का अंतर हमेशा अच्छी तरह से सीमांकित किया गया था-जिसमें 2007 से पहले भी शामिल था। जहां तक सुधार के संबंध में, जिसका अर्थ हो सकता है कि इसे स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन किया जाए, लेकिन जब इसके लिए अनुरोध करने की बात आई

जब जन्म तिथि में परिवर्तन की बात आई जो पूरी तरह से निषिद्ध थी। केवल जन्म तिथि के संबंध में सुधार करने की अनुमति थी। स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप। और जिसके लिए दो साल की सीमा है। परिणाम की घोषणा से निर्दिष्ट किया गया था। दो साल की आवश्यकता

इसे अनुचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। उम्मीदवार और उसके माता-पिता से सतर्क रहने और उपचारात्मक उपाय करने की अपेक्षा की जाती है-जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद। वह भी स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाए जाने के लिए। बोर्ड को स्कूल रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को जारी रखने के अनुशासन का पालन करना चाहिए क्योंकि यह आगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें करियर के अवसर भी शामिल हैं।

उम्मीदवार। महत्वपूर्ण रूप से, 2007 से पहले प्राप्त स्थिति में किसी भी समय सीमा का प्रावधान नहीं था जिसके भीतर उम्मीदवार या उसके माता-पिता के नाम में सुधार किया जाना था। ये प्रतिबंध निश्चित रूप से उचित प्रतिबंध हैं, जबकि संबंधित उम्मीदवार को जारी किए गए प्रमाणपत्रों के रूप में अपने रिकॉर्ड को स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप या अन्यथा बनाने के लिए बोर्ड की सक्षम शक्ति को मान्यता देते हैं।

149. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि उपनियमों में बार-बार संशोधन किए गए हैं जो संबंधित प्रावधानों के लिए अलग-अलग प्रावधान प्रदान करते हैं।

अवधि। अंतिम निर्देशों की प्रकृति के लिए जो हम जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, यह हो सकता है समय-समय पर संशोधित संबंधित उपविधि की वैधता पर विस्तार करना आवश्यक नहीं होगा। मोटे तौर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपनियम दो अलग-अलग वितरणों को मान्यता देता है। सबसे पहले मूल प्रमाण पत्र में संशोधन करना है ताकि इसे पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाया जा सके। दूसरा है विवरणों को शामिल करना।

मूल प्रमाण पत्र जो विद्यालय के अभिलेखों से अलग हैं।

150. निर्विवाद रूप से, उम्मीदवार आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य में कैरियर के अवसरों का पता लगाएगा।

सी. बी. एस. ई. बोर्ड सहित। सी. बी. एस. ई. उम्मीदवार के संबंध में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को स्कूल रिकॉर्ड होने के आधार पर रखता है। इसलिए, सी. बी. एस. ई. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुधार करने के लिए बाध्य है कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र स्कूल रिकॉर्ड में प्रस्तुत प्रासंगिक जानकारी के अनुरूप है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था और भविष्य में परिवर्तन जिसमें सी. बी. एस. ई. द्वारा परिणाम के प्रकाशन के बाद भी शामिल हैं। हालांकि, जब सीबीएसई द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र में किसी भी जानकारी को दर्ज करने की बात आती है जो इसके अनुरूप नहीं है।

स्कूल अभिलेखों के अनुसार, यह आवश्यक है कि सी. बी. एस. ई. को सार्वजनिक दस्तावेज़ का समर्थन करने के लिए जोर देना चाहिए जिसका अनुमानित मूल्य है और इस तरह के परिवर्तन को शामिल करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए मामले की घोषणा में। इस संबंध में, सी. बी. एस. ई. किसी तीसरे पक्ष/निकाय द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ खुद को आश्वस्त करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकता है, क्योंकि इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों को सी. बी. एस. ई. द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार शामिल किया गया है। उम्मीदवार। समापन पैराग्राफ में, हम इस फैसले में चर्चा के आलोक में सीबीएसई बोर्ड को निर्देश जारी करने का इरादा रखते हैं। समान निर्देशों की प्रकृति के लिए जो हम जारी करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि किसी भी [2021] 4 एस. सी. आर. को निरस्त किया जा सके।

सी. बी. एस. ई. बोर्ड द्वारा भविष्य में निपटाए जाने वाले मामलों सहित विचाराधीन मामलों में असंगत दृष्टिकोण, हमारे लिए समय-समय पर प्रभावी प्रासंगिक उपनियमों में संबंधित संशोधनों की वैधता के सवाल पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है।

प्वाइंट नंबर 3

सार्वजनिक दस्तावेजों का बाध्यकारी मूल्य

151. क्या सी. बी. एस. ई. अद्यतन सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य है (इसके अलावा)

विद्यालय अभिलेख), विचार के लिए अगला अंक है। बोर्ड के अनुसार, इसकी अनुमति नहीं होगी क्योंकि इसके पास सार्वजनिक दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं है। यहाँ तक कि उपनियमों के तहत भी बोर्ड को दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल बोर्ड का काम नहीं है।

152. उपनियम नाम परिवर्तन या अन्य विवरणों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को दर्ज करने के लिए दो-स्तरीय तंत्र प्रदान करते हैं। उनमें से एक है -

न्यायालय द्वारा पूर्व अनुमति या घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए। जहाँ तक जन्म प्रमाण पत्र, आधिकारिक राजपत्र, आधार कार्ड, चुनाव कार्ड आदि जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों का संबंध है, वे 1872 के अधिनियम के अध्याय V में निहित स्पष्ट प्रावधानों के संदर्भ में इसकी शुद्धता का कानूनी अनुमान लगाते हैं। 1872 अधिनियम 1872 अधिनियम की धारा 79 और 80 के साथ पठित धारा 76 के संदर्भ में और उसी अधिनियम की धारा 81 के तहत आधिकारिक राजपत्र के मामले में इस तरह की धारणा का विस्तार करता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक दस्तावेजों से संबंधित अन्य कानून भी ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता को समान महत्व देते हैं, जिसमें उनके प्रमाणपत्रों में परिवर्तन करना भी शामिल है, जिनका हमने इस निर्णय में उल्लेख किया है। इस प्रकार समझा गया कि सीबीएसई बोर्ड के लिए उम्मीदवार द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों पर ध्यान नहीं देने और उस आधार पर परिवर्तन दर्ज करने का कोई कारण नहीं है।

निर्भर सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप होने के लिए इसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्वजनिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी स्कूल के रिकॉर्ड के साथ पूरी तरह से सुसंगत नहीं है।

पदधारी। सी. बी. एस. ई. उन दस्तावेजों को उसके अनुरूप परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए मूलभूत दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करते समय अतिरिक्त शर्तों के लिए जोर दे सकता है और साथ ही मूल प्रविष्टि को बनाए रखते हुए उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में कैप्शन/एनोटेशन

के रूप में नोट कर सकता है, जबकि पदधारी से उसके द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र को आत्मसमर्पण करने का आह्वान करता है ताकि बाद में इसका कोई दुरुपयोग न हो।

सी. बी. एस. ई. के लिए यह अनुमति होगी कि वह एक शपथ योग्य ज्ञान यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आवश्यक घोषणा करने वाले पदाधिकारी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र और सी. बी. एस. ई. को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी। सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी किए जाने वाले नए प्रमाणपत्र में बोर्ड का अस्वीकरण भी हो सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवर्तन उनके द्वारा भरोसा किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के आलोक में पदधारी के कहने पर किया गया है। इसके अलावा, पदधारी को आधिकारिक राजपत्र में परिवर्तन के बारे में सूचित करने और सावधानी के साथ परिवर्तन को दर्ज करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में सार्वजनिक सूचना देने के लिए कहा जा सकता है।

153. सिडको बनाम वसुधा गोरखनाथ में यह न्यायालय

मांडेवलेकर 58 ने पाया है कि सांविधिक रूप से बनाए गए अभिलेख

अधिकारियों को अपने पक्ष में शुद्धता का अनुमान है और वे स्कूल रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि पर हावी होंगे। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 18. वैधानिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए मृत्यु और जन्म रजिस्टर शुद्धता की धारणा को बढ़ाते हैं। वैधानिक रजिस्टरों में की गई ऐसी प्रविष्टियाँ साक्षय अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में साक्षय के रूप में स्वीकार्य हैं। यह स्कूल रजिस्टर में की गई प्रविष्टि पर हावी होगा, विशेष रूप से, किसी भी प्रमाण के अभाव में। कि वही
प्रत्यर्थी के अभिभावक के कहने पर दर्ज किया गया था। (देखें बिरादमल सिंघवी बनाम। आनंद पुरोहित 5 9.) "

कानून की एक ही स्थिति को निर्धारित जनादेश तक बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और छात्रों के प्रवेश से संबंधित सी. बी. एस. ई. उपनियमों के अध्याय-3 में। उपनियम 6.1 निर्देशात्मक है और इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" 6. प्रवेश: सामान्य शर्तें:
6.1 (क) 'विद्यालय' में किसी भी वर्ग में प्रवेश पाने का इच्छुक छात्र

उस वर्ग में प्रवेश के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह:

((iv) उत्पादन करता है: (
ग) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए, बच्चे की आयु जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

58 (2009) 7 एस. सी. सी. 283 59 ए. आई. आर 1988 एस. सी. 1796

जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1886 के प्रावधानों के अनुसार या ऐसे आधार पर जारी किया गया अन्य
दस्तावेज, जैसा कि निर्धारित किया जाए, जैसा कि धारा में निर्धारित किया गया है

14 (1) बच्चों के स्वतंत्र होने के अधिकार और

सामूहिक शिक्षा अधिनियम, 2009।

(घ) किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण की कमी के कारण स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसा कि शिक्षा के अधिकार की धारा 14 (2) में निर्धारित किया गया है।

बच्चों को मुफ़्त और सामूहिक शिक्षा अधिनियम, 2009 "।

इसलिए, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर भी, जन्म तिथि के उद्देश्य से वैधानिक जन्म प्रमाण पत्रों पर भरोसा करने का एक स्पष्ट विधायी इरादा है। इन प्रमाणपत्रों के आधिकारिक मूल्य की इस योजना में विधिवत पुष्टि की गई है।

154. सी. बी. एस. ई. रिकॉर्ड को स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप लाने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब एक वैधानिक

दस्तावेज़ स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, वैधानिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित संस्करण को सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में सुधार के उद्देश्य से माना जा सकता है ताकि इसे सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप बनाया जा सके।

155. उपनियमों के 2018 के संशोधन के बाद, जन्म तिथि के मामले में भी, दो आधारों पर सुधार की अनुमति है-अनुरूपता लाने के लिए।

स्कूल रिकॉर्ड के साथ और अदालत के आदेश के अनुसरण में। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:

" ए "। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार सुधार:

आई. प्रमाण पत्र को विद्यालय के अभिलेखों के अनुरूप बनाने के लिए टंकण और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के लिए सुधार किया जा सकता है बशर्ते कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यालय के अभिलेखों में सुधार नहीं किया जाना चाहिए था।

बोर्ड की परीक्षा के लिए। ख.
न्यायालय के आदेशों के अनुसार सुधार।

उम्मीदवारों की जन्म तिथि में सुधार के संबंध में आवेदन

इस पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि सुधार को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

जन्म तिथि में सुधार के मामलों में जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अदालत के आदेश के बाद दस्तावेजों का उल्लेख किया जाएगा

दस्तावेज़ पर "तारीख में अनुमति दी गई सुधार"

चालू

(दिनांकित)

ता.

जन्म से

जैसा कि प्रति न्यायालय आदेश सं।

दिनांकित

156. जब कोई छात्र पूर्व अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन करता है

और/या घोषणा करते हुए और सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए, न्यायालय एक ऐसी जांच करेगा जिसमें कानूनी अनुमान सार्वजनिक दस्तावेज (दस्तावेजों) के पक्ष में काम करेगा और पक्ष पर बोझ बढ़ेगा।

धारणा का खंडन करने या दावे का विरोध करने के लिए परिवर्तन का विरोध करना

दूसरी जमीन। दस्तावेज़ की वास्तविकता का प्रश्न जिसमें शामिल हैं -

इसकी किसी भी विषय-वस्तु पर उसी जांच में निर्णय लिया जाएगा और विधि न्यायालय केवल आधिकारिक अभिलेखों को सत्यापित करने और इसकी वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ही वांछित परिवर्तन की अनुमति देगा। साथ ही,

अनुरोधित परिवर्तनों की न्यायसंगतता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और केवल छात्र द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता से संतुष्ट होने पर, न्यायालय अपनी अनुमति देगा। उक्त अनुमति को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति और आवश्यक (निर्धारित) शुल्क (यदि कोई हो) के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है। बोर्ड तब

आगे की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही आगे किसी सत्यापन अभ्यास में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी।

157. अब हम केरल उच्च न्यायालय के कथन का विज्ञापन कर सकते हैं

सुबिन मोहम्मद में "। सुधारों की अनुमति देने के लिए अधिकांश विवादित निर्णयों में इसी पर भरोसा किया गया है। उस फैसले में, अदालत ने

उपनियमों में अपर्याप्तताओं पर चर्चा की और सी. बी. एस. ई. को वैधानिक जन्म प्रमाण पत्रों के संदर्भ में जन्म तिथि को सही करने के निर्देश जारी किए बशर्ते अनुरोध वास्तविक पाया जाए। परिचालन निर्देश इस प्रकार हैं:

" 41. इसलिए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह उचित होगा

यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा:

(i) कि सी. बी. एस. ई. मार्कशीट में प्रविष्टियों को सही करेगा।

अनुरोध वास्तविक पाया जाता है।

(ii) जन्म प्रमाण पत्र की वास्तविकता का पता यहाँ से लगाया जा सकता है -

संबंधित स्थानीय/वैधानिक प्राधिकरण/संस्थान के प्रमुख

या ऐसी अन्य विधि, सी. बी. एस. ई. इसे उपयुक्त मान सकता है।

60 फुटनोट No.12 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

(iv) प्रत्येक याचिकाकर्ता को 5,000/- (पांच रुपये) का भुगतान करना होगा। केवल एक हजार) एक महीने की अवधि के भीतर सी. बी. एस. ई. को लागत के रूप में।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, अनुरोध की वास्तविकता निर्धारित करने का कार्य छोड़ दिया गया था

सी. बी. एस. ई. के लिए, जो न केवल हमारी उपरोक्त चर्चा के विपरीत है, बल्कि एक निकाय के रूप में सी. बी. एस. ई. की सीमाओं को ध्यान में रखने में भी विफल है। प्रमाणपत्रों में परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार करते समय, सी. बी. एस. ई. एक अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह उन अनुरोधों के अलावा किसी भी अनुरोध पर प्रभावी रूप से विचार नहीं कर सकता है जिनके लिए केवल स्कूल के रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो।

प्वाइंट नंबर 4

158. जैसा कि उपरोक्त प्रस्तुतियों में देखा गया है, एक संघर्ष है

समय के संबंध में उच्च न्यायालयों के बीच राय जो

उपनियमों की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा। सी. बी. एस. ई. द्वारा बार-बार किए गए संशोधनों ने अदालतों के लिए संघर्ष करना अनिवार्य बना दिया था। इस सवाल के साथ। तत्काल सवाल यह है कि क्या परिणाम की घोषणा की तारीख या परिवर्तनों के लिए आवेदन की तारीख होगी

लागू होने वाले उपनियमों का निर्धारण। इस प्रश्न को संबोधित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल्पना ठाकुर 1 मामले में यह विचार व्यक्त किया कि आवेदन की तारीख पर मौजूद उपनियम लागू होंगे, चाहे कोई भी संशोधन हो। इस दृष्टिकोण को निर्णय के निम्नलिखित अनुच्छेदों से समझा जा सकता है:

" 12.2 मेरे विचार में, श्री बंसल का निवेदन जिसमें संशोधन किया गया है

अलविदा-कानून 69.1 (i) एक साधारण कारण से लागू होगा, असमर्थनीय है।

कि उक्त उप-कानून में संशोधन को केवल अधिसूचित किया गया था

तत्काल मामले में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी। श्री बंसल द्वारा इस प्रस्तुति के समर्थन में तर्क दिया गया

कि कार्यालय आदेश की तारीख से पहले था

आवेदन, मेरे विचार में, कायम नहीं रहेगा, क्योंकि कार्यालय आदेश एक है

आंतरिक दस्तावेज, जिसकी स्थिति तक कोई कानूनी वैधता नहीं हो सकती है उसमें लिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। तथ्य यह है कि एक अधिसूचना

संशोधित उप-कानून के संबंध में प्रत्यर्थी सं।

61 फुटनोट सं. 26 में ऊपर दिया गया है-जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1 / सी. बी. एस. ई. बताएगा कि उपविधि में संशोधन करने का निर्णय-कानून 69.1 (i)

एक सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता थी। 12.3 नतीजतन, नाम परिवर्तन के लिए सभी आवेदन जो अधिसूचना दिनांक 25.06.2015 से पहले दायर किए जाते हैं, मेरे विचार में, असंशोधित उपनियम 69.1 (i) द्वारा शासित होंगे। इसलिए, काफी तार्किक रूप से, याचिकाकर्ताओं को, मेरी राय में, दिया जाना चाहिए

रिट याचिका में मांगी गई राहत।

विशेष रूप से, न्यायालय के समक्ष प्रश्न थोड़ा अलग था। यह केवल यह था कि क्या अपरिवर्तित उपनियम लागू होते रहेंगे यदि

संशोधन की तारीख से पहले आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी।

फिर भी, वैष्णव 6 2 में केरल उच्च न्यायालय ने मामले पर एक अलग दृष्टिकोण लिया है और कहा है कि पारित होने की तारीख पर मौजूद उपनियम लागू होंगे। यह इस प्रकार देखा गया:

" 5. उक्त नियम और संशोधित प्रावधान के विश्लेषण पर यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिवादी ने नाम परिवर्तन के लिए प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकार करके याचिकाकर्ता को गैर-मुकदमा करने के लिए एक गलत प्रावधान पर भरोसा किया। इसलिए, एक्सटीएस। पी7 और पी9 को कानून के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए नियम का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में पारित हो गया है और इसलिए, उस समय के कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि संशोधन का कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है। इसलिए, मैं Exts को रद्द करता हूं। पी7 और पी9, और प्रथम प्रत्यर्थी को नियम 69 (1 (i) के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दें, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।"

159. उपनियमों के संदर्भ में माना जाए तो विवाद वास्तव में सरल प्रकृति का है। उपनियम लगातार यह प्रावधान करते हैं कि सीमा की अवधि की गणना परिणाम की घोषणा और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से की जानी है। इसका मतलब है कि परिणाम की घोषणा और प्रमाणपत्रों के प्रकाशन के बाद छात्र के खिलाफ सीमा की अवधि शुरू हो जाती है क्योंकि छात्र को दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में सूचित किया जाता है। छात्र को अब प्रमाण पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में कहा जा सकता है। इस कानूनी स्थिति का अप्रतिरोध्य परिणाम यह है कि इस तरह की घोषणा/परिणाम के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद उपनियम प्रमाण पत्रों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होंगे। उपनियमों की स्पष्ट भाषा पराजित हो जाएगी यदि हम कहते हैं कि पर मौजूद कानून

62 फुटनोट संख्या 27 [2021] 4 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन की तिथि प्रासंगिक होगी। यह सुधार के लिए सीमा की अवधि होने के महत्व को नकार देगा।

प्रमाणपत्रों से।

160. यदि उपनियमों की प्रयोज्यता की सीमा को सुधार/परिवर्तन के लिए आवेदन की तारीख से माना जाना था, न कि आवेदन की तारीख से।

सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम, हम चीजों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देंगे। क्योंकि, एक छात्र जो संभवतः अपरिवर्तित उपनियमों के तहत सीमा अवधि को पार कर सकता था, वह प्रमाण पत्रों को बदलने का अधिकार फिर से हासिल कर लेगा यदि आवेदन की तारीख पर मौजूद उपनियम अनुमति देते हैं और लंबी अवधि के लिए प्रदान करते हैं। इसी तरह, एक छात्र जिसके पास अपरिवर्तित के तहत परिवर्तन करने के लिए दस साल थे यदि दस साल की अवधि के भीतर उपनियमों में संशोधन किया जाता है तो उपनियम उसका अधिकार खो देंगे ताकि बहुत कम, दो साल, सीमा अवधि का प्रावधान किया जा सके। निश्चितता, निरंतरता और पूर्वानुमेयता किसी भी कानूनी संबंधक विशिष्टता अछि आ ई सार्वजनिक नीतिक हितमे अछि जे कानूनी व्याख्या एहि विशिष्टताक संरक्षण आ सुरक्षा करैत अछि। यह संकल्प,

हालाँकि, यह केवल कानूनी स्थिति बताने के लिए है और हमारे सामने आने वाले मामलों पर इसका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

161. सी. बी. एस. ई. ने यह भी तर्क दिया कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

इसके अभिलेखों में अनुमति दी जाएगी क्योंकि यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि परिवर्तित अभिलेख जन्म से ही सक्रिय हों और कोई भी परिवर्तन केवल संभावित होना चाहिए और पूर्वव्यापी नहीं होना चाहिए। तर्क का सार रायन चावला 3 के पैराग्राफ 23 से पता लगाया जा सकता है, जिस पर इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए भरोसा किया गया है। वह इस प्रकार है:

" 23. पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उल्लिखित और उद्धृत निर्णयों के उपरोक्त परिप्रेक्षय से जो कानूनी स्थिति आएगी, वह यह है कि आम तौर पर एक व्यक्ति को उचित औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूरा करने के अधीन अपना नाम बदलने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुरुपयोग या भ्रम पैदा न हो।

नाम में परिवर्तन के कारण। नाम का परिवर्तन है

संभावित। ..... "

हालांकि एक सार्थक तर्क को कम करने के लिए आगे बढ़ाया गया

दुरुपयोग की संभावना, हम इसे ऐसी चीज के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जो मामले को बदल सकती है। रायन चावला में अदालत ने स्वीकार किया कि किसी के नाम की अभिव्यक्ति उनकी पसंद के तरीके से वास्तव में एक है

63 फुटनोट संख्या 8 पर उपर्युक्त 64 फुटनोट संख्या 8 पर उपर्युक्त जिज्ञासा यादव (लघु) (गार्डियन/पिता हरि सिंह के माध्यम से) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार, लेकिन यह माना गया कि अधिकार संभावित है और बोर्ड द्वारा पहले से जारी दस्तावेजों में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए विस्तारित नहीं है। यह ध्यान रखना उचित है कि एक बार सी. बी. एस. ई. के दस्तावेजों में परिवर्तन की अनुमति दिए जाने के बाद, इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है। परिवर्तन वास्तव में संभावित हैं और यह दर्शाते हैं कि उपनियमों में एक उपचारात्मक उपाय प्रदान किया गया है, जैसा कि वर्तमान में मौजूद है। वे बदले गए विवरणों के साथ इस तरह के परिवर्तन की तारीख के साथ एक कैप्शन/एनोटेशन जोड़ने की आवश्यकता का प्रावधान करते हैं ताकि प्रमाण पत्र के भीतर यह इंगित किया जा सके कि परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रकाशित करने की तारीख के बाद की तारीख को किए गए हैं। बाद में परिवर्तित दस्तावेजों को अपरिवर्तित मूल रिकॉर्ड के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए कैप्शन/एनोटेशन की आवश्यकता वास्तव में एक पर्याप्त सुरक्षा है।

प्वाइंट नं. 5

नियंत्रण में मैंडमस का अस्तित्व

बायलाउस

162. विचार के लिए अगला मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालयों के लिए सुधार के लिए सी. बी. एस. ई. को आदेश जारी करना उचित है।

उपनियमों की वैधता की जांच किए बिना उपनियमों के पूर्ण उल्लंघन में प्रमाण पत्र। इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए, सुबिन मोहम्मद पर भरोसा रखा गया है, जिसमें अदालत ने कहा कि मामले में टाइपोग्राफिक प्रकृति का सुधार शामिल नहीं है, जैसे कि उपनियमों में अनुमेय, लेकिन वैधानिक प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तनों के लिए आवेदन करने के छात्र के अधिकार को बनाए रखा। यह इस प्रकार देखा गया:

" 35. इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि सी. बी. एस. ई. का उपनियम तथ्य स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन मार्कशीट में जन्म प्रविष्टि की तारीख को वैधानिक प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के साथ मिलान करने के लिए, उम्मीदवारों को किसी भी उपाय के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनके निवारण के लिए न्यायालय का रुख करने का उनका अधिकार

शिकायत से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार: 65 फुटनोट No.12 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 39. यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की भविष्य की संभावनाएँ

विदेश में अध्ययन या रोजगार प्राप्त करना काफी हद तक प्रभावित होगा यदि

मार्कशीट में जन्म तिथि की प्रविष्टि उससे मेल नहीं खाती है।

जन्म प्रमाण पत्र में। हालांकि मैंडमस का एक रिट नहीं हो सकता है

सख्त अर्थों में जारी किया गया, हमारा विचार है कि, विफलता

अधिकारिता का प्रयोग याचिकाकर्ताओं को गंभीर स्थिति में डाल सकता है कठिनाई। इसलिए, न्याय प्रदान करने के लिए, यह हमेशा खुला रहता है

न्यायालय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगा

और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। हालांकि, अगर विवादित सवाल हैं

तथ्य यह है कि इस न्यायालय के लिए इस पर विचार करना उचित नहीं होगा

मामला "।

(जोर दिया गया)

मैंडमस के रिट के संबंध में कानून का निपटारा किया जाता है। सबसे प्रमुख।

आदेश जारी करने के लिए आवश्यकता एक निकाय के खिलाफ कानूनी अधिकार का अस्तित्व है जो या तो एक सार्वजनिक निकाय है या एक सार्वजनिक कार्य करने वाला एक गैर-सार्वजनिक निकाय है। बिन्नी लिमिटेड में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत का सारांश इस प्रकार दिया:

" 29. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि मैंडमस का एक रिट या उपाय

अनुच्छेद 226 के तहत पहले से ही एक सार्वजनिक कानून उपचार है और नहीं है

आम तौर पर निजी गलतियों के खिलाफ एक उपाय के रूप में उपलब्ध है। इसका उपयोग किया जाता है।

जनता के विभिन्न अधिकारों को लागू करने या जनता को मजबूर करने के लिए /

वैधानिक प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और उनके अनुसार कार्य करना।

उनकी सीमाएँ। इसका उपयोग गलत होने पर न्याय करने के लिए किया जा सकता है।

शक्ति का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने से इनकार। यह रिट है प्रशासनिक पर न्यायिक नियंत्रण के रूप में कार्य करने के लिए प्रशंसनीय रूप से सुसज्जित

क्रियाएँ। यह रिट किसी निजी निकाय के खिलाफ भी जारी की जा सकती है या व्यक्ति, विशेष रूप से अनुच्छेद 226 में उपयोग किए गए शब्दों को देखते हुए

संविधान। हालांकि, मैंडमस का दायरा सीमित है सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन। मैंडमस का दायरा निर्धारित किया जाता है।

पहचान के बजाय लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से

जिस प्राधिकारी के खिलाफ इसकी मांग की गई है। अगर निजी निकाय है

सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करना और किसी भी अधिकार से इनकार करना

ऐसे निकाय पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य के संबंध में, जनता

महत्वहीन है, लेकिन, फिर भी, सार्वजनिक कानून होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई में तत्व। कभी-कभी, अंतर करना मुश्किल होता है

66 फुटनोट No.32 जिज्ञासा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) वी. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सार्वजनिक कानून और निजी कानून उपचारों के बीच। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, तीसरा संस्करण। , खण्ड. 30 , p.682,

" 1317. एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक निकाय है, जरूरी नहीं कि एक काउंटी हो।

परिषद, नगर निगम या अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जिनके पास सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य हैं और जो उन कर्तव्यों का पालन करते हैं और जिनके लाभ के लिए अपने लेनदेन करते हैं

सार्वजनिक और निजी लाभ के लिए नहीं।

सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक की कोई सामान्य परिभाषा नहीं हो सकती है।

कार्रवाई। प्रत्येक मामले के तथ्य इस मुद्दे को तय करते हैं।

विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकारों के आधार पर, इस संबंध में कोई चर्चा या जांच नहीं है। इसके अलावा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आलोक में उपनियमों के अधिकारों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जैसा कि इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में चर्चा की गई है। लागू नियमों की वैधता पर इस तरह के किसी भी प्रतिकूल निर्धारण के अभाव में, कानून के शासन का मौलिक सिद्धांत मांग करता है कि ऐसे नियमों को उनका इच्छित प्रभाव दिया जाए। भले ही एक संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि मामला एक के योग्य है असाधारण उपाय, यह अनुच्छेद 226 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग करके ऐसा कर सकता है, लेकिन केवल मामले के तथ्यों के विशिष्ट मूल्यांकन और मामले के असाधारण चरित्र को विधिवत प्रदर्शित करने के बाद। यह मानने के बावजूद कि उपनियमों के तहत प्रार्थनाओं की अनुमति नहीं है, न्यायालयों ने वर्तमान मामलों में बोर्ड को निर्देश जारी किए

सुबिन मोहम्मद के कथन पर यंत्रवत रूप से भरोसा करके, मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों या छात्रों द्वारा मांगे गए परिवर्तनों की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबिन मोहम्मद "हमारे सामने चुनौती में नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें समझना होगा।

67 फुटनोट पर ऊपर No.12 68 फुटनोट No.12 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

इस निर्णय में दर्ज राय के संदर्भ में। हमारी चिंता उन मामलों को तय करने के लिए पहले के निर्णय पर यांत्रिक निर्भरता रखने के तरीके के साथ है जिसमें परिवर्तनों का एक पूरी तरह से अलग सेट शामिल है।

164. एक बार जब एक अदालत नोट करती है कि लागू नियम नहीं करते हैं

इसे एक विशेष राहत देने की अनुमति दें और यह अभी भी सहानुभूति के आधार पर राहत प्रदान करता है, ऐसे निर्णयों को किसी भी तरह से पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम इस बात पर ध्यान देने के लिए विवश हैं कि पूर्ववर्ती के रूप में इस तरह के निर्णय का पालन करना "व्यक्तिगत रूप से समानता के कार्य" के सुस्थापित सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना होगी और इस प्रकार, अदालतें मामले की व्यक्तिगत विशेषताओं की अवहेलना करते हुए, उसी आदेश को दोहराकर "रिम" में समानता को लागू नहीं कर सकती हैं। सुबिन मोहम्मद का तथ्यों के एक अलग समूह पर कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

165. उच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, विधिवत रूप से निहित हैं

भाग-III के आलोक में किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति। ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद, यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। के माध्यम से यांत्रिक दिशाएँ नहीं हो सकती हैं दावों की सच्चाई में गए बिना और पर्याप्त रूप से यह बताए बिना कि मामला असाधारण व्यवहार की मांग क्यों करता है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण को आदेश देता है।

166. वास्तव में, एम. डी. सरीफुज़ ज़मान ", इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ

न्यायालय ने कहा कि शक्ति का इस तरह का प्रयोग अपने आप में मनमाना होगा। यह.

इस प्रकार देखा गया:

" 10. ..... लोग, संस्थान और सरकारी विभाग आदि।

— सभी एक बहुत ही उच्च स्तर की विश्वसनीयता संलग्न करते हैं, जो अंतिम होने के करीब है

बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में की गई प्रविष्टियाँ। द.

प्रमाणपत्रों में प्रविष्टियों को सही करने के लिए शक्ति का बार-बार प्रयोग

और वह भी इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर किसी भी सीमा के बिना

शक्ति को स्वयं मनमाना बना देगा और इसके परिणामस्वरूप हो सकता है

बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता को कम करना। हम,

इसलिए, इस तर्क को बनाए रखना मुश्किल है कि आवेदक ऐसे प्रमाणपत्रों में प्रविष्टियों में सुधार की मांग करने के लिए ऐसा कोई है

अधिकार या निहित अधिकार "।

(जोर दिया गया)

69 फुटनोट पर ऊपर No.12 70 फुटनोट पर ऊपर No.16 जिज्ञासा यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस प्रकार, न्यायालयों को परिवर्तनों की अनुमति देने से पहले तत्काल तथ्यात्मक स्थिति के प्रति अधिक सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। नाम परिवर्तन या जन्म तिथि परिवर्तन के किसी भी दो अनुरोध को एक ही न्यायिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। कभी-कभी, नाम बदलना एक आवश्यकता हो सकती है, कभी-कभी यह बिना किसी आवश्यकता के स्वतंत्र इच्छा का एक शुद्ध अभ्यास हो सकता है। जब तक उपनियम या लागू नियम इसकी अनुमति देते हैं, तब तक कोई अवसर नहीं है

ताकि कोई भी अदालत ऐसी राहत से इनकार कर सके। लेकिन जब उपनियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो न्यायालय को निर्देश जारी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी उपनियमों की वैधता पर टिप्पणी किए बिना और उन अधिकारों को प्रदर्शित किए बिना जो दांव पर हैं-संवैधानिक या कानूनी।

167. आगे बढ़ने से पहले, हमें संक्षेप में ध्यान देना चाहिए कि इस न्यायालय का कथन मो. सरिफुज़ ज़मान '1 पर भरोसा किया गया है

मो. सरिफुज़ ज़मान "और सुबिन मोहम्मद" एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। क्या दोनों निर्णय एक-दूसरे के साथ टकराव में हैं परीक्षा जिसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, हमने इस मामले का निर्णय लेने के लिए सुबिन मोहम्मद पर कोई निर्भरता नहीं रखी है और इसलिए भी कि मोहम्मद। सरिफुज़ ज़मान "सुबिन के खिलाफ इस अदालत का फैसला है।

मोहम्मद "केरल उच्च न्यायालय का एक फैसला है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही कोई संघर्ष मौजूद हो, इस न्यायालय का निर्णय सभी परिस्थितियों में प्रबल होना चाहिए जब तक कि इस न्यायालय की बड़ी पीठ का एक और निर्णय न हो जो एक अलग दृष्टिकोण लेता हो।

168. जो भी हो, हमें एम. डी. में इस न्यायालय के कथन की जांच करनी चाहिए। सरिफुज़ ज़मान "। मामले में सुधार का अनुरोध शामिल था

जन्म तिथि में लिपिकीय प्रकृति इसे सही स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप लाने के लिए। पैराग्राफ 3 इस प्रकार नोट करता है:

" 3. उत्तरदाताओं में से एक, एक छात्र, जिसने सरकारी लड़कों के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की, ने उत्तीर्ण किया

माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा

वर्ष 1991 में शिक्षा, असम। इसके बाद वह ऊँचे स्तर पर चले गए।

73 फुटनोट पर ऊपर No.12 74 फुटनोट पर ऊपर No.12

76 फुटनोट पर ऊपर No.12 77 फुटनोट No.16 [2021] 4 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माध्यमिक परीक्षा और फिर वर्ष 1998 में बीएससी परीक्षा। जब उन्होंने रिट याचिका दायर की, तो वे एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे कंप्यूटर में अध्ययन करें। उस समय, 12-10-1999 पर, उन्होंने बोर्ड को एक आवेदन दिया जिसमें शिकायत की गई थी कि उनकी जन्म तिथि गलत तरीके से स्कूल के रिकॉर्ड में 30-5-1974 के रूप में उल्लिखित की गई थी, जबकि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 16-8-1975 थी। गलत जन्म तिथि, जैसा कि स्कूल द्वारा अग्रेषित की गई थी, बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र में आ गई थी। रिट याचिकाकर्ता छात्र ने दलील दी कि उसे स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज की जाने वाली सही जन्म तिथि के महत्व का एहसास नहीं था, और इसलिए, उसे तब तक इसके निहितार्थ का भी एहसास नहीं था जब तक कि उसे याचिका दायर करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था।

आवेदन। प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन

स्कूल के प्रिंसिपल को बाद वाले ने बोर्ड को भेज दिया। प्राचार्य ने संकेत दिया कि प्रत्यर्थी की आयु प्रवेश रजिस्टर और अन्य स्कूल रिकॉर्ड में 16-8-1975 के रूप में दर्ज की गई थी, लेकिन यह गलती से था कि बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय, जन्म तिथि गलत तरीके से 30-5-1974 के रूप में दर्ज की गई थी। प्रधानाचार्य ने गलती को "लिपिकीय" बताया और इसे सुधारने की सिफारिश की। चूंकि बोर्ड ने आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

न्यायालय असम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए विनियमों पर विचार कर रहा था, जिसमें परिणाम की घोषणा के बाद तीन साल की अवधि के लिए सुधार करने का प्रावधान किया गया था।

प्रमाण पत्र। छात्र ने तीन साल की समाप्ति के बाद बोर्ड से संपर्क किया और इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न केवल यह था कि क्या तीन साल की अवधि को विनियमों के अनुसार लागू किया जाएगा या किसी अन्य नियम के अनुसार लागू किया जाएगा।

आराम दिया जा सकता है। न्यायालय ने यह कहते हुए कोई छूट देने से इनकार कर दिया कि सीमा की समाप्ति उपचार को समाप्त कर देगी। पैराग्राफ 12 में, यह इस प्रकार नोट करता है:

" 12. देरी विवेक को पराजित करती है और सीमा का नुकसान उपचार को ही नष्ट कर देता है। विलंब की राशि के परिणामस्वरूप समता के सिद्धांतों पर विवेकाधीन शक्ति से वंचित होने का लाभ मिलता है। उपचार से वंचित होने के परिणामस्वरूप सीमा का नुकसान, सार्वजनिक नीति और उपयोगिता पर आधारित एक सिद्धांत है, न कि केवल इक्विटी पर। समय की एक सीमा होनी चाहिए जिसके द्वारा मानव मामले हल हो जाते हैं और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। विनियम 8 आवेदक को अधिकार और बोर्ड को सुधार करने के दायित्व के साथ एक शक्ति प्रदान करता है।

गलत गणना या लिपिक ज्ञान यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर री सिंह) v के आधार पर जन्म तिथि।

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

गलती की जा रही है। एक उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आवेदन को संसाधित करने के लिए जो विद्यालय के अभिलेखों का सत्यापन करेगा और उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

बोर्ड ताकि इसके अलावा अन्य दावों पर विचार करने से बाहर किया जा सके

विनियमन 8 के ढांचे के भीतर अनुमत। शक्ति सुधार के लिए आदेश पारित करना एक उच्च पदाधिकारी पर निहित है जैसे

बोर्ड के सचिव। के चरण में एक अशुद्धि रेंग रही है

केवल प्रमाण पत्र लिखना, हालांकि अन्य सभी पूर्व दस्तावेज हैं

सभी मामलों में सही, एक अवधि के भीतर ठीक होने में सक्षम है प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल।

इसने तब तीन साल की अवधि को एक उचित समय माना क्योंकि यह

एक छात्र के लिए अपने प्रमाणपत्रों में किसी भी त्रुटि को नोटिस करने के लिए उपयुक्त समय।

ग्राफ 13 इस प्रकार नोट करता है:

" 13. विनियमन द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है।

उचित अवधि। प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को ही, में की गई प्रविष्टियों के बारे में संबंधित छात्र को सूचित किया जाता है

प्रमाण पत्र। हर किसी को उनकी उम्र और जन्म तिथि याद रहती है। द. छात्र को कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि जन्म तिथि दर्ज की गई है

प्रमाणपत्र में सही नहीं है, यदि ऐसा है, तो एक बार प्रमाणपत्र है

उसके हाथों में रखा। प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक

एक ऐसी नौकरी या कैरियर की तलाश करें जहाँ उसे अपनी उम्र का उल्लेख करना होगा और जन्म तिथि। भले ही वह तारीख को त्रुटि को नोटिस करने में विफल रहा

प्रमाण पत्र जारी करने पर उसे वही पता चल जाएगा

थोड़ी देर बाद। इस प्रकार, तीन साल की अवधि, जैसा कि निर्धारित है

विनियम 3 के अनुसार, यह काफी उचित है। ऐसा कुछ नहीं है

मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करना। द. तीन साल का प्रिस्क्रिप्शन एक विभाजन रेखा निर्धारित कर रहा है

जिसके समक्ष सुधार करने की बोर्ड की शक्ति होनी चाहिए। जिसे लागू किया जाना है और जिसके आगे इसे लागू नहीं किया जा सकता है। विलंबित।

आवेदन, यदि प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो एक पेंडोरा खोल सकते हैं।

बॉक्स। अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और साक्षय हो सकते हैं

हार गए। इस तरह के सबूत भी सुविधाजनक सबूत हैं।

हो

सकता है

अस्तित्व में लाया गया जो जांच की अवहेलना कर सकता है। का नुस्खा

तीन साल का बार ऐसी सभी स्थितियों का ध्यान रखता है। प्रावधान यह है कि

न तो अवैध और न ही अधिनियम की धारा 24 के दायरे से बाहर

और इसे मनमाना या अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है। आवेदनकर्ताओं तीन साल की अवधि के भीतर सुधार की मांग करते हुए एक वर्ग [2021] 4 एस. सी. आर. बनाएँ।

स्वयं और इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत "।

यह देखा जा सकता है कि एक पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अलावा, एम. डी. में न्यायालय। सरिफुज़ ज़मान "बहुत संकीर्ण स्थिति से निपट रहा था।

लिपिक को सुधारने के लिए सीमा अवधि की तर्कसंगतता का प्रश्न

एक वैधानिक कानून की छत्रछाया के तहत गलतियाँ। अदालत के पास उन परिस्थितियों से निपटने का कोई अवसर नहीं था जिनमें कोई व्यक्ति उसे बदलना चाहेगा।

संविधान के तहत अपने गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से नाम निकालें। न्यायालय इसे विशुद्ध रूप से नागरिक लेन-देन के रूप में देख रहा था और वास्तव में, सीमा की समाप्ति कैसे उपचार को पूरी तरह से बाधित करेगी, इस बारे में बात करते हुए इसे ऐसा ही माना। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, हम दोहराते हैं कि हम नागरिक कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकारों और संविधान के तहत मौलिक माने जाने वाले और संरक्षित अधिकारों के बीच अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार का प्रयोग

सबसे अच्छा, उचित आधार पर विनियमित किया जा सकता है लेकिन एक मजबूत और वैध उद्देश्य के बिना पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। सिवाय इसके कि एम. डी. में कथन। सरिफुज़ ज़मान "इसके मामले के विशिष्ट तथ्यों से संबंधित है और यह भी कि उस मामले में वास्तव में छात्र के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था (परिवर्तनों की वैसे भी अनुमति थी), हम आगे नहीं कहते हैं।

सी. बी. एस. ई. को निर्णय और निर्देश

169. हालाँकि हमने अपने सामने रखे गए व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में समाधान की आवश्यकता वाला वास्तविक विवाद सुधार या परिवर्तन की प्रकृति के बारे में है, जैसा भी मामला हो, जिसे छात्र के कहने पर सीबीएसई द्वारा अतीत सहित आगे बढ़ाने की अनुमति है।

विद्यार्थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मोटे तौर पर, दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी।

170. पहला यह है कि पदधारी चाहता है कि सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में "सुधार" किया जाए जो विवरणों के अनुरूप हो।

जिसका उल्लेख विद्यालय के अभिलेख में किया गया है। जैसा कि हमने माना है कि सीबीएसई के लिए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने या कोई पूर्व शर्त संलग्न करने का कोई कारण नहीं है

सीमा की उचित अवधि और उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सी. बी. एस. ई. को मौजूदा नियमों के तहत अपना रिकॉर्ड बनाए रखना है। ऐसा करते समय, यह निश्चित रूप से अन्य शर्तों के अनुपालन के लिए जोर दे सकता है

पदधारी, जैसे कि, आवश्यक घोषणा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करना और सी. बी. एस. ई. को तीसरे पक्ष द्वारा इसके खिलाफ किसी भी दावे से क्षतिपूर्ति करना।

78 फुटनोट पर उपर्युक्त No.16 79 फुटनोट पर उपर्युक्त No.16 जिज्ञासा यादव (माइनोर) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v. C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसके द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र का समर्पण/वापसी (या मूल प्रमाण पत्र की नकल, जैसा भी मामला हो) इसे कैप्शन के साथ आवश्यक सुधार करने के बाद जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र के साथ बदलने के लिए। किए गए परिवर्तनों के विरुद्ध एनोटेशन और ऐसे सुधार की तारीख। यह मूल प्रविष्टियों को बरकरार रख सकता है क्योंकि यह विस्मृत होने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम के सुधार के संबंध में है। नए प्रमाण पत्र में यह अस्वीकृति भी हो सकती है कि मूल सीबीएसई में सुधार दर्ज करने के अनुरोध के समर्थन में पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्कूल रिकॉर्ड की वास्तविकता के लिए सीबीएसई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जो उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। वास्तव में, मौजूदा नियमों के तहत आधिकारिक रिकॉर्ड के संरक्षण की अवधि समाप्त होने और संबंधित उम्मीदवार का कोई रिकॉर्ड पता लगाने योग्य नहीं होने या उसका पुनर्निर्माण नहीं होने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार करने के लिए सीबीएसई के लिए यह खुला होगा। स्कूल अभिलेखों के बाद के संशोधन के मामले में, यह नाम परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की गई पसंद सहित विभिन्न कारणों से हो सकता है। इसे अलग तरीके से कहने के लिए, सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार दर्ज करने का अनुरोध करें। इसे पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप लाने के लिए सीबीएसई के परीक्षा परिणामों के प्रकाशन से पहले किए गए आवेदन तक सीमित होने की आवश्यकता नहीं है।

171. जहां तक सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विवरणों के "परिवर्तन" के अनुरोध का संबंध है, यह माना जाता है कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में दर्ज किए जाने वाले विवरण स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं। इस तरह का अनुरोध दो अलग-अलग स्थितियों में किया जा सकता है। पहला जन्म प्रमाण पत्र, आधार जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर है।

कार्ड/चुनाव कार्ड, आदि और इसके अनुरूप सी. बी. एस. ई. प्रमाण पत्र में परिवर्तन को शामिल करना। दूसरी संभावना यह है कि जब अनुरोध किया जाता है परिवर्तन बाद में पसंद द्वारा अधिग्रहित नाम के कारण होता है। उस परिवर्तन को उम्मीदवार से संबंधित सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता नहीं है।

(क) पहली श्रेणी में लौटते हुए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में एक कानूनी धारणा है जैसा कि में परिकल्पित है

1872 एक्ट करें। इसलिए ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों को सीबीएसई द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, सी. बी. एस. ई. अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में परिवर्तन दर्ज करने के अनुरोध पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह बिना शर्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ उचित शर्तों के अधीन होना चाहिए, जैसा कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि घोषणा सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना और सीबीएसई को क्षतिपूर्ति करना और प्रशासनिक खर्चों के बदले निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। सी. बी. एस. ई. सार्वजनिक सूचना जारी करने पर भी जोर दे सकता है और

आवेदक द्वारा मूल प्रमाण पत्र (या मूल प्रमाण पत्र की नकल, जैसा भी मामला हो) के समर्पण/वापसी पर जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र में परिवर्तन को दर्ज करने से पहले आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन। नए प्रमाणपत्र में मूल प्रविष्टि के खिलाफ अस्वीकरण और कैप्शन/एनोटेशन हो सकता है (भूल जाने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन के संबंध में छोड़कर) जिस तारीख को परिवर्तन दर्ज किया गया है और उसके आधार को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, नया प्रमाण पत्र ऊपर निर्दिष्ट कैप्शन/एनोटेशन के साथ परिवर्तन को रिकॉर्ड करते समय मूल विवरण को बनाए रख सकता है (भूल जाने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन के संबंध में छोड़कर)।

(ख) हालांकि, बाद की स्थिति में जहां परिवर्तन बिना किसी समर्थन के नए अधिग्रहित नाम के आधार पर किया जाना है

स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज, उस अनुरोध पर उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व अनुमति/घोषणा के लिए जोर देने और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए आग्रह करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें सी. बी. एस. ई. द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र (या डुप्लिकेट मूल प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो) का समर्पण/वापसी और निर्धारित शुल्क का भुगतान शामिल है। ऊपर

उल्लिखित अन्य स्थितियों की तरह नया प्रमाण पत्र मूल प्रविष्टि को बनाए रखता है (सिवाय जिज्ञासा यादव (लघु) (थ्रू गार्डियन/फादर हरि सिंह) v.

C.B.S.E। (सी. बी. एस. ई) [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विस्मृत किए जाने के अधिकार के प्रयोग में प्रभावित नाम परिवर्तन का सम्मान) और जिस तारीख को इसे दर्ज किया गया है उसे इंगित करने वाले शीर्षक/एनोटेशन और सी. बी. एस. ई. के अस्वीकरण सहित अन्य विवरण सम्मिलित करना। यह ऐसी बात है। क्योंकि सी. बी. एस. ई. को निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही आवेदक के दावे की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए तंत्र है।

172. उपरोक्त के आलोक में, हमारे पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

हम सी. बी. एस. ई. को विचाराधीन मामलों में उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदनों को संसाधित करने का निर्देश देते हैं। यहां तक कि अन्य लंबित आवेदन और भविष्य

इस तरह के अनुरोध के लिए आवेदनों को उसी तर्ज पर संसाधित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से अनुच्छेद 170 और 171 में अब तक दर्ज किए गए निष्कर्ष और निर्देश, जो प्रासंगिक उपनियमों के संशोधन तक लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सी. बी. एस. ई. अपने प्रासंगिक उपनियमों में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा ताकि रिकॉर्डिंग के लिए उल्लिखित तंत्र को शामिल किया जा सके। इसके द्वारा पहले से जारी या जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में, जैसा भी मामला हो, सुधार या परिवर्तन।

173. तदनुसार, हम अपने समक्ष मामलों का निपटान निर्देशों के साथ करते हैं

लागतें। देविका गुजराल

नि

र्देश जारी किए गए।